

उ.प्र. राज्य विद्युत परिषद, १९९५ ई. (अ.प्र. वि.प. - १५/८६)
 क्र. भाग-४ में प्रकाशित एवं प्रस्तावित

उ.प्र. राज्य विद्युत परिषद

शक्ति भवन, १४-अशोक मार्ग, लखनऊ

सं. - २६३ विनि-२३/रा.वि.प.-९५-४ विनि/८६

दिनांक : अगस्त ०९, १९९५

विज्ञप्ति

विविध

इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाय) एक्ट, १९४८ की धारा ७२ (सी) तथा (के) के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और परिचालकीय कर्मचारियों से सम्बन्धित सभी वर्तमान परिपदादेशों का अतिक्रमण करते हुए उ.प्र. राज्य विद्युत परिषद एतद्वारा अपने अधीन परिचालकीय कर्मचारियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित विनियमावली बनाते हैं।

उ.प्र. राज्य विद्युत परिषद परिचालकीय कर्मचारी वर्ग सेवा विनियमावली, १९९५

भाग - १

"सामान्य"

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

- (क) यह विनियमावली "उ.प्र. राज्य विद्युत परिषद परिचालकीय कर्मचारी वर्ग सेवा विनियमावली - १९९५" कहलायेगी,
- (ख) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

प्राप्ति (स्टेट्स)

- (क) किसी आदेश, नियम, अनुबन्ध, निर्णय अथवा प्रचलन के अब तक होते हुए भी इन विनियम के सभी प्राविधान, विनियम ३.२६ में परिभाषित सेवाओं के सदस्यों पर लागू होंगे।
 परन्तु यह है कि विनियम २४ से २६, २९ से ३२, ३५ से ३८ एवं ४० से ४४ तक केस एवं अन्य पूर्व लाइसेंसधारियों के उन कर्मचारियों पर भी लागू होगा जो अब तक पुराने सेवा शर्तों से आवरित हैं,
- (ख) ऐसे कर्मचारी जो किसी संविदा, अनुबन्ध के अन्तर्गत अथवा अवकाश कालीन रिक्तियों या अंशकालिक आधार पर अथवा मस्टर रोल पर कार्यरत हैं वे उनके लिए विशेष रूप से निर्गत नियुक्ति सम्बन्धी आदेश, अनुबन्ध या संविदा से ही आवरित होंगे और उस सीमा तक उन पर यह विनियम लागू नहीं होगा।

३. परिभाषा :

जब तक कि प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न हो इस विनियमावली में :-

- ३.१ "एक्ट" का तात्पर्य "इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) एक्ट, १९४८" से है;
- ३.२ "अधिष्ठान" का तात्पर्य — अहाते अथवा स्थान से है जहां परिषद अपने व्यक्तियों का संचालन करता है;
- ३.३ "परिषद" से तात्पर्य एक्ट की धारा-५ के अन्तर्गत गठित उ.प्र. राज्य विद्युत परिषद है;
- ३.४ "अध्यक्ष" से तात्पर्य उ.प्र. राज्य विद्युत परिषद के अध्यक्ष से है;
- ३.५ "सचिव" से तात्पर्य उ.प्र. राज्य विद्युत परिषद के सचिव अथवा सदस्य सचिव से है;
- ३.६ "मुख्य अभियन्ता" से तात्पर्य मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), मुख्य अभियन्ता (स्तर - तथा (स्तर - II), परियोजनाओं के महाप्रबन्धक, मुख्य परियोजना प्रबन्धक से है;
- ३.७ "परियोजना" से तात्पर्य इन विनियमों के निमित्त किसी विद्युत गृह या विद्युत गृहों के समूह से है जिसे प्रभारी महा-प्रबन्धक इस निमित्त घोषित करें;
- ३.८ "परियोजना प्रमुख" से तात्पर्य परिषद के अधीन किसी परियोजना के प्रमुख अधिकारी से है;
- ३.९ "मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता" से तात्पर्य उ.प्र. राज्य विद्युत परिषद के अधीन मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता के पद पर कार्यरत अधिकारी से है;
- ३.१० "महाप्रबन्धक" से तात्पर्य तापीय परियोजना या जल-विद्युत परियोजना संगठन या केसा आदि परिषद के अधीन किसी अन्य संगठन के महाप्रबन्धक से है;
- ३.११ "अधीक्षण अभियन्ता" से तात्पर्य उस अधिकारी से है जो उ.प्र. राज्य विद्युत परिषद के अधीन अधीक्षण अभियन्ता के पद पर आसीन है;
- ३.१२ "अधिशासी अभियन्ता" से तात्पर्य ऐसे अधिकारी से है जो परिषद के अधीन अधिशासी अभियन्ता के पद पर कार्यरत हो;
- ३.१३ "सहायक अभियन्ता" से तात्पर्य सहायक अभियन्ता के पद पर कार्यरत अधिकारी अथवा ऐसे अधिकारी से है जिसे परिषद द्वारा उप-खण्ड का कार्यभार देकर उप-खण्ड अधिकारी के रूप में नामित किया गया हो;
- ३.१४ "अनुमोदित सेवा" से तात्पर्य परिषद द्वारा अनुमोदित किये गये नियत चयन के आ

पर परिषद के अधीन की गई सेवा से है;

- ३.१५ "अस्थायी कर्मचारी" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसकी सेवा में नियुक्ति की गई हो और जिसने परिबीक्षावधि पूरी कर ली हो परन्तु उस संवर्ग में किसी पद पर उसका स्थायीकरण न हुआ हो;
- ३.१६ "आयोग" से तात्पर्य विद्युत सेवा आयोग, उ.प्र. राज्य विद्युत परिषद से है;
- ३.१७ "चयन समिति" से तात्पर्य परिचालकीय कर्मचारियों की भर्ती तथा प्रोन्नति हेतु गठित चयन समिति से है;
- ३.१८ "छटनीशुदा कर्मचारी" से तात्पर्य ऐसे कर्मचारी से है जिसकी छटनी औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ के अन्तर्गत की गई है।
- ३.१९ "नियुक्ति अधिकारी" से तात्पर्य विनियम १३ (घ) एवं १५ (क) में परिभाषित अधिकारी से है;
- ३.२० "परिबीक्षाधीन" वह कर्मचारी है जिसकी नियुक्ति इन विनियमों के अन्तर्गत परिबीक्षा पर की गई हो और जिसने अपनी परिबीक्षावधि पूरी न की हो;
- ३.२१ "विभागीय कर्मचारी" से तात्पर्य उ.प्र. राज्य विद्युत परिषद के अधीन नियमित आधार पर सेवा में कार्यरत कर्मचारी से है। इनमें मस्टररोल, तदर्थ एवं श्रमिक संविदा अथवा अवकाश काल में की गयी नियुक्तियाँ सम्मिलित नहीं हैं;
- ३.२२ "विलीनीकरण" से तात्पर्य उन कर्मचारियों की सेवा विलीनीकरण से है जो परिषद की सेवा में मानक सेवा शर्तों के आधार पर परिचालकीय वर्ग सेवा में भूतपूर्व लाइसेंसधारियों व अन्य-अन्य अधिष्ठानों से लिये गये हैं;
- ३.२३ "संविधान" का तात्पर्य 'भारत का संविधान' से है।
- ३.२४ "सरकार" अथवा "राज्य सरकार" से तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है;
- ३.२५ "सेवा" का तात्पर्य उ.प्र. राज्य विद्युत परिषद के अधीन परिचालकीय कर्मचारियों की सेवा से है;
- ३.२६ "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य इस विनियमावली के उपबन्धों के अन्तर्गत या इस विनियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व लागू विनियमों व आदेशों के अन्तर्गत सेवा के वर्ग में किसी श्रेणी के पद पर नियुक्त व्यक्ति से है परन्तु इसमें प्रतिनियुक्त पर आये व्यक्ति सम्मिलित नहीं है;

- ३.२७ "स्थायी कर्मचारी" वह कर्मचारी है जिसको लिखित आदेश से सम्बन्धित संवर्ग के पद पर स्थायी घोषित कर दिया गया हो;
- ३.२८ "परिचालकीय कर्मचारी" से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो शारीरिक श्रम, अकुशल, कुशल परिचालन निर्माण तथा अनुरक्षण कार्य के लिए नियुक्त किया गया हो;
- ३.२९ "यात्रिक संवर्ग" से तात्पर्य उस संवर्ग से है जिसके पदों पर सीधी भर्ती हेतु अर्हता अखिल भारतीय/राज्य प्राविधिक व्यावसायिक प्रमाण-पत्र है या ऐसे पदों से जिन पर इन पदों से पदोन्नति द्वारा नियुक्ति की जाती है।

भाग-२

"संवर्ग"

४. सेवा संवर्ग

सेवा के सदस्यों तथा उसके प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी परिषद द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।

भाग-३

"भर्ती"

५. भर्ती के स्रोत

(क) सेवा में पदों पर मूल भर्ती निम्नवत् की जायेगी :-

- (१) इन विनियमों के भाग-५ में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा;
- (२) पदोन्नति द्वारा भर्ती, इन विनियमों के भाग-६ में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार;
- (३) उ.प्र. राज्य विद्युत परिषद सेवा काल में मृत परिषदीय सेवकों के आश्रितों की भर्ती विनियमावली- १९७५ (यथा संशोधित) तथा उ.प्र. राज्य विद्युत परिषद (भूमि अध्याप्ति से प्रभावित परिवार के सदस्य की नियुक्ति विनियमावली - १९८७ (यथा संशोधित) अथवा परिषद द्वारा समय-समय पर लागू किसी अन्य विनियम के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा;

- (ख) (१) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में कोई रिक्त पद बिना भरे छोड़ सकता है या पदों को सृजित करने के लिए उसे आस्थगित रक्खा जा सकता है। इससे कोई व्यक्ति किसी नियुक्ति/पदोन्नति अथवा किसी प्रतिकार का हकदार न होगा,

- (२) परिषद समय-समय पर ऐसे स्थायी/अस्थायी पदों का सृजन समाप्त कर सकता है जिन्हें यह आवश्यक समझे।

रिक्तियों का आरक्षण

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति और अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण समय-समय पर निर्गत परिषद के आदेशों के आधार पर होगा;

आरक्षित कोटे की गणना सामूहिक पदनाम वार (परिशिष्ट)। (क) एवं (ख) का कालम ३) नियुक्ति प्राधिकारी स्तर पर की जायेगी।

भाग-४

"अर्हताएं"

७. राष्ट्रीयता

सेवा में भर्ती के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित होना चाहिए

- (क) भारत का नागरिक या
- (ख) तिब्बती शरणार्थी जो १ जनवरी १९६२ से पूर्व भारत में स्थायी रूप से आवास की अभिलाषा से आया हो, या
- (ग) भारतीय मूल का कोई व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका तथा पूर्वी अफ्रीका के देश कीनिया, युगांडा और संयुक्त गणतन्त्र तन्जानिया (जो पहले टंगानिया या जंजीवार थे) से स्थायी रूप से भारत में आवास की अभिलाषा से आया हो;

प्रतिबन्ध यह है कि उत्तर प्रदेश में स्थायी रूप से रहने वाले अभ्यर्थियों को सदैव वरीयता दी जायेगी;

प्रतिबन्ध यह भी है कि उपयुक्त वर्ग (ख) या (ग) में आने वाला व्यक्ति ऐसा होगा जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र निर्गत किया जा चुका हो;

प्रतिबन्ध यह भी है कि वर्ग (ख) में आने वाले अभ्यर्थी को पुलिस महानिरीक्षक अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त पात्रता का प्रमाण-पत्र भी प्राप्त करना होगा;

अग्रिम प्रतिबन्ध यह भी है कि वर्ग (ग) में आने वाले अभ्यर्थी को पात्रता प्रमाण पत्र में दी अदधि के पश्चात् सेवा में नहीं रख जायेगा जब तक उसने भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र न प्राप्त कर लिया हो।

८. आयु

(क) सीधी भर्ती के अभ्यर्थी की आयु चयन के वर्ष में १ जनवरी को १८ वर्ष से कम तथा ३२ वर्ष से अधिक नहीं होगी;

प्रतिबन्ध यह है कि विभागीय अभ्यर्थियों के लिए प्रोन्नति पदों पर आयु की कोई सीमा नहीं है;

(ख) आयु की गणना परिशिष्ट-३ में वर्णित नियमानुसार की जायगी।

परन्तु यह है कि अनुसूचित जातियों को जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणी जो सरकार द्वारा समय-समय पर अभिसूचित की जाय, के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

९. शैक्षिक और तकनीकी योग्यताएँ तथा व्यावसायिक अनुभव

सेवा में सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति द्वारा भर्ती के लिये अभ्यर्थी की योग्यताएँ तथा अनुभव इत्यादि परिशिष्ट। (क) एवं (ख) में दिये हुए हैं;

परन्तु यह है कि इन विनियमों में वर्णित तकनीकी तथा व्यावसायिक योग्यताएं किसी भी संवर्ग के लिये उन भूतपूर्व लाइसेंसी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी जिनकी सेवाएँ इन्हीं सेवा शर्तों पर परिषद सेवा संवर्ग में समाविष्ट की जाती हैं।

१०. चरित्र

(क) सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र, परिषद की सेवा के लिये सर्वथा उपयुक्त होना चाहिए। नियुक्ति प्राधिकारी का कर्तव्य होगा कि अभ्यर्थी का नियुक्ति पत्र देने से पूर्व पुलिस के माध्यम से उसके चरित्र एवं पूर्णवृत्त को प्रमाणित करवा लें तथा इस बिन्दु पर निश्चित रूप से स्वयं को सन्तुष्ट कर लें परन्तु, किसी भी मामले में यह कार्य परीक्षादधि पूर्ण होने के बाद के लिये न छोड़ा जाये।

सेवा के मध्य कभी भी पुलिस द्वारा अच्छे चरित्र के प्रतिकूल सूचित किया जाता है तो उसे निरन्तर सेवा में रहने की आज्ञा नहीं दी जायेगी तथा उसकी सेवाएं विना किसी नोटिस, प्रतिकर अथवा वेतन के निरस्त कर दी जायेगी;

(ख) अभ्यर्थी को किसी संख्या जिसमें वह पहले अध्ययन कर चुका हो, के प्रधान से तथा दो उत्तरदायी व्यक्तियों जैसे ग्राम प्रधान, संसद सदस्य, विधान सभा/विधान परिषद सदस्य अथवा जिस क्षेत्र का वह निवासी है उस क्षेत्र के किसी राजपत्रित अधिकारी से सचरित्रता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा;

(ग) कोई व्यक्ति जो केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या किसी सार्वजनिक उद्यम की सेवा से पदच्युत किया गया हो वह सेवा में भर्ती के लिये अयोग्य होगा तथा यदि उसकी नियुक्ति

E-7

7

हो गई हो तो उसे निरन्तर सेवा में रहने की आज्ञा नहीं दी जायेगी तथा उसकी सेवायें बिना नोटिस/प्रतिकर अथवा वेतन के समाप्त कर दी जायेगी;

टिप्पणी : च तथा पूर्ववत् की प्रमाणिकता के लिए आवश्यक सूचना पॉस्ट-४ पर उपलब्ध प्रपत्र में दी गई है। यह प्रपत्र साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी द्वारा भरा जायेगा।

११. वैवाहिक स्थिति

कोई पुरुष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या कोई महिला अभ्यर्थी सगे किसी ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसके पहले से ही एक जीवित पत्नी हो तो सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। यदि नियुक्ति हो गई हो तो उसे बिना किसी सूचना/प्रतिकर अथवा वेतन के सेवा से निरस्त कर दिया जायेगा;

प्रतिबंध यह है कि यदि यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विषय कार विद्यमान है, तो परिषद किसी व्यक्ति को इस विनियम के उपबन्ध से छूट दे सकता है।

१२. शारीरिक स्वस्थता

सीधी भर्ती द्वारा लिया गया कोई भी अभ्यर्थी सेवा में तब तक किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह मानसिक एवं शारीरिक स्वस्थता का प्रमाण पत्र जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/उपमुख्य चिकित्साधिकारी अथवा किसी ऐसे चिकित्साधिकारी जिसे परिषद ने समय-समय पर इस रूप में प्राधिकृत किया हो, से लेकर प्रस्तुत न करे;

टिप्पणी :- परिषद/सरकार द्वारा निर्दिष्ट ऐसा शुल्क अभ्यर्थी को चिप परीक्षण हेतु अधिक के पास जमा करना होगा और इस शुल्क की परिषद द्वारा प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी।

भाग-५

“सीधी भर्ती”

१३. (क) वा में ऐसे श्रेणी के समस्त पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाय परीक्षा-१ (क) तथा (ख) में उल्लेख किया गया है। परिषद में छटनीशुदा कर्मचारियों को सदैव वरीयता दी जायेगी;
- (ख) सीधी भर्ती के पदों के लिये चयन Electricity Service, Commission (विद्युत सेवा आयोग) U.P. State Electricity Board (Limitation of Functions. Regulation-1978 (यथा संशोधित) के अनुसार विद्युत सेवा आयोग द्वारा किया जायेगा;
- (ग) विद्युत सेवा आयोग चयनित अभ्यर्थियों में से प्रत्येक खण्ड/मण्डल/परियोजना में सामान्य श्रेणी, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति तथा पिछड़ा वर्ग की शक्तियों के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को आवंटित करेगा.

E-8

8

- (घ) आवंटित अर्थ के नियुक्ति आदेश निम्न तालिका में दिये गये प्राधिकारियों द्वारा निर्गत किये जायेंगे -

परिशिष्ट (क) तथा (ख) में वर्णित पदों की श्रेणी	नियुक्ति प्राधिकारी
१	२
(I) श्रेणी प१ वेतनमान ५००-११९०	अधिकांसी-अभियन्ता
(II) श्रेणी प२ वेतनमान १०००-१३६०	
(III) श्रेणी प३ वेतनमान ११००-१५७५	
(IV) श्रेणी प४ वेतनमान १२००-१८००	
(V) श्रेणी प५ वेतनमान १३५०-२१६०	अधीक्षण-अभियन्ता
(VI) श्रेणी प६ वेतनमान १६५०-२६९०	

टिप्पणी :- यदि कालम-२ में अंकित नियुक्ति प्राधिकारी से उच्च प्राधिकारी भी किसी कर्मचारी के आदेश निर्गत करता है तो भी उसका नियुक्ति प्राधिकारी कालम-२ में अंकित प्राधिकारी ही उस श्रेणी का नियुक्ति प्राधिकारी माना जायेगा।

भाग-६ प्रोन्नति द्वारा भर्ती

१४. पारिशिष्ट १ (क) और १ (ख) में निर्देशित पारिशिष्ट द्वारा भरे जाने वाले पदों पर भर्ती परीक्षदीय कर्मचारियों की प्रोन्नति द्वारा की जायेगी। सेवा में किसी उच्च श्रेणी में प्रोन्नति हेतु पात्र होने के लिए सेवा के सदस्य को ऐसी अवधि तथा ऐसे ढंग से प्रशिक्षण/पुनःश्रवण (Refresher Course) पूरा करना होगा कि परिषद द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया गया हो।

१५. चयन समिति

(क) पारिशिष्ट १(क) एवं (ख) में वर्णित पदों की श्रेणी	चयन के लिये समिति	समिति के गठन के लिए संसद प्राधिकार	पद की नियुक्ति प्राधिकारी
	२	३	४
(I) श्रेणी प६ वेतनमान	ऐसी समिति जिसमें सम्बन्धित मंडल, सम्बन्धित मंडल के उपक्रम का अधीक्षण अभियन्ता या अधीक्षण अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता

E-9

9

1	2	3
१६५०-२६९०	परियोजना पर वरिष्ठतम अधीक्षण अभियन्ता संयोजक तथा दो	अथवा परियोजनाओं पर हाथबन्धक/परियो-
(II) श्रेणी प५	वरिष्ठतम अधिशासी अभियन्ता	जना प्रमुख अथवा उपक्रम
वेतनमान	सदस्य हों। यदि इन तीन सदस्यों	का मुख्य अभियन्ता, जैसी
१३५०-२१६०	में एक सदस्य अनुसूचित जाति या	स्थिति हो
	अनुसूचित जन जा तथा एक	
	सदस्य अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित	
	न हो तो ऐसे वर्ग का अन्य मंडलों	
	में कार्यरत अधिशासी अभियन्ता	
	सदस्य होगा या होंगे।	
(III) श्रेणी प४	ऐसी समिति जिसमें मंडल/परियो-	उपरोक्त अधिशासी
त	जना/उपक्रम में कार्यरत वरिष्ठतम	अभियन्ता
१२००-१८००	अधिशासी अभियन्ता संयोजक तथा	
	मंडल/परियोजना/उपक्रम के दो	
(IV) श्रेणी प३	अन्य अधिशासी अभियन्ता सदस्य	
वेतनमान	हों। जिनमें से एक अनुसूचित	
११००-१५७५	त/जाति तथा एक पिछड़ा	
	वर्ग का होना चाहिए।	
(V) श्रेणी प२	यदि मंडल में ऐसे अधिशासी	उपरोक्त अधिशासी
वेतनमान	अभियन्ता कार्यरत नहीं है तो	अभियन्ता
१०००-१३६०	अन्य मंडलों में कार्यरत ऐसे वर्ग	
	के अधिशासी अभियन्ता/सहायक	
	अभियन्ता या उ समतुल्य	
	अधिकारी अतिरिक्त सदस्य होगा	
	या होंगे।	

प्रथम प्रतिबन्ध यह है कि :-

- (I) श्रेणी प५ एवं श्रेणी प६ के पदों पर पदोन्नति के लिए मंडल एक इकाई माना जायेगा च मंडल में कितने ही खण्ड हो। सभी खंडों की रिक्तियों को संयुक्त कर सभी खंडों में कार्य पात्र कर्मचारियों से चयन किया जायेगा;
- (II) श्रेणी पर से लेकर श्रेणी प४ तक के पदों पर पदोन्नति के लिए एक खण्ड को एक इकाई माना जायेगा;

द्वितीय परन्तु यह भी है कि परियोजना तथा उपक्रम (अंडरटेकिंग) पर श्रेणी पर से लेकर श्रेणी प६ तक के पदों पर पदोन्नति के लिए पूरे परियोजना/उपक्रम को एक इकाई माना जायेगा चाहे परियोजना/उपक्रम पर कितने ही मंडल/खण्ड हों। सभी मंडलों/खण्डों की रिक्तियों को संयुक्त कर सभी मंडलों/खण्डों में कार्यरत पात्र कर्मचारियों से चयन किया जायेगा;

टिप्पणी : - चयन समिति के उद्देश्यों के लिए सबसे वरिष्ठ वह अधिकारी है जो अपने संवर्ग की पूर्ण जेष्ठता सूची में वरिष्ठ हो।

- (ख) यदि चयन समिति का कोई सदस्य किसी ऐसे व्यक्ति जो पदोन्नति द्वारा किसी पद के अभ्यर्थी है, से सम्बन्धित है या रुचि रखता है तो उसे अभ्यर्थी से अपना सम्बन्ध या जैसा भी मामला हो, पहले से ही लिखित रूप में चयन समिति के संयोजक के समक्ष प्रकट करना होगा तथा स्वयं को ऐसे अभ्यर्थी के चयन सम्बन्धी समिति की कार्यवाही से दूर रखना होगा। ऐसी अनुपस्थिति होते हुए भी समिति की कार्यवाही चलती रहेगी;

प्रतिबन्ध यह है कि समिति की किसी बैठक में सदस्य संख्या दो से कम न हो। यदि उप विनियम के अधीन संयोजक स्वयं को किसी बैठक से अलग करता है तो बचे हुए सदस्य कार्य करेंगे तथा उनमें से वरिष्ठतम अधिशासी अभियन्ता संयोजक के रूप में कार्य करेगा।

चयन प्रक्रिया

नके

- (क) जिन पदों पर नियुक्ति क चा से न्त द्व की जानी है, उन पदों पर प्राधिकारी पात्र अभ्यर्थियों जो प्रोन्नति हेतु अपनी इच्छा दर्शाते हैं, से निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट ५) पर विस्तृत विवरण मांगेगा:

परन्तु यह है कि परियोजना पर यह विवरण महा-प्रबन्धक/परियोजना प्रमुख या उनके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा उचित माध्यम से मांगा जायेगा;

- (ख) पात्र अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में खण्ड स्तर पर एक सूची निर्मित कर चयन स के संयोजक को रिक्तियों की संख्या के साथ भेजी जायेगी। यह सूची निम्न प्रकार बनाई जायेगी:-

- (I) यदि पात्रता का क्षेत्र निम्न पद के केवल एक पदनाम तक सीमित है तो खण्ड स्तर पर उस पदनाम की उपलब्ध ज्येष्ठता सूची के अनुसार;
- (II) यदि पात्रता का क्षेत्र समान वेतन संवर्ग के विभिन्न पदनामों तक बढ़ा है तो उ नामों को इस संवर्ग में स्याई नियुक्ति की तिथि से व्यवस्थित किया जायेगा। एक ही पदनाम के कर्मचारियों की साक्षेप स्थिति वही रहेगी जो उस पदनाम की ज्येष्ठता सूची में है;
- (III) यदि पात्रता का क्षेत्र न्म पदों की अनेक श्रेणियों तक बढ़ा हुआ है तब ऐसे पदों में उच्च वेतनमान वाले संवर्गों के अभ्यर्थियों को उनकी ज्येष्ठता के अनुसार सूची में पहले तथा उसके बाद अगले निम्न संवर्ग के अभ्यर्थियों को उनकी ज्येष्ठता के अनुसार रखा जायेगा;

परन्तु यह है कि न पदों पर चयन के ए मंडल अथवा प जना एक का माना गया है उन पदों के लिये यह सूची मंडल अथवा परियोजना स्तर पर निम्न प्रकार बनाई जायेगी:-

श्रेणी प५ एवं श्रेणी प६ के पदों पर चयन के लिये खण्डों से प्राप्त सूचियों से एक सम्मिलित सूची मंडल स्तर पर बनाई जायेगी। यह सूची स्याई नियुक्ति की तिथि के आधार पर बनाई जायेगी। एक खण्ड के अभ्यर्थियों की साक्षेप ज्येष्ठता वही रखी जायेगी जो खंड से प्राप्त सूची में है। यदि दो खण्डों में दो या अधिक अभ्यर्थियों की नियुक्ति तिथि एक है तो साक्षेप वरिष्ठता विनियम २२ की विधि से निश्चित की जायेगी;

परन्तु यह है कि परियोजना पर यह सूची सभी श्रेणियों के लिए संयोजक र पर बनाई

- (ग) चयन का आधार "ज्येष्ठता अनुपयुक्त को छोड़ते हुये" होगा।
- (घ) उपयुक्तता का आंकलन अभ्यर्थी के पिछले ५ वर्षों के किया कलाओंका वार्षिक आंकलन (वार्षिक गोपनीय आख्या/प्रपत्र परिशिष्ट-६) तथा साक्षात्कार के आधार पर किया जायेगा।
- साक्षात्कार में समिति 'अभ्यर्थियों के व्यक्तित्व, व्यवसायिक गुण, वर्तमान एवं नवीन रूढ़ि कार्यों का ज्ञान तथा करने की क्षमता आदि के सम्बन्ध में निर्णय लेगी;

- (च) उपरोक्त उप-विनियम १६(ख) के अधीन बनाई गई सूची के आधार पर चयन समिति अभ्यर्थियों को निम्न संख्या में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करेगी :-

पदोन्नति द्वारा भरे जाने
वाले रिक्त पदों की संख्या

साक्षात्कार के लिए बुलाये
जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या

१ से ९ तक

रिक्त पदों की संख्या से दो
गुने, न्यूनतम पांच

१० एवं अधिक

रिक्त पदोंकी संख्या से
इपोडे, न्यूनतम बीस

- (छ) समिति जिन अभ्यर्थियों को उपयुक्त पाती है उनकी सूची उपरोक्त ज्येष्ठता कम में तैयार करेगी। इस सूची में आरक्षित कोटे तथा सामान्य कोटे के अभ्यर्थियों की साक्षेप वरिष्ठता तत्समय परिषद द्वारा घोषित नियुक्ति के लिये लागू क्रमावली (रोस्टर) के अनुसार की जायेगी;

समिति द्वारा यह चयनित अभ्यर्थियों की सूची सम्बन्धित नियुक्ति अधिकारी को भेज दी जायेगी;

प्रतिबन्ध यह है कि परियोजना पर यह सूची महा-प्रबन्धक/परियोजना प्रमुख को भेजी जायेगी।

१७. सम्मिलित चयन सूची :

उन पदों के लिए जिन पर सीधी भर्ती तथा पदोन्नति द्वारा दोनों प्रकार नियुक्ति की जाती है, नियुक्ति अधिकारी विद्युत सेवा आयोग द्वारा आवंटित अभ्यर्थियों तथा चयन समिति द्वारा पदोन्नति के उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों की एक सम्मिलित सूची तैयार करेगा। इस सम्मिलित सूची में पहला नाम विभागीय कर्मचारी जिसकी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति होनी है

का होगा। उसके बाद सीधी भर्ती वाले अभ्यर्थियों के नाम उसी अनुपात में होंगे जो अनुपात पदोन्नति द्वारा भर्ती तथा सीधी भर्ती का है;

यदि किसी कारण यह दोनों भर्ती की कार्यवाही एक साथ होना सम्भव न हो तो जो न्यून उपलब्ध है उसी के अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जा सकती है।

भाग - ७

नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण, ज्येष्ठता आदि

१८. नियुक्ति प्राधिकारी :

विभिन्न श्रेणियों के पदों हेतु विनियम १३(घ) एवं १५(क) में दिये विवरण के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी होंगे,

यदि इन विनियमों में अंकित नियुक्ति प्राधिकारी से उच्च प्राधिकारी भी किसी कर्मचारी के कोई नियुक्ति आदेश निर्गत करता है तो भी उसका नियुक्ति प्राधिकारी विनियम १३(घ) एवं १५(क) में वर्णित प्राधिकारी ही उस श्रेणी का नियुक्ति प्राधिकारी माना जायेगा।

१९. नियुक्ति :

विनियम-१७ के अन्तर्गत निर्मित सूची में से, नियुक्ति प्राधिकारी विभिन्न पदों पर, जिसमें अस्थाई एवं कार्यवाहक रिक्तियाँ भी सम्मिलित हैं, नियुक्ति करेंगे। नियुक्तियाँ उसी क्रम में की जायेगी जिस क्रम में अभ्यर्थियों का नाम सूची में दर्शाया गया है।

किसी भी पद पर नियुक्ति सेवा के प्रत्येक सदस्य को ऐसी अवधि तथा ऐसे ढंग से प्रशिक्षण पूरा करना होगा जैसा कि परिषद द्वारा समय समय पर निर्दिष्ट किया जायेगा।

२०. कार्यभार ग्रहण करते समय प्रमाण-पत्र एवं घोषणा पत्र को प्रस्तुत करना :

सीधी भर्ती द्वारा चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उस प्राधिकारी के सम्मुख जहाँ वह पहली बार कार्यभार ग्रहण करता है, निम्नलिखित प्रमाण-पत्र/घोषणा-पत्र प्रस्तुत करने होंगे :-

- (क) विनियम - १० एवं १२ के अधीन वांछित प्रमाण पत्र
- (ख) घोषणाएँ :
- (१) विनियम - ११ के अनुसार वैवाहिक स्थिति के सम्बन्ध में
- (११) परिषद के अधीन सेवारत किसी व्यक्ति से उसका सम्बन्ध,

- (iii) कि वह ऋण मुक्त है;
- (iv) सभी चल अचल सम्पत्ति का जोरा जो अभ्यर्थी या उसके परिवार के आश्रित सदस्यों के पास है अथवा अधिग्रहीत की गई है। इस सम्पत्ति का पूर्ण एवं सही विवरण परिशिष्ट-७ द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया जायेगा;
- (v) परिवार के सदस्यों एवं आश्रितों की सूची;
- (vi) परिव्रज की निष्पक्ष एवं विश्वसनीयता के साथ सेवा करने सम्बन्धी घोषणा परिशिष्ट-८ में निर्धारित प्रपत्र पर;
- (vii) यह कि किसी न्यायालय द्वारा किसी आपराधिक मामले में दण्डित नहीं किया गया।

२१. नियुक्ति पर पद भार ग्रहण करने की अवधि :

यदि कोई सीधी भर्ती द्वारा चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति आदेश में दी गई समयावधि के अन्दर अपना कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो नियुक्ति अधिकारी द्वारा यह समयावधि अधिक से अधिक एक माह के लिए बढ़ाई जा सकती है जिसके पश्चात उपरोक्त नियुक्ति आदेश समाप्त हो जायेंगे और अभ्यर्थी को नियुक्ति पाने का कोई अधिकार नहीं होगा। किसी भी अभ्यर्थी को बिना उपरोक्त प्रमाण-पत्र एवं घोषणा-पत्र प्रस्तुत किये कार्यभार ग्रहण नहीं करने दिया जायेगा;

पदोन्नति द्वारा भर्ती के सम्बन्ध में प्रतिबन्ध यह होगा कि यदि कोई अभ्यर्थी नियुक्ति आदेश में दिये गये समयावधि या तीस दिन जो भी कम हो, के अन्तर्गत नये नियुक्ति स्थान पर अपना कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसके नियुक्ति आदेश रद्द समझे जायेंगे और अभ्यर्थी पदोन्नति का हकदार नहीं होगा।

२२. ज्येष्ठता :

- (i) जिस पद का जो नियुक्ति प्राधिकारी है उस पद की ज्येष्ठता सूची उसी अधिकारी स्तर पर बनाई जायेगी;

प्रतिबन्ध यह है कि परियोजना पर यह सूची जिस इकाई से सदस्य के सेवा सम्बन्धी मामलों का निस्तारण होता है उस इकाई स्तर पर बनाई जायेगी;

- (ii) परिशिष्ट I (क) तथा I (ख) के कालग २ में जिन पदों का कालग-३ में एक पदनाम दर्शाया गया है उनकी एक ज्येष्ठता सूची होगी;

- (iii) किसी भी पद की ज्येष्ठता सूची नियुक्ति तिथि के क्रम में बनाई जायेगी। यदि दो सदस्यों की नियुक्ति तिथि एक है तो उनकी वरिष्ठता उनकी जन्मतिथि के अवरोहण क्रम में व्यवस्थित की जायेगी जो आयु में अधिक होगा वह वरिष्ठ होगा। यदि दो या अधिक सदस्यों की जन्मतिथि भी एक है तो उनकी पारस्परिक ज्येष्ठता उसके नाम के प्रथम अंग्रेजी अक्षर के अनुसार

अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निर्धारित की जायेगी;

- (IV) जिन पदों पर सीधी भर्ती तथा विभागीय कर्मचारियों की पदोन्नति दोनों प्रकार से नियुक्तियाँ की जानी है और नियुक्ति तिथि एक है तो इन दोनों प्रकार के अभ्यर्थियों की सापेक्ष ज्येष्ठता निम्न प्रकार की जायेगी;

पदोन्नति द्वारा नियुक्ति वाले सदस्य का नाम ज्येष्ठता सूची में प्रथम तथा उसके बाद सीधे भर्ती वाले सदस्य के नाम उसी अनुपात में होंगे जो अनुपात पदोन्नति द्वारा भर्ती तथा सीधी भर्ती का है;

- (VI) एक तिथि को सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति द्वारा नियुक्ति सेवा के आरक्षित कोटे और सामान्य श्रेणी के सेवा की सदस्यों की पारस्परिक वरिष्ठता तत्समय परिषद द्वारा इस सम्बन्ध में नियुक्ति के लिये निर्धारित क्रियावली (रोस्टर) के अनुसार की जायेगी;

परन्तु यह है कि जिन पदों पर पदोन्नति तथा सीधी भर्ती अर्थात् दोनों प्रकार से नियुक्ति की जानी है उनके सम्बन्ध में नियुक्ति तिथि एक होने पर पहले सापेक्ष वरिष्ठता पदोन्नति वाले सदस्यों की आपस में और सीधी भर्ती वाले सदस्यों की आपस में व्यवस्थित की जायेगी। उसके उपरान्त इन दोनों प्रकार के सदस्यों की सापेक्ष वरिष्ठता विनियम-२२ (IV) के अनुसार निर्धारित की जायेगी;

- (VI) केसा अथवा किसी पूर्व लाइसेन्सधारियों के कर्मचारियों के परिषदीय संवर्ग में संविलीनीकरण करनेकी स्थिति में ऐसे कर्मचारी की ज्येष्ठता उसके विलीनीकरण की तिथि में उस संवर्ग में अनुमोदित कर्मचारियों के नीचे निर्धारित की जायेगी;

परन्तु यह है कि यदि किसी तिथि को किसी एक ही लाइसेन्सधारी या केसा के एक से अधिक कर्मचारियों का एक ही पद पर संविलीनीकरण किया गया है तो उनके पैतृक विभाग में जो उनकी पारस्परिक ज्येष्ठता थी वहीं यथावत रखी जायेगी;

परन्तु यह भी है कि यदि एक से अधिक पूर्व लाइसेन्सधारियों के कर्मचारी एक साथ एक ही तिथि को एक ही संवर्ग में संविलीन किये जाते हैं तो उनकी पारस्परिक ज्येष्ठता उनकी सेवा अवधि के आधार पर निर्धारित की जायेगी और यदि सेवा अवधि समान है तो उनके जन्म तिथि के क्रम में निर्धारित की जायेगी;

टिप्पणी : संविलीन की तिथि कर्मचारी द्वारा संविलीन के लिये सहमति देने की तिथि मानी जायेगी;

- (VII) विनियम ५(क) (३) के अन्तर्गत नियुक्त सदस्यों की ज्येष्ठता उस पद पर ऐसे अनुमोदित सदस्यों के नीचे रखी जायेगी जो नियुक्ति की तिथि को सेवा में थे;

- (VIII) स्थानान्तरण होने पर वरिष्ठता --

- (अ) परिषद हित में स्थानान्तरण होने पर

जो सेवा का सदस्य पद के हित में एक इकाई जिस स्तर पर उसकी वृद्धता निश्चित है, से दूसरी इकाई में परिषद हित में स्थानान्तरित किया जाता है तो उनकी नई इकाई में वरिष्ठता उस पद के ग्रेड में नियुक्ति की तिथि के अनुसार निर्धारित की जायेगी;

(व) अपनी प्रार्थना पर स्थानान्तरण होने पर

जो कर्मचारी उसके अनुरोध पर एक इकाई से दूसरी इकाई में स्थानान्तरित किए जाएंगे, तो नई इकाई में सम्बन्धित पद/ग्रेड में मौजूदा पदधारियों के समान दी जायेगी भले ही इन स्थानान्तरित कर्मचारियों की अपने पद में सेवा की अवधि कुछ भी हो। परस्पर अदला-बदली के माध्यम से स्थानान्तरणों से भी वही सिद्धान्त लागू होगा;

(IX) वरिष्ठता सूची का प्रकाशन और उसके सम्बन्ध में आपत्तियाँ

जिस कर्मचारी की परीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है, उसका वरिष्ठता, नियुक्ति में बड़ी हुई अवधि जोड़कर जो तिथि आती है उसके अनुसार निर्धारित की जायेगी;

सम्बन्धित कर्मचारियों को यह अनुमति होगी कि वरिष्ठता सूची के प्रकाशन के दो महीने के भीतर वे निर्धारित किए गए अपने वरिष्ठता क्रम के बारे में, कारण बताते हुए अप्पेल्शन कर सकें। वरिष्ठता में संशोधन करने के लिए कोई भी मामला इस अवधि के बाद स्वीकार नहीं किया जायेगा।

पद का एवं स्थानान्तरण

- (1) सेवा के किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परीक्षा पर रखा जायेगा। ऐसे परीक्षा काल जिसमें बढ़ाया हुआ काल भी सम्मिलित है, के सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर कर्मचारी को स्थायी पद उपलब्ध होने पर और परिषद द्वारा समय-समय पर निर्धारित अन्य शर्तों को पूरा करने पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक विशेष आदेश निर्गत करके स्थायी कर दिया जायेगा। जब तक स्थायीकरण के आदेश निर्गत नहीं हो जाते परीक्षा अवधि समाप्त हो जाने के उपरान्त सेवा का सारा अर्थात् कर्मचारी कहलायेगा;

यह है कि किसी भी पद पर पदोन्नति द्वारा नियुक्ति पर कोई परीक्षा न होगी;

परन्तु यह भी है कि नियुक्ति अधिकारी द्वारा किसी मामले में परीक्षा काल एक निर्धारित अवधि तक बढ़ाया जा सकता है जो कि किसी भी अवस्था में प्रथमतः छ महीने से अधिक नहीं होगा। किसी भी मामले में परीक्षा काल एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है।

- 2 यदि परीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके

अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत होता है कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं;

३. जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति की सेवाएं परिवीक्षा अवधि के मध्य, परिवीक्षा अवधि के अन्त में अथवा बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के मध्य, समाप्त की जा रही हो वह औद्योगिक विवाद अधिनियम-१९४७ के प्राविधानों के अनुसार मुआबजे का अधिकारी होगा।

भाग-८

अधिकार, चाल-चलन एवं अनुशासन

२४. अधिकार

(1) चरित्र पंजिका में प्रविष्ट हेतु सक्षम प्राधिकारी

संवर्ग का पद	प्रतिवेदक अधिकारी	समीक्षक अधिकारी	अन्तिम अधिकारी	प्रतिकूल प्रविष्टि यदि कोई हो, तो सूचित करने वाला अधिकारी	प्रतिकूल प्रविष्टि के विरुद्ध प्रत्या- वेदन हेतु अधि- कारी
१	२	३	४	५	६
१. परिचालकीय कर्मचारी श्रेणी-प५ तथा-प६	सहायक अभियन्ता	—	अधिशाली अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता/ मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता/ महाप्रबंधक/मुख्य अभियन्ता
२. परिचालकीय कर्मचारी श्रेणी-प२, प३, प४	अवर अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधिशाली अभियन्ता	अधिशाली अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता
३. श्रेणी -प१	अवर अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधिशाली अभियन्ता	अधिशाली अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता

टिप्पणी : प्रविष्टि परिशिष्ट-६ वाले प्रपत्र में दी जायेगी।

(11) निलम्बन आदेश हेतु सक्षम अधिकारी

२५

संवर्गों के पद	प्राधिकारी
१	२
परिचालकीय कर्मचारी श्रेणी प१ से प६	अधिक्षासी अभियन्ता

टिप्पणी : कोई अन्य अधिकारी जिसके उपरोक्त स्तम्भ-२ में वर्णित अधिकारी अधीनस्थ हो, वह भी इन विनियमों के अधीन सेवा के किसी सदस्य को निलम्बित करने हेतु सक्षम होगा।

(111) दण्ड देने हेतु सक्षम अधिकारी

संवर्ग की श्रेणी	अल्प दण्ड हेतु (चेतावनी, निन्दा प्रविष्टि, दक्षतारोक सहित वेतन वृद्धि रोकने तथा आर्थिक हानि के कारण वेतन से बसूली तथा जुर्माना)	बड़े दण्ड हेतु (पदावनति करके, समयबद्ध वेतनमान में निम्न स्तर करने, सेवा से हटाये जाने या निरस्त करने)
१	२	३
१. परिचालकीय कर्मचारी श्रेणी प१ व प६	अधिक्षासी अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता
२. परिचालकीय कर्मचारी श्रेणी प१ व प४	अधिक्षासी अभियन्ता	अधिक्षासी अभियन्ता

टिप्पणी : कोई अन्य अधिकारी जिसके उपरोक्त स्तम्भ-२ और ३ में वर्णित प्राधिकारी अधीनस्थ हो वे भी इन विनियमों के अधीन सेवा में किसी सदस्य को छोटा या बड़ा दण्ड देने हेतु सक्षम होगा।

दण्ड के विरुद्ध पुनरीक्षण अधिकारी दण्ड अधिकारी से अगला प्रभारी अधिकारी जिसके अधीन दण्ड अधिकारी कार्यरत है, होगा।

२५. चाल-चलन

२५. (१) सामान्य

सेवा का प्रत्येक सदस्य :

- (I) प्रत्येक समय पर सत्यनिष्ठा तथा कर्तव्य परायणता बनाये रखेगा;
- (II) निष्पक्ष भाव से अपने वरिष्ठ के आदेशानुसार कार्य करेगा;
- (III) किसी भी समय कार्यस्थल पर परिषद के हित अथवा सम्मान के विरुद्ध कार्य नहीं करेगा;
- (IV) उपभोक्ताओं, उच्च अधिकारियों, सहयोगियों एवं जन प्रतिनिधियों से नम्रतापूर्वक एवं शांतिनता से व्यवहार करेगा;

उपरोक्त सिद्धान्तों के विपरीत चाल-चलन दुराचरण माना जायेगा।

२५.२ नशीले पदार्थों का सेवन

परिषद का कर्मचारी

- (I) उस क्षेत्र में लागू जिसमें कि वह उस समय कार्यरत हो, नशीले पदार्थों तथा किसी प्रकार के नशे से सम्बन्धित कानून का कड़ाई से पालन करेगा;
- (II) ड्यूटी के समय में किसी नशीले पेय अथवा नशे के प्रभावाधीन नहीं होगा और इस बात का भी पूरा ध्यान रखेगा कि ऐसे पेय अथवा नशे के प्रभाव के कारण उसके कर्तव्य पालन पर किसी प्रकार का कुप्रभाव नहीं पड़ेगा;
- (III) किसी सार्वजनिक स्थल पर नशीले पेय अथवा नशे के सेवन से परहेज करेगा;
- (IV) नशे की हालत में किसी सार्वजनिक स्थल पर नहीं जायेगा;

स्पर्दीकरण

- (I) इस विनियम के निमित्त सार्वजनिक स्थान में वह सारे स्थान तथा ~~स्थान~~ साधन आते हैं जहां प्रत्येक व्यक्ति (परिषदीय कर्मचारी अथवा अन्य सहित) जाने का अधिकारी है।
- (II) ऐसे क्लब जिनमें परिषद कर्मचारी के अलावा भी सदस्य हों या जहां परिषद सदस्यों के अलावा भी अन्य व्यक्ति चाहे वह परिषद के कर्मचारी हो अतिथि के रूप में, आमंत्रित किये जाते हों, भी सार्वजनिक स्थान माने जायेंगे।

२५.३ राज— एवं चुनावों में भाग लेना :

- (i) विधि द्वारा विशिष्ट रूप से प्राधिकृत स्थिति को छोड़कर, — भी कर्मचारी किसी राज—क दल अथवा ऐसे संगठन का सदस्य नहीं बनाया गया तब उससे सम्बन्ध नहीं रखेगा जो राजनीति में भाग लेता हो अथवा किसी आन्दोलन एवं गतिविधि में जो परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सरकार/परिषद विरुद्ध हो में सहायता करता हो, — न ही चन्दे या अन्य किसी प्रकार से सहायता करेगा;
- (ii) सेवा के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा कि वह अपने परिवार के किसी भी सदस्य को किसी भी ऐसे आन्दोलन अथवा क्रिया-कलाप जो परिषद अथवा सरकार के बनाये गये नियमों के विपरीत हो, में भाग लेने, सहयोग देने अथवा किसी अन्य तरीके से सहायक होने से रोकेगा और यदि वह अपने परिवार के किसी सदस्य को ऐसे क्रिया कलापों में भाग लेने, सहायता देने अथवा अन्य किसी प्रकार से सहायक हो होने से रोकने में असफल रहता है तो वह उसकी सूचना तुरन्त अपने वरिष्ठ को —।
- (iii) सेवा का कोई भी सदस्य —सी भी वैधानिक अथवा स्थानीय प्राधिकरण/पंचायत के चुनाव में न तो प्रचार करेगा, न अपने प्रभाव का प्रयोग करेगा और न ही भाग

प्रतिबन्ध यह है कि —

- (अ) कोई सदस्य जो —ाव में मतदान करने के — अर्ह है अप— म—दा— अधिकारों का प्रयोग कर सकता है किन्तु वह यह —त नहीं क—गा कि किस प्रकार मतदान करना चाहता है या मतदान किया है;
- (ब) यदि कोई सदस्य किसी चुनाव में किसी विधि द्वारा निहित प्रा—द्या— के अन्तर्गत अथवा अन्य किसी प्रकार से उसे दिये गये कर्तव्यों के पालन में किसी चुनाव में सहायता करता है तो उसे इस अनुच्छेद का —लंघन नहीं माना —गा।

E-21

21

स्पष्टीकरण

सेवा के सदस्य द्वारा अपने घर, बाह्य अथवा निवास स्थान पर किसी चुन-चिन्ह के — का अर्थ चुनाव के सम्बन्ध में उसके द्वारा अपने प्रभाव का उपयोग माना जायेगा।

प्रदर्शनों/हड़तालों में भाग लेना व संघों का सदस्य बनना

- (I) सेवा का कोई भी सदस्य किसी ऐसे प्रदर्शन/रैली में अपने को न लाना अथवा भाग लेना जो भारत की एकता और सार्वभौमिकता, सुरक्षा विदेशों से नैतिक सम्बन्ध, जनिक शान्ति व नैतिकता के विरुद्ध हो या न्यायालय की अवमानना या अपराध करने को उकसाने से सम्बन्धित हो;
- (II) चाहे जो भी कारण हो, सेवा का कोई भी सदस्य न तो किसी गैर कानूनी हताल में भाग लेगा और न ही उसे बढ़ावा देगा;
- (III) सेवा का कोई सदस्य ऐसे संघों का सदस्य नहीं बनेगा अथवा अपनी सदस्यता जारी नहीं —गा जिसके उद्देश्य अथवा गतिविधियां भारत की प्रभुसत्ता, एकता, सार्वजनिक व्यवस्था अथवा एकता के प्रतिकूल हो।

प्रेस, रेडियो या दूरदर्शन से सम्बन्ध :

- (I) नियुक्ति अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना सेवा का कोई भी सदस्य किसी समाचार पत्र अथवा अन्य साप्ताहिक प्रकाशन का पूर्णतः अथवा अंशतः स्वामी नहीं बनेगा अथवा उस संपादन अथवा प्रबंध में भाग नहीं लेगा;
- (II) नियुक्ति अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना अथवा अपने कर्तव्यों के वास्तविक पालन में, अपने नाम से अथवा बेन — अथवा छद्मनाम से अथवा किसी अन्य व्यक्ति के नाम से रेडियो, टेलीविजन से कुछ प्रसारित नहीं करेगा और न ही कोई पुस्तक लिखेगा अथवा प्रकाश — करे — अथवा किसी समाचार पत्र अथवा पत्रिका को कोई लेख भेजेगा अथवा पत्र लिखेगा। लेकिन यदि ऐसा प्रसारण अथवा लेख पूर्णतया साहित्यिक, कलात्मक अथवा वैज्ञानिक प्रकृति का हो तो ऐसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।

रकार तथा परिषद की आलोचना

कोई भी सेवा का सदस्य किसी रेडियो, टी.वी. प्रसारण में अपने नाम से अथवा किसी उपनाम या छद्मनाम से प्रकाशित — लेख में अथवा समाचार पत्रों के नाम किसी पत्र में अथवा किसी जन-भाषण में ऐसा — कथन नहीं करेगा;

- (I) जिससे उसके उच्च अधिकारियों अथवा भारत/प्रदेश सरकार अथवा परिषद की किसी नीति अथवा कार्य की प्रतिकूल आलोचना होती हो; अथवा
- (II) जिससे परिषद तथा जनता के बीच अथवा परिषद तथा सरकार के बीच सम्बन्धों के बिगड़ने की संभावना पैदा होती है;

परन्तु यह है कि अपने सौंपे गये कर्तव्यों के पालन में यदि कर्मचारी पूर्णतया वास्तविक वक्तव्य देता है अथवा विचार व्यक्त करता है तो यह नियम लागू नहीं होगा;

२५.७ समिति अथवा किसी अन्य प्राधिकरण के समक्ष गवाही

- (I) उपनियम (III) में दी हुई व्यवस्था को छोड़कर सेवाका कोई सदस्य, नियुक्ति अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी व्यक्ति, समिति अथवा प्राधिकरण द्वारा की जा रही जांच के सम्बन्ध में गवाही नहीं देगा;
- (II) जहां उप-नियम (I) के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान की जा चुकी हो, ऐसी गवाही देने वाला कोई भी कर्मचारी सरकार अथवा परिषद की किसी नीति अथवा कार्य की आलोचना नहीं करेगा;
- (III) इस नियम की कोई बात निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी:
 - (क) सरकार, संसद अथवा राज्य विधान-मण्डल अथवा परिषद द्वारा नियुक्त प्राधिकारी के समक्ष किसी जांच में दी गई गवाही;
 - (ख) किसी न्यायिक जांच में दी गई गवाही; अथवा
 - (ग) सरकार/परिषद के अधीनस्थ प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किसी विभागीय जांच में दी गई गवाही।

२५.८ अनाधिकृत रूप से जानकारी देना

परिषद के किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश के अनुसरण अथवा सौंपे गये कर्तव्यों के सदाशयपूर्ण पालन की स्थितियों को छोड़कर कोई भी कर्मचारी, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रलेख अथवा उसके किसी भाग की अथवा कोई अन्य जानकारी किसी ऐसे परिषद कर्मचारी या अन्य व्यक्ति को नहीं देगा, जिसे ऐसे प्रलेख अथवा जानकारी देने का प्राधिकार उसे प्राप्त नहीं है।

स्पष्टीकरण : सेवा के किसी भी सदस्य द्वारा अपने प्रत्यावेदन में अपने उच्च अधिकारी को किसी पत्रावली का उद्धरण प्रस्तुत करना इस विनियम के अन्तर्गत अनाधिकार चेष्टा समझी जायेगी।

कोई भी

कोष

सदस्य

तिरि

E-23

23

२५.२ चन्दा :

सेवा का कोई भी सदस्य अपने नियुक्ति प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना न तो किसी प्रकार का चन्दा/दान मांगेगा, न स्वीकार करेगा और न ही को बढ़ाने के लिये किसी भी उद्देश्य से सहायक सिद्ध होगा।

२५.३० उपहार

सेवा का कोई भी अपने नियुक्ति प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना

- (अ) प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अपने या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से,
- (ब) अपने आश्रित परिवार के किसी सदस्य को अपने घनिष्ठ रिश्तेदारों के अथवा अन्य किसी व्यक्ति से कोई भेंट, दान अथवा पुरस्कार लेने की आज्ञा नहीं देगा।

प्रतिबन्ध यह है कि वह स्वयं अथवा अपने परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से अपने व्यक्तिगत मित्र से विवाह अथवा किसी अन्य समारोह के अवसर पर ५०१/- रुपये मूल्य तक की भेंट स्वीकार कर सकता है। तथापि सेवा के प्रत्येक सदस्य को इस प्रकार के उपहारों के लेन-देन को बढ़ावा देने से रोकना चाहिए।

स्पष्टीकरण : "उपहार" शब्द में ऐसी निःशुल्क सवारी, आवास, वास अथवा कोई अन्य सेवा अथवा कोई अन्य आर्थिक लाभ भी सम्मिलित है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा मुहैया करवाए गए हों जो कर्मचारी का निकट सम्बन्धी या उसका व्यक्तिगत मित्र न हो और जिसका उससे कोई दफ्तरी दास्ता न हो।

टिप्पणी : (अ) यदाकदा का भोजन, सवारी में बैठना अथवा कोई अन्य सामाजिक अतिथ्य उपहार नहीं माना जाय।

(ब) कोई भी कर्मचारी अपने साथ दफ्तरी सम्बन्ध रखने वाले किसी व्यक्ति अथवा फर्म से कीमती अथवा बार-बार अतिथ्य स्वीकार नहीं करेगा।

२५.३१ दहेज देना अथवा लेना

सेवा का कोई भी सदस्य

- (I) न तो दहेज देगा न लेगा और न ही देने अथवा लेने की दुष्प्रेरणा देगा; अथवा
- (II) यथा स्थिति दुल्हन अथवा दूल्हे के माता-पिता या संरक्षक से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, दहेज नहीं मांगेगा।

टिप्पणी : इस नियम के प्रयोजन हेतु "दहेज" का अर्थ वही है जो कि दहेज निषेध अधिनियम, १९६१ (१९६१ का २८) में दिया गया है जो कि इस प्रकार है;

इस अधिनियम में, "दहेज" का अर्थ ऐसी सम्पत्ति अथवा मूल्यवान् ऋण-पत्र से है जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से दिया गया हो अथवा दिये जाने का करार किया गया हो;

(क) विवाह के एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को; अथवा

(ख) विवाह से पूर्व अथवा पश्चात्, विवाह के एक पक्ष के माता-पिता द्वारा अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्ष के माता-पिता को अथवा किसी अन्य व्यक्ति को उक्त पक्षों के विवाह के लिये प्रतिफल के रूप में, परन्तु मुस्तिम व्यक्तिगत विधि (शरीयत) के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों के मामले में दान अथवा मेहर इससे अधीन नहीं आता;

स्पष्टीकरण - I

संदेह निवारण की दृष्टि से यह स्पष्ट किया जाता है कि विवाह के समय पक्ष को नकदी, जेवर, कपड़ों अथवा अन्य चीजों के रूप में दिये जाने वाले उपहार इस धारा के अर्थ के अन्तर्गत दहेज नहीं माने जायेंगे, वशर्त कि वे उक्त पक्षों के विवाह के प्रतिफल के रूप में न दिये गये हों।

स्पष्टीकरण - II

पद "मूल्यवान् ऋण पत्र" का अर्थ वही है जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा ३० के अन्तर्गत है।

२५.१२

प्रशस्ति-पत्र

सेवा का कोई भी सदस्य, नियुक्ति अधिकारी की पूर्व त्वीकृति के बिना किसी भी प्रकार का आदर, या सम्मान सूचक पत्र अथवा प्रमाण-पत्र स्वीकार नहीं करेगा और न ही अपने या परिषद के किसी अन्य कर्मचारी के सम्मान में आयोजित सभा अथवा सार्वजनिक आतिथ्य-सत्कार में भाग लेगा।

परन्तु यह नियम ऐसे विदाई समारोह पर लागू नहीं होगा जो कि कर्मचारी अथवा परिषद के किसी अन्य कर्मचारी की सेवानिवृत्ति अथवा स्थानान्तरण अथवा परिषद के कर्मचारी द्वारा हाल ही में सेवा छोड़ने के अवसर पर मुख्यतः निजी अथवा अनौपचारिक प्रकृति का हो, अथवा जन निकायों अथवा संस्थाओं द्वारा आयोजित सादा और मामूली व्यय वाला समारोह हो।

२५.१३ निजी व्यापार अथवा रोजगार

- (१) परिषद सेवा का कोई भी सदस्य नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी व्यापार अथवा धन्धे में नहीं लगेगा और नहीं कोई और नौकरी करेगा अथवा और नौकरी करने के लिए बातचीत चलाएगा।

परन्तु यह है कि सेवा का कोई सदस्य ऐसी स्वीकृति के बिना सामाजिक अथवा धार्मिक प्रकृति का अवैतनिक कार्य कर सकता है अथवा साहित्यिक अथवा कलात्मक अथवा वैज्ञानिक प्रकृति का कोई काम यदा-कदा कर सकता है बशर्ते कि इससे उसके कार्यालय के कर्तव्यों के पालन में अवरोध न आता हो, परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी यदि आदेश दे तो वह यह कार्य करना बन्द कर देगा;

- (२) यदि सेवा के सदस्य के परिवार का कोई सदस्य किसी व्यापार अथवा धन्धे में लगा हो अथवा किसी बीमा एजेंसी अथवा कमीशन एजेंसी का मालिक हो अथवा चलाता हो तो वह इसकी सूचना नियुक्ति प्राधिकारी को देगा;
- (३) सेवा का कोई भी सदस्य अपनी पत्नी या अन्य सम्बन्धी जो या तो पूर्ण रूप से उस पर निर्भर है या उसके साथ रह रहा है को उस जनपद में जिसमें वह तैनात है बीमा कम्पनी का एजेंट बनने की अनुमति नहीं देगा;
- (४) सेवा का कोई भी सदस्य नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना अपने कर्तव्यों के पालन की स्थिति को छोड़कर किसी ऐसे बैंक अथवा कम्पनी जिसे कि कम्पनी अधिनियम-१९५६ (१९५६ का १) अथवा तत्समय लागू किसी अन्य विधि के अधीन पंजीकृत कराना आवश्यक हो वाणिज्यिक उद्देश्यों से गठित किसी सहकारी समिति के पंजीकरण, प्रवर्तन अथवा प्रबन्ध में भाग नहीं लेगा,

परन्तु यह है कि सेवा का सदस्य किसी उपभोक्ता/गृह निर्माण सहकारी सोसाइटी के पंजीकरण प्रवर्तन अथवा प्रबन्ध में भाग ले सकता है जो कि उ.प्र. सहकारी सोसाइटी, अधिनियम १९६५ (१९१२ का २) अथवा तत्समय लागू किसी अन्य विधि के अधीन पंजीकृत हो तथा मुख्यतः परिषद के कर्मचारियों के हित लाभार्थ बनाई गई हो अथवा सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम १८६० (१८६० का २१) अथवा ऐसी ही किसी विधि के अन्तर्गत पंजीकृत साहित्यिक, वैज्ञानिक अथवा धर्मार्थ हो। प्रतिबन्ध यह है कि वह कोष एकत्र करने, प्रेषण बेचने अथवा सोसाइटी के अन्य वित्तीय कार्य कलापों में न तो भाग लेगा और न ही अपने को सम्बन्धित रखेगा।

२५.१४ संरक्षण

सेवा का कोई सदस्य बिना नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के अपने आश्रितों के अतिरिक्त किसी व्यक्ति

अथवा किसी नाबालिग की सम्पदा का वैधानिक संरक्षण नहीं हो सकता।

स्पष्टीकरण

इस नियम के निमित्त आश्रित से तात्पर्य परिवर्षीय सम्पदा की पत्नी या पति जैसा भी हो, बच्चे सहित बच्चे, बच्चों के बच्चे तथा उसके माता-पिता, बहने, भाई के बच्चे, बहन के बच्चे यदि उसके साथ रह रहे हों तथा पूर्णतया आश्रित हों, से है।

२५.१५ निवेश, कर्ज लेना व देना

- (I) किसी बैंक, जीवन बीमा निगम अथवा किसी साल प्राप्त फर्म के साथ सामान्य लेन-देन को छोड़कर, सेवा का कोई भी सदस्य किसी ऐसे व्यक्ति से न रूपया उधार लेगा और न उसे देगा अथवा किसी अन्य प्रकार से आर्थिक बंधन में आएगा जिसका कि उसके साथ दफ्तरी वास्ता पड़ता है अथवा पड़ने की सम्भावना है अथवा अपने लाभ अथवा अपने परिवार के किसी सदस्य के लाभार्थ अपने नाम से दूसरों को ऋण लेने अथवा आर्थिक बंधन में बंधने की अनुमति देगा।
- (II) सेवा का कोई सदस्य न तो किसी स्टॉक आदि में धन लगायेगा और न ही अपनी पत्नी, अथवा अन्य किसी आश्रित को जो उसके साथ रहता हो इस प्रकार की आज्ञा देगा जिससे उसके कर्तव्य प्रभावित होते हों।

२५.१६ दीवाला तथा स्वभावतः ऋण-ग्रस्तता

- (I) सेवा का कोई भी सदस्य स्वभावतः ऋण-ग्रस्तता से बचेगा जब तक कि वह यह सिद्ध न कर दे कि ऐसी ऋण-ग्रस्तता अथवा दीवाला उसके बस के बाहर की परिस्थितियों का परिणाम है तथा अतिव्ययता अथवा दुर्व्यसन के कारण ऐसा नहीं हुआ हो;
- (II) सेवा का कोई सदस्य जो दीवालिया होने का आवेदन करता है अथवा दीवालिया विनिर्णय अथवा घोषित किया जाता है, उसकी सूचना तुरन्त नियुक्ति प्राधिकारी को देगा।

२५.१७ चल, अचल तथा मूल्यवान सम्पत्ति

- (I) सेवा का कोई भी सदस्य अपने नियुक्ति प्राधिकारी के पूर्व संज्ञान में लाये बिना किसी सम्पत्ति का पट्टे या बन्धक रूप में, कय, विक्रय अथवा उपहार किसी भी रूप में अपने नाम से अथवा परिवार के किसी सदस्य के नाम से लेन-देन नहीं करेगा,

प्रमाण यह है कि इस प्रकार का कोई सौदा यदि किसी नियमित व्यापारी एजेंट के माध्यम से नहीं किया जाता तो नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अनिवार्य है।

- (ii) सेवा का कोई सदस्य यदि ऐसी चल सम्पत्ति से सम्बन्धित कय-विकय आदि का सौदा करता है जिसका मूल्य उसकी एक माह के वेतन या दो हजार रुपये जो भी कम हो से अधिक है तो उसकी सूचना सौदे के एक माह के अन्दर उसे अपने नियुक्ति प्राधिकारी को देनी होगी।

प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार का कोई सौदा यदि किसी नियमित व्यापारी/एजेन्ट के माध्यम से नहीं किया जाता तो नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अनिवार्य है।

इन उप नियमों के प्रयोजनार्थ "चल सम्पत्ति" में अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित भी सम्मिलित है:-

- (क) बीमा पालिसियों जिनके वार्षिक प्रीमियम की राशि १०००/- रुपये या अधिक हो, मोटर, ऋण-पत्र, डिबेंचर तथा गेयर;
- (ख) ऐसे कर्मचारी द्वारा दिये गए प्रतिभूत अथवा अप्रतिभूत ऋण,
- (ग) मोटर-कारें, मोटर-साइकिल, स्कूटर, छोटे अथवा सवारी के अन्य साधन; तथा
- (घ) रेफ्रिजरेटर, रेडियो, रेडियो ग्राफ, टेलीविजन सेट, बी.सी.आर./बी.सी.पी., वाशिंग मशीन आदि;

(iii) परिषद में प्रथम नियुक्ति के समय तथा प्रत्येक पांच वर्ष के अन्तराल से प्रत्येक कर्मचारी निर्धारित प्रपत्र में निम्नलिखित विवरण देते हुए अपनी परिसम्पत्तियों एवं देयताओं का विवरण प्रस्तुत करेगा -

- (क) अपने नाम, अथवा अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम में अथवा किसी अन्य व्यक्ति के नाम में उत्तराधिकार में प्राप्त अथवा निजस्वत्व वाली अथवा अर्जित अथवा गढ़े अथवा रहने से अपने कब्जे से अचल सम्पत्ति;
- (ख) उसके द्वारा उत्तराधिकार में प्राप्त अथवा यथावत् स्वत्व में, अर्जित अथवा उसके कब्जे में गेयर, डिबेंचर तथा बैंक/डाकघर में जमा राशि समेत नकदी;
- (ग) उसके उत्तराधिकार में प्राप्त अथवा यथावत् स्वत्व में, अर्जित अथवा कब्जे में कोई अन्य चल-सम्पत्ति, यदि ऐसी सम्पत्ति का मूल्य २०००/- रुपये से अधिक हो;
- (घ) प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हुये ऋण तथा अन्य देयतायें।

(iv) नियुक्ति प्राधिकारी कभी भी सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर किसी भी कर्मचारी को अपने द्वारा अथवा अपनी ओर से किसी अन्य द्वारा अथवा उसे परिवार

के किसी सदस्य द्वारा, भी आदेश में अंकित हो, अर्थात् अथवा क — में दल अथवा अलग समूहों की पूर्ण विवरणी प्रस्तुत करने की कस सकती है। यदि नियुक्ति अधिकारी निर्धारित करे तो ऐसी विवरणी में सम्पत्ति अर्जन के साधनों एवं श्रोतों का पूरा विवरण भी देना होगा।

२५.३८ परिवार के बाहर से जोर-बरतना अथवा अन्य प्रभाव

सेवा का कोई भी सदस्य परिवार में अपने सेवा सम्बन्धी भाग के सम्बन्ध में अपने किसी को बताने के लिये कोई बाहरी प्रभाव, अपने द्वारा या परिवार के किसी सदस्य द्वारा नहीं करेगा।

कोई भी ऐसा कार्य जब तक अथवा सिद्ध न कर दिया जाए, जो परिवार सेवक की या पति या परिवार के किसी अन्य सदस्य द्वारा किया जाएगा, परिवार के कर्मचारी अथवा अथवा मिलकर किया हुआ माना जाएगा।

२५.३९ दसरी शर्तियाँ

(i) कोई भी कर्मचारी किसी ऐसे व्य — के साथ विवाह — या — की संविदा

करेगा जिसका कि जीवन-साथी जीवित हो, या

(ii) कोई भी कर्मचारी, जिसका जीवन साथी जीवित हो, किसी अन्य व्य — के

विवाह अथवा विवाह संविदा नहीं करेगा,

(iii) जो कर्मचारी भारतीय नागरिक को — ड कर — अन्य व्यक्ति से —

है, तो वह इस तथ्य की सूचना गुरन्त नियुक्ति प्राधिकारी को —।

२५.४० अनधिकृत आर्थिक सम्पत्तियाँ

सेवा का कोई भी सदस्य किसी अन्य परिवर्तित कर्मचारी अथवा किसी अन्य व्यक्ति से

कोई आर्थिक सम्पत्ति नहीं करेगा जिससे एक को या दोनों व्यक्तियों को अनधिकृत रूप से या

नियमों के विरुद्ध किसी प्रकार का अनधिकृत लाभ पहुँचाया हो।

२५.४१ परिवार द्वारा उपलब्ध सेवा का उपयोग

सेवा का कोई भी सदस्य परिवार द्वारा — दी कर्मियों के सभी नि — हेतु उपलब्ध कर

गाई सुविधाओं का दुरुपयोग या लापरवाही से प्रयोग नहीं करेगा और न ही उसको अवैधित आवा

किसी अन्य कर्मचारी अथवा बाहर के किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग के लिये देगा।

पक्षीकरण, गृह, यात्रा, टेलीफोन अथवा किसी प्रकार की कोई अन्य सुविधा इस नियम के अन्तर्गत

अन्य — मानी जाएगी।

२५.२२ बिना भुगतान के सेवा लाभ उठाना

सेवा का कोई भी सदस्य बिना उचित और पूरा भुगतान किये किसी ऐसी सेवा अथवा मनोरंजन का लाभ नहीं उठायेगा जिसके लिये कोई मूल्य, किराया या प्रवेश शुल्क लिया जाता हो।

२५.२३ क्रय भुगतान

सेवा के किसी भी सदस्य द्वारा किसी भी खरीद के लिये जब तक किस्तों में मूल्य देने की स्पष्ट व्यवस्था न हो या किसी प्रमाणित व्यापारी के पास उधार खाता न चलाया जा रहा हो तब तक किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य का पूरा व तुरन्त भुगतान किया जायेगा।

२५.२४ अपचार

“अपचार” शब्द के सामान्य अर्थों के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के निम्नलिखित कृत्याकृत्य कार्य भी अपचार माने जायेंगे :-

- (I) परिषद के किसी कार्यालय अथवा प्रतिष्ठान (स्टेब्लिशमेन्ट) के परिसर के अन्दर जिसमें जाने और निकलने के बिन्दु भी सम्मिलित है, में बैठकें या सभा करना, घरना देना, प्रदर्शन करना या नारेबाजी करना।
- (II) परिषद कार्यालय अथवा (स्टेब्लिशमेन्ट) के परिसर में अथवा आस-पास जुआ खेलना।
- (III) ड्यूटी पर सोना
- (IV) किसी परिषदीय कर्मचारी जिसमें पर्यवेक्षक भी सम्मिलित है, का ‘घेराव’ करना, को चोट पहुंचाना, दुर्व्यवहार या किसी भी प्रकार से ऐसे कृत्य को प्रोत्साहन देना अथवा उसमें भाग लेना।
- (V) छुट्टी अथवा अन्य किसी सुविधा को प्राप्त करने के लिये गलत प्रतिवेदन देना, समय पर काम पर न आना।
- (VI) अनियमित रूप से काम पर आना अथवा बिना अनुमति के कार्य से अनुपस्थित होना।
- (VII) नियमों का उल्लंघन करना, जानबूझ कर अवहेलना करना, किसी उच्च अधिकारी द्वारा निर्गत आदेशों अथवा परिपत्रों की अवज्ञा करना अथवा आदेशों के अनुपालन में विलम्ब करना।
- (VIII) आवंटित कार्य की उपेक्षा करना या कार्य को लापरवाही और अदक्षता पूर्वक करना।
- (IX) कर्मचारी अथवा उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति के पास कर्मचारी के जात आय-स्रोतों

के अनुपात से अधिक वित्तीय संसाधन अथवा सम्पत्ति का होना जिसके लिये कि कर्मचारी संतोषजनक स्पष्टीकरण न दे सकता हो।

- (X) नियुक्ति के समय अथवा नौकरी के दौरान नाम, आयु, पिता का नाम, अर्हताएं, गृह जनपद, अर्हताएं अथवा पूर्वकृत सेवा अथवा नौकरी सम्बन्धी किसी अन्य नामले की गलत जानकारी देना।
- (XI) बिना नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के किसी शिक्षण संस्था में प्रवेश लेना।
- (XII) परिषद के हितों के प्रतिकूल कोई कृत्य
- (XIII) बिना पर्याप्त कारणों अथवा संतोषजनक स्पष्टीकरण के प्राधिकृत छुट्टी के बिना अथवा म्नीकृत छुट्टी की समाप्ति पर लगातार चार दिन से अधिक की अनुपस्थिति।
- (XIV) परिषद के किसी कार्यालय या प्रतिष्ठान परिसर अथवा इसके बाहर ऐसे स्थानों में, जहां भी कर्मचारी का व्यवहार नौकरी से सम्बन्धित हो, शराब के नशे में मदहोश होना अथवा लड़ाई-झगड़ा अथवा अभद्र व्यवहार।
- (XV) किसी अपचार-कृत्य के लिये प्रेरणा देना अथवा प्रेरित करने का प्रयास करना।
- (XVI) उपयुक्त प्राधिकारी को छोड़कर किसी अन्य प्राधिकारी को अपील अथवा अभ्यावेदन भेजना, गुप्तनाम पत्र आदि लिखना, तथा किसी प्राधिकारी को अपील अथवा अभ्यावेदन की अग्रिम प्रतियां भेजना।
- (XVII) परिषद के कार्य की आवश्यकता को देखते हुए अधिसूचित किये जाने पर छुट्टी के दिन रविवार को अथवा अतिरिक्त समय में काम करने से इन्कार।
- (XVIII) किसी राजनैतिक दल द्वारा आयोजित किसी सभा, प्रदर्शन अथवा बन्द में सक्रिय भाग लेना।
- (XIX) ऐसा कार्य करना जिससे अनुपालन अथवा सद् व्यवहार में बाधा पड़े।
- (XX) वैयक्तिक कार्य, जिसके लिए विशेष कौशल या पूर्व अनुभव आवश्यक न हो और जो कर्मचारी द्वारा किया जा सकता हो बशर्ते कि कर्मचारी को उतनी ही परिलक्षितियां मिलें, से मना करना।
- (XXI) लिखित या मौखिक रूप से झूठी अफवाहें फैलाना अथवा झूठी सूचनाएं देना अथवा निन्दात्मक वक्तव्य देना अथवा मानहानिकारक भाषण देना या मानहानिकारक पुस्तिका, पत्र आदि जारी करना जिससे प्रबन्ध-वर्ग या अधिकारियों की बदनामी होती है।

- (XXII) निर्धारित बर्दी का न पहनना अथवा चुस्त न रखना, सुरक्षा सम्बन्धी नियमों अथवा किसी अन्य लागू नियमों या कानूनों को न मानना। संस्थान के परिसर में स्थापित किसी मशीन, संयन्त्र, गार्ड या फेन्सिंग अथवा और अन्य सुरक्षा या भिन्न प्रकार के माध्यमों को अनाधिकृत रूप से हटाना, उनसे छेड़-छाड़ करना अथवा उन्हें नुकसान पहुंचाना।
- (XXIII) स्वच्छता तथा अनुशासन पर कुप्रभाव डालने वाले किसी भी कार्य का करना
- (XXIV) चोरी, धोखा, बेईमानी अथवा कोई अन्य काम जिससे परिषद की किसी भी प्रकार की हानि हो, करना।
- (XXV) इयूटी पर अथवा बाहर किसी ऐसे काम का करना जिसमें नैतिक भ्रमन समाहित हो।
- (XXVI) किसी निषिद्ध स्थान पर धूम्रपान करना।
- (XXVII) संस्थान में किसी भी उद्देश्य से किसी समाचार पत्र, पत्र, पैम्फलेट, पोस्टर, अथवा प्रचार की अन्य कोई सामग्री बांटना अथवा प्रदर्शित करना अथवा संकेतों अथवा लिखाई अथवा अन्य दृश्य/श्रवणीय साधनों से उनका प्रदर्शन करना। परिषद के किसी कर्मचारी/अधिकारी के साथ जोर-जबरदस्ती करना, उन पर हमला करना, उनके साथ दुर्व्यवहार करना या उन्हें डराना धमकाना।
- (XXVIII) अपने मुख्यालय पर न रहना बिना अनुमति के मुख्यालय छोड़ना।

टिप्पणी: उपर्युक्त उदाहरण केवल निर्देश स्वरूप हैं, व्यापक नहीं।

२६. अनुशासनिक कार्यवाही

सेवा के सभी सदस्य अनुशासनिक कार्यवाही के मामले में परिषदीय कर्मचारियों के लिए समान-समय पर निर्धारित सामान्य विनियम/आदेशों से अवधारित होंगे।

भाग-९

वेतन व भत्ते

- (क) सेवा के विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त होने पर, चाहे नियुक्ति मौलिक या स्थानापन्न रूप में या अस्थायी आधार पर हो, किसी व्यक्ति को अनुमन्य वेतनमान तथा भत्ते वहीं होंगे जो परिषद द्वारा समय-समय पर अवधारित किये जायें। वर्तमान वेतनमान पाताला-१ में दिये गये हैं।

८

(ख) सेवा में नियुक्त व्यक्ति का वेतन

(अ) वेतनमान का न्यूनतम।

(ब) पहले से सेवा के संवर्ग में उस वेतनमान पर की गयी स्थानापन्न सेवा को विचार में रखते हुए जैसा भी नियुक्ति प्राधिकारी तय करे।

(स) परिषद में पहले से ही सेवारत व्यक्ति के मामले में समय-समय पर संशोधित वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-२ भाग-२ से ४ में निहित प्राविधानों के अनुसार तय किया जायेगा।

२८. **परिवीक्षा अवधि में वेतन**

सेवा में सीधी भर्ती अथवा अन्य किसी माध्यम से नियुक्त व्यक्ति को प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब वह एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ले तथा द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूर्ण कर लेने पर दी जायेगी।

परन्तु यदि संतोषजनक कार्य न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ा जाय तो इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायेगी।

२९. **वार्षिक वेतनवृद्धि तथा दक्षतारोक का पार करना**

(क) वार्षिक वेतनवृद्धि यदि रोक दी गई है तो स्वाभाविक रूप से नियुक्ति प्राधिकारी या परिषद द्वारा अन्य अधिकृत प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत की जायेगी।

(ख) सेवा के किसी भी सदस्य को वेतनमान में अंकित दक्षतारोक पार करने की अनुमति जब तक नहीं दी जायेगी जब तक यह नहीं पाया जाता है कि उसने निपुणता से कार्य करने की पहल की है और उसका कार्य तथा आचरण संतोषजनक है एवं उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित है। दक्षतारोक पार स्वीकृति विषयक मार्ग दर्शक पद्धति परिशिष्ट-९ में दी गई है।

भाग-१०

कर्तव्य

कर्तव्य व कार्य के घन्टे

सेवा में नियुक्त प्रत्येक सदस्य परिषद का पूर्ण कालिक कर्मचारी होगा जिससे अपेक्षित है कि वह अपने निर्धारित कर्तव्यों और अन्य ऐसे कार्य पूर्ण बुद्धिमत्ता और सुन्दर तरीके से परिषद के हित में पूरा करेगा जैसा कि उसके वरिष्ठ ने उस परिस्थिति में सँपि हों तथा इसके लिये कोई अतिरिक्त वेतन अनुमन्य न होगा। सेवा का प्रत्येक सदस्य वांछित टी. एण्ड पी./ सामान निर्गत होने के स्थान/मण्डार से स्वयं लायेगा तथा सुनिश्चित करेगा कि बचा हुआ सामान सही हालत में उसी स्थान अथवा निर्धारित स्थान पर वापस पहुँचायेगा। यह भी सुनिश्चित करेगा कि उसका कार्य क्षेत्र तथा औजार आदि सदैव कार्य पूर्ण होने पर साफ सुथरे रहे। विभिन्न पदों के कार्य का मोटे तौर पर विवरण परिशिष्ट २ (क) एवं (ख) में दिया गया है।

परन्तु यह है कि सेवा के जो सदस्य कारखाना अधिनियम १९४८ से आवृत होते हैं, उनके लिए कार्य के घंटे कारखाना अधिनियम १९४८ के प्राविधानों से नियंत्रित होंगे।

भाग ११

विविध प्राविधान

मुख्यालय

सेवा के किसी सदस्य का मुख्यालय उसका तैनाती स्थान अथवा जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित किया जाता है, होगा।

प्रवेश, निकास तथा तलाशी

प्रवेश, निकास तथा तलाशी के सम्पूर्ण मामले U.P. State Electricity Board, Establishment (Entry, Exit, and Search) Regulation-१९७७ समय-समय पर संशोधित, के अनुसार नियन्त्रित होंगे।

(अ) आकस्मिक अवकाश

(1) आकस्मिक अवकाश की सीमा

(क) सेवा के प्रत्येक सदस्य को एक कलेण्डर वर्ष में कुल १४ दिन के आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किये जा सकते हैं,

सेवा के उस सदस्य को जिसकी वृद्ध प्राधिकारी के आदेशानुसार किसी अवकाश दिवस पर कार्य के लिये बुलाया जाता है, प्राधिकारी अवकाश निम्न शर्तों के अनुसार स्वीकृत किया जा सकता है -

(v) प्रतिपूरक अवकाश

सेवा है जो उसे उस दिवस का दैनिक भत्ता अग्रिम-य नहीं होगा।
अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। सेवा का जो सदस्य दोरे के मध्य आकरिमिक अवकाश में मासिक की सहायता से सन्तुष्ट होने पर स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा बाद में कुछ विशेष परिस्थितियों को सम्मिलित से बाहर है को छोड़कर ऐसी सुविधा नहीं मानी जायेगी। अवकाश पर जाने से पूर्व इसकी स्वीकृति अनिवार्य है।
परिस्थितियों में स्वीकृति प्राधिकारी अवकाश अस्वीकृत कर सकता है। एवं एक प्राधिकार प्रदान कारणों पर ही आकरिमिक अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है तथा सुविधा करना होगा।

(iv)

उसे स्वीकृति प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी और अवकाश के दौरान सेवा का सदस्य जो आकरिमिक अवकाश की अवधि में अपना मुख्यालय छोड़ना चाहता

(iii) आकरिमिक अवकाश पर मुख्यालय छोड़ने की पूर्व अनुमति

में संख्या ६ से अधिक नहीं होगी।
दिनों का विशेष आकरिमिक अवकाश स्वीकृत कर सकता है जिनकी एक कालेण्डर वर्ष अतिविशिष्ट परिस्थिति में स्वीकृति प्राधिकारी अत्यावश्यक तथा विशेष कारणों से कुछ है

(ii) विशेष आकरिमिक अवकाश

आकरिमिक अवकाश में गणना नहीं की जायेगी।
(घ) आकरिमिक अवकाश के मध्य जो अवकाश तथा अर्द्ध दिवस पड़ते हैं उनको

अवकाश के साथ सम्मिलित करने की अनुमति दे सकता है।
पूर्व या बाद में जो रविवार या अन्य कोई, राजपर्व अवकाश पड़ता है उनको आकरिमिक नहीं होगा और इसका दुरुपयोग नहीं होगा जो आकरिमिक अवकाश की निरन्तरता में पड़ते हैं स्वीकृति प्राधिकारी यदि समझता है कि ऐसे करने से सामान्य कार्य प्रभावित रविवार या अन्य राजपर्व अवकाश जो आकरिमिक अवकाश के दौरान पूर्व या बाद

(ग) राजपर्व अवकाशों की आकरिमिक अवकाश के साथ सम्मिलित करना

में अधिकतम १० दिन का ही आकरिमिक अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।
(घ) जब तक कोई विशेष कारण न हो और किसी प्राधिकारी सन्तुष्ट न हो एक समय

- (क) जब कभी किसी कर्मचारी को वरिष्ठ प्राधिकारी के आदेशों से रविवार या अन्य अवकाश के दिन कार्य करने के लिये बुलाया जाता है तो उसके एवज में उसे उसकी सुविधा के अनुसार प्रतिपूरक अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।
- (ख) यदि सेवा का कोई सदस्य अवकाश दिवस को केवल आधे दिन ही कार्य करता है तो दो आधे दिनों को मिलाकर एक प्रतिपूरक अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।
- (ग) यदि सेवा का कोई सदस्य स्वेच्छा से अपना अवशेष कार्य निपटाने के लिये अवकाश दिवस को कार्य करता है तो उसे उसके एवज में यह सुविधा नहीं मिलेगी।
- (घ) प्रतिपूरक अवकाश, जिस दिन कर्मचारी अवकाश दिवस को बुलाया गया था उस दिन से एक माह के अन्तर स्वीकृत कर दिया जाना चाहिए। यदि एक अवकाश दिवस को कई कर्मचारी कार्य के लिये बुलाये जाते हैं और स्वीकृति प्राधिकारी यह महसूस करता है कि सभी कर्मचारियों के एक ही अवधि में प्रतिपूरक अवकाश कार्य हित में देना उचित नहीं है तो एक माह की अवधि को शिथिल किया जा सकता है। परन्तु एक समय में दो से अधिक प्रतिपूरक अवकाश नहीं स्वीकृत किये जाने चाहिए।
- (ङ) प्रतिपूरक अवकाश उसी प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जायेगा जो आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने के लिये सक्षम अधिकारी है।
- (स) **राष्ट्रीय अवकाश**
(२६ जनवरी, १५ अगस्त तथा २ अक्टूबर प्रत्येक कलेन्डर वर्ष में)

सेवा के सदस्य को राष्ट्रीय अवकाश भी नेशनल होलीडेज एक्ट - १९६१ के प्राविधानों जिसको यह अनुमन्य, के अनुसार प्रदान किया जायेगा

(द) राजपत्रित अवकाश

सेवा के सभी सदस्य किसी कलेन्डर वर्ष में सरकार और जनपद जिसमें वे तैनात हैं के जिलाधिकारी द्वारा घोषित स्थानीय त्योहार अवकाश के पात्र होंगे।

प्रतिबंध यह है कि सेवा के वह सदस्य जो कारखाना अधिनियम (१९४७ एक्ट) से आवृत हैं या पाली ड्यूटी में लगे हैं, यह राजपत्रित/स्थानीय अवकाश उपभोग नहीं करेंगे वरन इसके एवज में वह १० दिन के अवकाश के अधिकारी होंगे। यह अवकाश स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा कार्य की आवश्यकता को देखते हुए संयोजित/स्वीकृत किया जायेगा।

अवकाश

सेवा के सदस्यों को अन्य अवकाश वित्त हरत पुस्तिका खण्ड- ११, भाग- ११ से IV तथा

उसके सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत परिषद आदेशों के अनुसार अनुमन्य होगी।

३५. अवकाश का नवीकरण

सेवा के सभी सदस्यों को अवकाश नवीकरण की सुविधा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत परिषद आदेशों के अनुसार अनुमन्य होगी।

३६. चिकित्सा भत्ता एवं सुविधा

सेवा के सभी सदस्यों को चिकित्सा भत्ता एवं सुविधा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत परिषद आदेशों के अनुसार अनुमन्य होगी।

३७. यात्रा भत्ता

सेवा के सभी सदस्यों को यात्रा भत्ता वित्त हस्त पुस्तिका खण्ड- 111 तथा उसके सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत परिषद आदेशों के प्राविधानों के अनुसार अनुमन्य होगा।

३८. स्थानान्तरण

- (1) सेवा के सदस्य को उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश के बाहर कहीं भी स्थानान्तरण किया जा सकता है।

स्पष्टीकरण :

१. उपरोक्त में एक पाली से दूसरी पाली में या अन्य इयूटी से पाली इयूटी में या पाली इयूटी से अन्य इयूटी में या एक कार्य से दूसरे कार्य पर भी सम्मिलित है।
२. यदि दो गदों की अर्हता तथा वेतनमान एक है और पद पर कार्य के लिये किसी नियमित पूर्व अनुभव/दक्षता की आवश्यकता नहीं है तो सेवा के किसी भी सदस्य को एक पद से दूसरे पद पर स्थानान्तरित किया जा सकता है।
३. सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी विना इच्छा के विदेशी सेवा में स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि यह उप-नियम ऐसी सेवा या संस्थान में स्थानान्तरण पर लागू नहीं होगा जो पूर्णरूप से या अंशिक रूप से परिषद या सरकार से नियंत्रित है।

४. कार्यभार/परिषद द्वाारा निर्गत आदेशों के अनुसार "कार्यभार ग्रहण अवधि" (ज्वाइनिंग टाइम), स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि अनुमन्य होगी।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि स्थानान्तरण सेवा के सदस्य के अनुरोध पर हुआ है या पारस्परिक स्थानान्तरण है तो ऐसी परिस्थिति में केवल यात्रा में लगने वाला समय ही अनुमन्य होगा और कोई यात्रा-भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

५. कार्यभार ग्रहण अवधि समाप्ति पर यदि कोई सेवा का सदस्य नये स्थान/कार्य पर अपना कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो पूर्व स्थान/कार्य से अवमुक्ति की तिथि से उसे कोई वेतन, भत्ता और अवकाश आदि अनुमन्य नहीं होगा। उसका यह आचरण दुराचरण माना जाएगा जिसके लिये उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है।

६. नवीन स्थल पर सेवा के सदस्य को अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र सेवा पुस्तिका तथा अन्य सम्बंधित रेगार्ड न आने के कारण वेतन देने से इन्कार नहीं किया जायेगा। अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र प्राप्त न होने की स्थिति में उसको पदनाम का प्रारम्भिक वेतन तथा उस पर भत्ता दे दिया जायेगा।

७. स्थानान्तरण स्थानीय अधिकारियों द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में किये जायेंगे। परन्तु यह है कि उपसंलग्ध अधिकारी द्वारा स्थानान्तरण आदेश उसी दशा में निर्गत किये जा सकते हैं जबकि कर्मचारी के मुख्यालय में परिवर्तन न हो। एक मुख्य अभियन्ता/परियोजना महाप्रबंधक/परियोजना प्रमुख के क्षेत्र से दूसरे मुख्य अभियन्ता/परियोजना महाप्रबंधक/परियोजना प्रमुख के क्षेत्र में स्थानान्तरण मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) द्वारा किये जायेंगे। प्रतिबन्ध यह है कि मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) द्वारा कर्मचारी के स्थानान्तरण आदेश परियोजना/क्षेत्र के लिए ही किये जायेंगे, क्षेत्र/परियोजना में अग्रिम प्रतिनिधित्व मुख्य अभियन्ता/परियोजना महाप्रबंधक/परियोजना प्रमुख द्वारा की जायेगी।

३९. अन्य सेवा शर्तें

सेवा की अन्य शर्तें जो यहाँ अंकित नहीं हैं वे वित्त हस्त पुस्तिक खण्ड- II भाग II से IV के प्रावधान के अनुसार नियंत्रित होगी।

४०. सेवा निवृत्ति

सेवा के सदस्यों की सेवा निवृत्ति U.P. State Electricity Board (Employees Retirement) Regulation - १९७५ (समय-समय पर संशोधित) से नियंत्रित होगी।

४१. सेवानिवृत्ति-लाभ एवं पारिवारिक पेन्शन

सेवा के सदस्यों को सेवा निवृत्ति लाभ तथा पारिवारिक पेन्शन U.P. Retirement Benefit (Rule) 1956 तथा New family Pension Scheme - १९६५ यथा संशोधित तथा

आदेश।

ज. अ. ल.

समय- समय पर परिषद द्वारा अंगीकृत, के प्राविधानों के अनुसार अनुमान्य होंगे।

४२. सेवा —

इन विनियमों के अन्यत्र प्राविधानों के अतिरिक्त स्थिति में भी किसी भी सदस्य की सेवा समाप्त की जा सकती है

१. U.P.S.E.B. (Officers and Servants) Conditions of Service Regulation - १९७५ (यथा संशोधित) के प्राविधानों के अनुसार दुराचार के लिए
२. किसी सेवा के सदस्य के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के बारे में पुलिस अथवा सिविल प्राधिकारियों से प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त हुई हो, बिना नोटिस दिये तथा बिना प्रतिकर के;
३. उक्त असात पत्रों पर नौकरी प्राप्त की हो, बिना नोटिस दिये तथा बिना प्रतिकर के;
४. स्थापना में कमी के कारण;
५. यदि उसे किसी अपराधिक मामले में न्यायालय द्वारा सजा हो जाती है तो बिना किसी तथा प्रतिकर के।

४३. कष्ट निवारण हेतु प्रक्रिया

सेवा का सदस्य अपनी समस्याओं के समाधान के लिये अपने नियुक्ति प्राधिकारी को उचित माध्यम द्वारा अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है। कोई भी सदस्य वरिष्ठ प्राधिकारी से सीधा पत्र व्यवहार नहीं करेगा। यदि पर्याप्त अवधि में प्रत्यावेदन का उत्तर नहीं होता है या उत्तर से सदस्य संतुष्ट नहीं है तो वह अगले वरिष्ठ प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है।

४४. पक्ष समर्पण

भर्ती अथवा प्रोन्नति हेतु क या लिखित रूप में किसी प्रकार की भी प्कारिश नहीं होगी। किसी अभ्यर्थी अथवा सेवा के सदस्य द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में ऐसा कोई भी उसे अयोग्य अथवा अनुशासनिक कार्यवाही का पात्र बना देगा।

४५. सेवा शर्तों में शिथिलता

- (i) इन विनियमों में भी बात का अर्थ पद द्वारा नियुक्त तथा इन से नियंत्रित किसी व्यक्ति के मामले में उक्त एवं न्यायसंगत व्यवहार करने परिषद की शक्ति को सीमित या न्यून करना नहीं है।

उप-सचिव
(रा.पी. बाल)
CHARTER

— अ से

क्या करे।
श्रेष्ठ है कि वे उपरोक्त विवादों को शासन के गजट के आगामी संस्करण में प्रकाशित कराने की
प्रतिनिधि अधीन, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहाबाद, उ. प्र. की इस निवेदन के साथ

सं. - २६३ (1) विनि-२३/राविप-१५-४ विनि/८६, तद्विनिग

सचिव
(राज्यीय विनि)

परिषद् की आज्ञा से

जा सकता है
परिषद् की भागी आशयकताओं के अनुसार इस विनियमनाली में संशोधन/परिवर्तन किया

परिवर्तन/संशोधन

परिषद् के अध्यक्ष को संशोधित किया जायेगा जिसका निर्णय अन्तिम माना जायेगा।
यदि इन विनियमों की सही व्याख्या से स्पष्ट — सदेह उत्पन्न होता है तो मामला

आवृत्ति

(11)
जहाँ अध्यक्ष की राय से ऐसा करना आवश्यक पड़े तो, वह इन — से या
किसी या कुछ विनियमों से आशिक हट कर सेवा में कोई नियुक्ति कर सकते
हैं तथा किसी ऐसी नियुक्ति के विषय में जो गौरेय से इन विनियमों के अनुसार
नहीं हुई है यह समझा जायेगा कि नियुक्ति इन विनियमों के अन्तर्गत हुई है।

सं. - २६३ (११ विनि-२३/राविप-९५-४ विनि/८६, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

१. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-१/११), उ.प्र. राज्य विद्युत परिषद।
२. समस्त महा-प्रबन्धक/उप-महाप्रबन्धक/मुख्य परियोजना प्रबन्धक, उ.प्र. राज्य विद्युत परिषद।
३. सभापति, ज्ञांच समिति, उ.प्र. राज्य विद्युत परिषद।
४. सभापति, विद्युत सेवा आयोग, उ.प्र. राज्य विद्युत परिषद, लखनऊ।
५. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ.प्र. राज्य विद्युत परिषद।
६. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ.प्र. राज्य विद्युत परिषद।
७. समस्त अधिकारी, परिषद सचिवालय/लेखा स्कन्ध, उ.प्र. राज्य विद्युत परिषद, लखनऊ।
८. समस्त अनुभाग, परिषद सचिवालय/लेखा स्कन्ध, उ.प्र. राज्य विद्युत परिषद, लखनऊ।
९. बैठक सहायक, मद सं.-११(७)/१९९५ के सन्दर्भ में।

आज्ञा से,

(एन.पी. श्रीवास्तव)

(एन.पी. श्रीवास्तव)

उप-सचिव

उत्पादन स्कन्ध के अलावा परिचालकीय वर्ग के कर्मचारी

परिच्छेद - १ (क)
(दिशे धिनियम-९)

श्रेणी - पाँ

तनमान : रु. 900-15 (4) 960 -20 (4) 1040-25 (6) 1190

वर्तमान पदनाम	सामूहिक अर्हता			भर्ती का स्रोत
		सीधी भर्ती के लिए	पदोन्नति द्वारा	
			५	६

मजदूर (समस्त विभाग,
कृषक मजदूर को छोड़कर
(इ) श्रमिक/कुली (रिक्त कुली
सादा कुली व स्पेशल कुली
को छोड़कर समस्त कुली)
गिट्टी मैन
(र) खलासी (रिक्त खलासी को
छोड़कर सभी पदनाम)
) हेल्पर (समस्त पदनाम)
) चाली (समस्त पदनाम)
) चाली (समस्त पदनाम)
) जमादानी पदनाम)
स्टोर जमादानी को छोड़कर
(र) सैव ब्याथ, सैव मैनेजर
मेट

श्रमिक

माली

अभ्यर्थी शारीरिक एवं -
मानसिक दृष्टि से हृष्ट-पुष्ट
तथा देवनागरी लिपि पढ़ना-
लिखना जानता हो व साक्षर
होना चाहिए।

सीधी भर्ती द्वारा

अभ्यर्थी शारीरिक एवं -
मानसिक दृष्टि से हृष्ट-
पुष्ट तथा देवनागरी लिपि
पढ़ना-लिखना जानता हो व
साक्षर होना चाहिए।
तथा कार्य का ज्ञान रखना हो।

सीधी भर्ती द्वारा

१	२	३	४	५
४	चौकीदार, वाकमैन (अधिन चौकीदार को छोड़कर)	प्रहरी	भारतीय एवं मानसिक रूप से स्वस्थ हो। भूतपूर्व नैनिक जिनकी आयु ४५ वर्ष से अधिक न हो। देवनागरी लिपि लिखना-पढ़ना तथा साक्षरता जानता हो।	अधिन
४	कुक्. मेस अटेंडन्ट, वेटर कुक्-कम चौकीदार, वियरन, कुक्-कम अटेंडन्ट, फ्रील्ड होमेटस अटेंडन्ट	पाक प्रभिक	वतना पकना तथा देवनागरी लिपि लिखना पढ़ना जानता हो।	अधिन
४	स्वीजर (पूर्ण कालिक)	स्वच्छकार (पूर्ण कालिक)	अध्यक्षी साक्षर एवं मानसिक दृष्टि से दृष्ट-पुष्ट तथा देवनागरी लिखना-पढ़ना व साक्षरता जानता हो।	सीडी भर्ती

- नियम १. कालम-१ में यदि कालम-२ में अंकित से अतावा इस नमान में कोई पद है तो वह मृत संदर्भ आयेगा।
२. कालम-२ में अंकित पदनाम वा कोई कर्मधारी परिवर्तन के बिना ही पूर्व अदेशों से इससे अधिक वेतनमान रहा है तो वह उसका अधिकतम वेतनमान माना जायेगा।
३. कालम-३ में अंकित पदों का उनके सम्मत कालम-३ में अंकित एक ही पदनाम माना जायेगा।

श्रेणी - ५

वेतनमान : रु. 1000-20 (4) 1080-25 (4) 1180-30 (6) 1360

२	३	४	५
डैनर मैन	कुशल अधिक (डैनर)	मृत संवर्ग	
वैटरी मैन	कुशल अधिक (वैटरी)	देवनागरी लिपि पढ़ना- लिखना जानता हो तथा श्रेणी ५१ में न्यूनतम ७ वर्ष की नियमित सेवा ✓	श्रेणी ५१ से पदोन्नति द्वारा
डिप्लोम, कुली, रिक्लंड सहायी, डिप्लोम मजदूर, स्टोर जमादार, डिप्लोम अधिक, कुशल कुली, साइकल कुली, गैंग मैन (क) पेट्रोल मैन (ख) फ्यूजमैन (ग) स्ट्रीट लाइट अटेंडेंट, स्ट्रीट लाइट स्वीचमैन, स्ट्रीट लाइट कूनिंगर लाइन मैन	कुशल अधिक	देवनागरी लिपि पढ़ना-लिखना जानता हो तथा श्रेणी ५२ में न्यूनतम ७ वर्ष की नियमित सेवा तथा कार्य का ज्ञान।	श्रेणी ५२ से पदोन्नति द्वारा ✓
स्टोर मिस्त्री	स्टोर मिस्त्री	उपरोक्त	उपरोक्त
ऑपरेटर/ट्यूबेल अटेंडेंट (कालोनी)	अटेंडेंट ग्रेड-२ (पेयजत सम्प्रदाय)	उपरोक्त	उपरोक्त

- वर्तमान में यदि कालम-२ में अंकित हो अलावा इस वेतनमान में कोई मद है तो वह मृत संवर्ग माना जाएगा।
- कालम-२ में अंकित पदनाम का कोई कर्मचारी परिवर्ष के किन्हीं पूर्व आदेशों से इससे अधिक जो निम्न वेतन पा रहा है तो वह उसका व्यक्तिगत वेतनमान माना जाएगा।
- कालम-३ में अंकित पदों का उनके सम्मेल कालम-३ में अंकित एक ही पदनाम माना जाएगा।

श्रेणी प,

वेतनमान रु. 1100-25-1225-30-1375-40-1575

1	2	3	4	5	6
10.	लाइट व्हीकल ड्राइवर, हेवी व्हीकल-बस-लारी ड्राइवर, ट्रक-टैम्पो ड्राइवर, आटो रिक्शा ड्राइवर, ड्राइवर ट्रेक्टर ड्राइवर	बालक	देवनागरी लिपि पढ़ना-लिखना जानता हो तथा कामशुचियल/हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस जिस पर पुलिस या मजिस्ट्रेट द्वारा कोई प्रतिकूल प्रविष्टि न हो, रखता हो तथा कम से कम दो वर्ष का वाहन चलाने का अनुभव तथा वाहन के इंजन की कार्यवैली का ज्ञान।		श्रेणी प ₂ एवं प ₄ के कर्मचारी जो कालम 4-5 में अंकित नहीं रखते हों या सीधी भर्ती द्वारा
11.	मेसन	राज मिस्त्री	मृत्त संवर्ग		
12. (क)	पुलिंग यूनिट एवं ट्रेलर ऑपरेटर (100 अथवा शक्ति से नीचे) (पुलिंग यूनिट एवं ट्रेलर)	बालक	हिन्दी पढ़ना लिखना जानता हो		श्रेणी प ₂ एवं प ₄ में कार्यरत कर्मचारी जो कालम 4-5 में अंकित योग्यता रखते हों या पदोन्नति द्वारा या सीधी भर्ती द्वारा
(ख)	मोवाइल क्रेन ऑपरेटर (75 टन से नीचे) मेकेनिकल क्रेन ऑपरेटर 75 टन से नीचे	बालक (क्रेन)	कामशुचियल/हेवी व्हीकल चलाने का लाइसेंस जिस पर पुलिस या मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित न हो रखता हो और पुलिंग यूनिट व ट्रेलर/क्रेन चलाने का कम से कम दो वर्ष का अनुभव रखता हो।		
13.	आयल इंजिन ड्राइवर, टैलरकल बालक	आयल इंजिन/ टैलरकल बालक	मृत्त संवर्ग ---		
14.	पेन्टर	पेन्टर	मृत्त संवर्ग		
15.	हथूटी मेन	हथूटी मेन	-	देवनागरी लिपि पढ़ना-लिखना जानता हो और श्रेणी प ₂ में कम से कम 5 वर्ष की नियमित सेवा तथा कार्य का ज्ञान	श्रेणी-प ₂ से पदोन्नति द्वारा

[illegible][illegible][illegible][illegible]

1. 2018-19-2019-20
 2. 2019-20-2020-21
 3. 2020-21-2021-22
 4. 2021-22-2022-23
 5. 2022-23-2023-24
 6. 2023-24-2024-25
 7. 2024-25-2025-26
 8. 2025-26-2026-27
 9. 2026-27-2027-28
 10. 2027-28-2028-29
 11. 2028-29-2029-30
 12. 2029-30-2030-31
 13. 2030-31-2031-32
 14. 2031-32-2032-33
 15. 2032-33-2033-34
 16. 2033-34-2034-35
 17. 2034-35-2035-36
 18. 2035-36-2036-37
 19. 2036-37-2037-38
 20. 2037-38-2038-39
 21. 2038-39-2039-40
 22. 2039-40-2040-41
 23. 2040-41-2041-42
 24. 2041-42-2042-43
 25. 2042-43-2043-44
 26. 2043-44-2044-45
 27. 2044-45-2045-46
 28. 2045-46-2046-47
 29. 2046-47-2047-48
 30. 2047-48-2048-49
 31. 2048-49-2049-50
 32. 2049-50-2050-51
 33. 2050-51-2051-52
 34. 2051-52-2052-53
 35. 2052-53-2053-54
 36. 2053-54-2054-55
 37. 2054-55-2055-56
 38. 2055-56-2056-57
 39. 2056-57-2057-58
 40. 2057-58-2058-59
 41. 2058-59-2059-60
 42. 2059-60-2060-61
 43. 2060-61-2061-62
 44. 2061-62-2062-63
 45. 2062-63-2063-64
 46. 2063-64-2064-65
 47. 2064-65-2065-66
 48. 2065-66-2066-67
 49. 2066-67-2067-68
 50. 2067-68-2068-69
 51. 2068-69-2069-70
 52. 2069-70-2070-71
 53. 2070-71-2071-72
 54. 2071-72-2072-73
 55. 2072-73-2073-74
 56. 2073-74-2074-75
 57. 2074-75-2075-76
 58. 2075-76-2076-77
 59. 2076-77-2077-78
 60. 2077-78-2078-79
 61. 2078-79-2079-80
 62. 2079-80-2080-81
 63. 2080-81-2081-82
 64. 2081-82-2082-83
 65. 2082-83-2083-84
 66. 2083-84-2084-85
 67. 2084-85-2085-86
 68. 2085-86-2086-87
 69. 2086-87-2087-88
 70. 2087-88-2088-89
 71. 2088-89-2089-90
 72. 2089-90-2090-91
 73. 2090-91-2091-92
 74. 2091-92-2092-93
 75. 2092-93-2093-94
 76. 2093-94-2094-95
 77. 2094-95-2095-96
 78. 2095-96-2096-97
 79. 2096-97-2097-98
 80. 2097-98-2098-99
 81. 2098-99-2099-00
 82. 2099-00-2100-01
 83. 2100-01-2101-02
 84. 2101-02-2102-03
 85. 2102-03-2103-04
 86. 2103-04-2104-05
 87. 2104-05-2105-06
 88. 2105-06-2106-07
 89. 2106-07-2107-08
 90. 2107-08-2108-09
 91. 2108-09-2109-10
 92. 2109-10-2110-11
 93. 2110-11-2111-12
 94. 2111-12-2112-13
 95. 2112-13-2113-14
 96. 2113-14-2114-15
 97. 2114-15-2115-16
 98. 2115-16-2116-17
 99. 2116-17-2117-18
 100. 2117-18-2118-19
 101. 2118-19-2119-20
 102. 2119-20-2120-21
 103. 2120-21-2121-22
 104. 2121-22-2122-23
 105. 2122-23-2123-24
 106. 2123-24-2124-25
 107. 2124-25-2125-26
 108. 2125-26-2126-27
 109. 2126-27-2127-28
 110. 2127-28-2128-29
 111. 2128-29-2129-30
 112. 2129-30-2130-31
 113. 2130-31-2131-32
 114. 2131-32-2132-33
 115. 2132-33-2133-34
 116. 2133-34-2134-35
 117. 2134-35-2135-36
 118. 2135-36-2136-37
 119. 2136-37-2137-38
 120. 2137-38-2138-39
 121. 2138-39-2139-40
 122. 2139-40-2140-41
 123. 2140-41-2141-42
 124. 2141-42-2142-43
 125. 2142-43-2143-44
 126. 2143-44-2144-45
 127. 2144-45-2145-46
 128. 2145-46-2146-47
 129. 2146-47-2147-48
 130. 2147-48-2148-49
 131. 2148-49-2149-50
 132. 2149-50-2150-51
 133. 2150-51-2151-52
 134. 2151-52-2152-53
 135. 2152-53-2153-54
 136. 2153-54-2154-55
 137. 2154-55-2155-56
 138. 2155-56-2156-57
 139. 2156-57-2157-58
 140. 2157-58-2158-59
 141. 2158-59-2159-60
 142. 2159-60-2160-61
 143. 2160-61-2161-62
 144. 2161-62-2162-63
 145. 2162-63-2163-64
 146. 2163-64-2164-65
 147. 2164-65-2165-66
 148. 2165-66-2166-67
 149. 2166-67-2167-68
 150. 2167-68-2168-69
 151. 2168-69-2169-70
 152. 2169-70-2170-71
 153. 2170-71-2171-72
 154. 2171-72-2172-73
 155. 2172-73-2173-74
 156. 2173-74-2174-75
 157. 2174-75-2175-76
 158. 2175-76-2176-77
 159. 2176-77-2177-78
 160. 2177-78-2178-79
 161. 2178-79-2179-80
 162. 2179-80-2180-81
 163. 2180-81-2181-82
 164. 2181-82-2182-83
 165. 2182-83-2183-84
 166. 2183-84-2184-85
 167. 2184-85-2185-86
 168. 2185-86-2186-87

2	2017-18	4	5	6
अतिरिक्त वापस होना	गुणायक वापस होना	-	प्रति संश्लेष	प्रति संश्लेष
काम्य न निकाले	काम्य न निकाले	1	अप्रति	अप्रति
वापस	वापस	प्रति संश्लेष		

श्रेणी - प

वेतनमान : रु. 1200-30-1350-40-1500-50-1800

1	2	3	4	5	6
(क) गतित्रिक संदर्भ					
23 (अ)	सब स्टेशन आपरेटर, मिनिमोर्ड आपरेटर	समन्वयन ग्रेड-2 (निम्नतम)	माध्यमिक शिक्षा परिषद उ.प्र. की हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा विज्ञान एवं गणित विषय के साथ उत्तीर्ण तथा इले- क्ट्रीशियन ट्रेड में अखिल- भारतीय/राज्य व्यावसायिक प्रमाण-पत्र एवं दो वर्ष का कार्य का अनुभव	माध्यमिक शिक्षा परिषद उ.प्र. की हाईस्कूल या सम- कक्ष परीक्षा उत्तीर्ण एवं श्रेणी प ₁ में 5 वर्ष या श्रेणी प ₂ में न्यूनतम 10 वर्ष की नियमित सेवा	33 1/3 प्रतिशत श्रेणी प ₁ एवं प ₂ से पदोन्नति द्वारा तथा 66-2/3 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा
(ब)	मीटर रीडर				
(स)	जूनियर इलेक्ट्रीशियन, जूनियर इलेक्ट्रीशियन ग्रेड-1 इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन ग्रेड - 1/II				
(द)	गेन्डीन्यूमल मिन्ट्री				
(य)	मीटर टेन्टर एण्ड रिपेयर, मीटर टेन्टर, मीटर मिनेनिक				
24	कारपेन्टर	समन्वयन ग्रेड-2 (काष्ठ)	भूत संदर्भ		भूत संदर्भ
25.	बेल्डर, बेल्डर ग्रेड-III, एल पी बेल्डर	बेल्डर ग्रेड-2	माध्यमिक शिक्षा परिषद उ. प्र. की हाईस्कूल विज्ञान एवं गणित विषय के साथ या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण सम्बन्धित ट्रेड में अखिल भारतीय/राज्य व्यावसायिक प्रमाण-पत्र तथा दो वर्ष अनुभव	श्रेणी प3 में 5 वर्ष या श्रेणी प2 में न्यूनतम 10 वर्ष की नियमित सेवा तथा कार्य का ज्ञान	33-1/3 प्रतिशत श्रेणी प ₁ एवं श्रेणी प ₂ से पदोन्नति द्वारा तथा 66-2/3 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा
26.	रेफ्रीजरेटर मिकेनिक, एयर कन्डीशनर मिकेनिक, एयर कन्डी- शनिंग आपरेटर	समन्वयन ग्रेड-2 (रेफ्रीजरेटर/ एयर कन्डीशनिंग)	माध्यमिक शिक्षा परिषद उ.प्र. की हाईस्कूल विज्ञान एवं गणित विषय के साथ या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण, सम्बन्धित ट्रेड में अखिल भारतीय/राज्य व्यावसायिक प्रमाण-पत्र तथा दो वर्ष का अनुभव	उपरोक्त	66-2/3 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा तथा 33-1/3 प्रतिशत श्रेणी प ₁ एवं प ₂ से पदोन्नति द्वारा

1	2	3	4	5	6
27	इन्स्ट्रुमेंट मिकेनिक, इन्स्ट्रुमेंट मिकेनिक ग्रेड-1, फाइन मेकेनिक इन्स्ट्रुमेंट मिकेनिक ग्रेड - II, टेक्नीशियन (इन्स्ट्रुमेंट) II	तकनीशियन ग्रेड-2 (इन्स्ट्रुमेंट)	माध्यमिक शिक्षा परिषद उ.प्र. की हाईस्कूल विज्ञान एवं गणित विषय के साथ या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण, इन्स्ट्रुमेंट ट्रेड में अखिल भारतीय/राज्य व्यावसायिक प्रमाण-पत्र तथा दो वर्ष का अनुभव	उपरोक्त	उपरोक्त
28	असिस्टेंट टेलीफोन टेस्टर, टेलीफोन टेस्टर, रेडियो मेकेनिक ग्रेड - I टेलीफोन मेकेनिक	तकनीशियन ग्रेड-2 (टेलीफोन/ रेडियो)	माध्यमिक शिक्षा परिषद उ.प्र. की हाईस्कूल विज्ञान एवं गणित विषय के साथ या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण, इलेक्ट्रिशियन/रेडियो-टेक्नी- शियन ट्रेड में अखिल भारतीय/राज्य व्यावसायिक प्रमाण-पत्र तथा दो वर्ष का अनुभव	उपरोक्त	उपरोक्त
29	वाइन्डर ग्रेड-II, वाइन्डर ग्रेड-I, वाइन्डर	तकनीशियन ग्रेड-2 (वाइन्डर)	माध्यमिक शिक्षा परिषद उ.प्र. की हाईस्कूल विज्ञान एवं गणित विषय के साथ या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में अखिल भारतीय/राज्य व्यावसायिक प्रमाण-पत्र तथा दो वर्ष का अनुभव	श्रेणी प ₁ में न्यूनतम 5 वर्ष या श्रेणी प ₂ में न्यूनतम 10 वर्ष की विशेषज्ञता सेवा तथा कार्य का ज्ञान	33-1/3 प्रतिशत श्रेणी प ₁ एवं प ₂ से पदोन्नति द्वारा तथा 66-2/3 सीढ़ी बर्ती द्वारा

1	2	3	4	5	6
(ख) अन्य					
30	लाइन मैन, टावर मैन	सकनीशियन ग्रेड-2 (लाइन)	---	लेखनात्मक लिपि पढ़ना- लिखना जानता हो और श्रेणी प ₁ में न्यूनतम 5 वर्ष या श्रेणी-प ₂ में 10 वर्ष न्यूनतम नियमित सेवा तथा विद्युत लाइनों पर कार्य का अनुभव	श्रेणी प ₁ में ह्यूटरी असिस्टेंट लाइन मैन कम्पलेन्ट रिकार्डर श्रेणी प ₂ में कुशल श्रमिकों से पदोन्नति द्वारा
31	टाउन इंचार्ज	टाउन इंचार्ज	---	मृत संवर्ग	मृत संवर्ग
32	असिस्टेंट सुपरवाइजर	असिस्टेंट सुपरवाइजर	---	मृत संवर्ग	मृत संवर्ग

- टिप्पणी : 1. वर्तमान में यदि कालम-2 में अंकित से अलावा इस वेतनमान में कोई पद है तो वह मृत संवर्ग माना जायेगा।
2. कालम-2 में अंकित पदनाम का कोई कर्मचारी परिपद के किन्हीं पूर्व आदेशों से इससे अधिक या निम्न वेतनमान पा रहा है तो वह उसका व्यक्तिगत वेतनमान माना जायेगा।
3. कालम-2 में अंकित वेतनमान में अंकित पदों का इनके सम्मुख कालम-3 में अंकित एक ही पदनाम माना जायेगा।

श्रेणी - प₅

वतनमान : रु. 1350-40-1550-50-1800-60-2160

1	2	3	4	5	6
33	केबिल ज्वाइन्टर (11 के वी)	केबिल ज्वाइन्टर (11 के वी)	माध्यमिक शिक्षा परिषद उ.प्र. की हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण तथा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में अतिल भारतीय/राज्य व्यावसायिक प्रमाण पत्र त श्रेणी-3 के अन्तर्गत 7 वर्ष की नियमित सेवा और केबिल ज्वाइन्टिंग का ज्ञान या किसी भी श्रेणी में 15 वर्ष की सेवा तथा केबिल ज्वाइन्टिंग का अनुभव	श्रेणी प ₅ के अन्तर्गत तकनीकियन ग्रेड -2 (इलेक्ट्रिकल) से प्रदोत्रशि द्वारा या अन्य किसी श्रेणी में 15 वर्ष की नियमित सेवा तथा केबिल ज्वाइन्टिंग का अनुभव रखने वाले वाले कर्मचारियों द्वारा	
34	गोबाइल क्रेन ऑपरेटर/ चालक-1 (75 टन से अधिक)	परिचालक ग्रेड-1 (गोबाइल क्रेन)	देवनागरीलिपि पढ़ना- लिखना जानता हो। कामर्शियल ब्लेकिल चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस जिस पर पुलिस या मजिस्ट्रेट द्वारा कोई प्रतिकूल प्रमाणित न हो, रखता हो तथा श्रेणी प ₅ में 7 वर्ष की न्यूनतम नियमित सेवा या श्रेणी प ₅ में 10 वर्ष की नियमित सेवा तथा कार्य का अनुभव	श्रेणी प ₅ एवं प ₆ से प्रदोत्रशि द्वारा	

1	2	3	4	5	6
35	पुलिंग युनिट एव. ट्रेलर ऑपरेटर (100 म.म. एव अधिक)	परिचालक ट्रेलर - 1 (पुलिंग युनिट एव ट्रेलर)		उपरोक्त	उपरोक्त
36	स्टोर कीपर	भंडारी	श्रेणी प, में कार्यरत सहायक भंडारी के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव।	श्रेणी प, में कार्यरत सहायक भंडारियों से प्रोन्नति द्वारा	

- टिप्पणी :
1. वर्तमान में यदि कालम-2 में अंकित से अलावा इस वेतनमान में कोई पद है तो वह मूल संवर्ग माना जायेगा।
 2. कालम-2 में अंकित पदनाम का कोई कर्मचारी परिपद के किन्हीं पूर्व आदेशों से इससे अधिक वेतन पा रहा है तो वह उसका व्यक्तिगत वेतनमान माना जायेगा।
 3. कालम-2 में अंकित पदों के सम्मुख कालम-3 में अंकित वह एक ही पदनाम माना जायेगा।

श्रेणी - प० पात्रिक संदर्भ

प्रेतनमान : रु. 1650-50-2000-60-2240-75-2690

2	3	4	5	6
केबिल ज्वाइन्टर (33 के.वी. एवं उच्चतर)	केबिल ज्वाइन्टर (33 के.वी. एवं उच्चतर)	-	श्रेणी प० में केबिल ज्वाइन्टर के पद पर न्यूनतम 7 वर्ष की नियमित सेवा तथा 33 के.वी. एवं उच्चतर केबिल ज्वाइंटिंग कार्य का ज्ञान एवं क्षमता रसना हो और वास्तव में इस कार्य को किया हो।	श्रेणी प० में कार्यरत केबिल ज्वाइन्टर जो निर्धारित योग्यता रखते हैं से पदोन्नति द्वारा

परिशिष्ट - 1(ख)
(देखें विनियम 3)

उत्पादन स्थान में परिचालकीय वर्ग के कर्मचारी

श्रेणी ५

योगनम्बर : फ. 200-15(4)960-20(1)1040-25(6)1190

क्रमांक	पदनाम	साप्ताहिक पदभार	भर्ती		भर्ती का स्रोत
			नीतिमती के लिए	परीक्षा द्वारा	
1	2	3	4	5	6
1 (क)	मजदूर (समस्त पदनाम, जो कि मजदूर व निम्नलिखित मजदूर को छोड़कर)	भूमि	अभ्यर्थी शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से स्वस्थ-पुष्ट तथा	-	सीधी भर्ती द्वारा
(ख)	श्रमिक/कुली (निम्नलिखित कुली व श्रमिक कुली को छोड़कर समस्त कुली)		समयावसी निधि पढ़ना-लिखना जानना हो व		
(ग)	खानसी (निम्नलिखित खानसी को छोड़कर सभी पदनाम)		साक्षरिता बताना सक्षम हो।		
(घ)	हेल्पर (समस्त पदनाम)				
(ङ)	बगीचदार (समस्त पदनाम)				
(च)	मेसदार (समस्त पदनाम)				
(छ)	अमादार (समस्त पदनाम को छोड़कर अन्य अमादार को छोड़कर)				
(ज)	गैर व्यापक, सेठ मैनेजर, टॉकर कनेक्टर				
(झ)	सेट				

3	2	3	4	5	6
2	माली	माली	अभ्यर्थी शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से दृष्ट-पुष्ट तथा देवनागरी लिपि पढ़ना-लिखना जानता हो व साइकिल चला सकता हो।	---	सीधी भर्ती द्वारा
3	चौकीदार, वाचमैन (आफिस चौकीदार को छोड़कर)	प्रहरी	शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ हो। भूतपूर्व सैनिक जिनकी आयु 45 वर्ष से अधिक न हो। देवनागरी लिपि लिखना-पढ़ना तथा साइकिल चलाता जानता हो।	---	उपरोक्त
4 (क)	ट्राली मैन	श्रमिक (ट्राली)	मृत संवर्ग	मृत संवर्ग	मृत संवर्ग
4 (ख)	लिफ्ट अटेंडेंट, मिस्ट्रि मैन	श्रमिक (लिफ्ट)			
5	कुक भेस अटेंडेंट, वेंटर, कुक कम चौकीदार मियर, कुक कम अटेंडेंट फीलड होस्टल अटेंडेंट	पाकश्रमिक	खाना पकाना तथा देवनागरी लिपि लिखना-पढ़ना जानता हो।	---	उपरोक्त
6	स्वीगर (पूर्ण कालिक)	स्वच्छकार (पूर्ण कालिक)	अभ्यर्थी शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से दृष्ट-पुष्ट तथा देवनागरी लिखना-पढ़ना व साइकिल चलाना जानता हो।	---	सीधी भर्ती द्वारा

7 भिगनी श्रमिक (भिगनी) मृत संवर्ग मृत संवर्ग

- 7-1 वर्तमान में यदि कालम-2 में अंकित से अज्ञात इस वेतनमान में कोई पद है तो मृत संवर्ग माना जायेगा।
- 2 कालम-2 में अंकित पदनाम का कोई कर्मचारी परिवर्तन के किन्हीं पूर्व आवेदनों से इससे अधिक वेतनमान पा रहा है तो वह उसका व्यक्तिगत वेतनमान माना जायेगा।
- 3 कालम-3 में अंकित पदों का इनके सम्मुख कालम-3 में अंकित एक ही पदनाम माना जायेगा।

श्रेणी प₁

वेतनमान : रु. 1000-20 (4) 1080-25 (4) 1180-30 (6) 1360

1	2	3	4	5	6
8. (क)	हेमर मैन	कुशल श्रमिक (हेमर)	मृत संवर्ग	मृत संवर्ग	
(ख)	प्लान्ट मैन, अन्टिम पोर्टर	कुशल श्रमिक (रेलवे प्लान्ट्स, शान्टिंग)	---	देवनागरी लिपि में पढ़ना लिखना जानता हो तथा श्रेणी-प ₁ में न्यूनतम 7 वर्ष नियमित सेवा।	श्रेणी प ₁ से पदोन्नति द्वारा
(ग)	वैटरी मैन	कुशल श्रमिक (वैटरी)	---	उपरीक्त	उपरीक्त
(घ)	ब्लायलर वाटर मैन	कुशल श्रमिक (ब्लायलर वाटर)	मृत संवर्ग	मृत संवर्ग	
9	स्किल्ड कुली, स्किल्ड खलासी, स्किल्ड मजदूर, स्टोर जमादार, स्किल्ड श्रमिक, स्पेशल कुली, स्किल्ड मैन	कुशल श्रमिक	---	देवनागरी लिपि में पढ़ना लिखना जानता हो तथा श्रेणी प ₁ में न्यूनतम 7 वर्ष की नियमित सेवा।	श्रेणी प ₁ पदोन्नति द्वारा
10.	ऐश मैन, ऐस मैन ग्रेड-II ऐश मैन ग्रेड-I, कोल मैन, कोल जमादार, कोल मजदूर	कुशल श्रमिक (कोल राख)	---		मृत संवर्ग
11. (अ)	कोल साइडिंग प्लान्ट अटेन्डेन्ट, कन्वेयर प्लांट अटेन्डेन्ट कूट वाटर प्लान्ट अटेन्डेन्ट, एस.पी. अटेन्डेन्ट ग्रेड-2, कोल कन्वेयर अटेन्डेन्ट, अटेन्डेन्ट (कोल)	अटेन्डेन्ट ग्रेड-2	---	मृत संवर्ग	मृत संवर्ग

2	3	4	5	6
20	टयूबवेल ऑपरेटर/टयूबवेल मटेनैन्स ग्रेड-2 मटेनैन्स (कालोनी) (पेयजल पम्प हाउस)	---	देवनागरी लिपि में पढ़ना लिखना तथा श्रेणी प, में न्यूनतम 7 वर्ष की नियमित सेवा	श्रेणी प, से पदोन्नति द्वारा
21	स्टोर मिली	स्टोर मिली	---	जगह
22	मनहोस्तदर	मनहोस्तदर	---	मृत संवर्ग
23	सेम्पलर	सेम्पलर	---	मृत संवर्ग
24	सेम्पलर	सेम्पलर	---	माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की रसायनशास्त्र विषय के साथ द्वितीय श्रेणी में हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण
25	मायलर, मायल मैन, ग्रीजर	मायलर/ग्रीजर	---	देवनागरी लिपि पढ़ना- लिखना जानता हो तथा श्रेणी प, के अन्तर्गत न्यूनतम 7 वर्षों की नियमित सेवा।

- टिप्पणी : 1. वर्तमान में यदि कालम-2 में अंकित से अनावा इस वेतनमान में कोई पद है तो वह मृत स्वर्ग माना जायेगा।
 2. कालम-2 में अंकित पदनाम का कोई कर्मचारी परिषद के किन्हीं पूर्व आदेशों से इससे अधिक या निम्न वेतनमान पर रहा है तो वह उसका व्यक्तिगत वेतनमान माना जायेगा।
 3. कालम-2 में अंकित पदों का उनके सम्मुख कालम-3 में अंकित एक ही पदनाम माना जायेगा।

श्रेणी-4 (पु)

वेतनमान : रु. 1100-25 1225-30-1375-40-1575

1	2	3	4	5	6
16.	साइट वेहिकल ड्राइवर, हैवी वेहिकल-दस-लारी, ड्राइवर ट्रक- टेम्पो ड्राइवर, आटो रिक्शा ड्राइवर, ड्राइवर	मालक	देनागरी लिपि पढ़ना-लिखना जानता हो कामर्सियल/हैवी वेहिकल ड्राइविंग लाइसेन्स जिसपर पुलिस या नजिस्ट्रेट द्वारा कोई प्रा कूल इमिडि न हो. रखता हो नया कम से कम दो वर्ष का चालन चलाने का अनुभव तथा वेहिकल के इंजिन की कार्यशीली का ज्ञान।		श्रेणी-5 के समकक्ष जो कालम-4 में भी अर्हता रखते हों सीधी भर्ती द्वारा

17.	मेसन	राजमिस्त्री	देनागरी लिपि पढ़ना- लिखना जानता हो तथा श्रेणी-5 में न्यूनतम 5 वर्ष की निपमित सेवा एवं कार्य का ज्ञान	श्रेणी-प, से पदेन द्वारा
-----	------	-------------	---	-----------------------------

2	3	4	5	6
कोल साइडिंग अटेन्डेन्ट, कोल हुन्डनिंग प्लांट अटेन्डेन्ट, कोल कन्वेयर अटेन्डेन्ट, कन्वेयर अटेन्डेन्ट, अडिस्टेन्ट कन्वेयर प्लान्ट अटेन्डेन्ट, कोल पम्प अटेन्डेन्ट, रा- शटर पम्प अटेन्डेन्ट, इन्फेरेटर प्लान्ट अटेन्डेन्ट, प्लान्ट अटेन्डेन्ट, कूलिंग अटेन्डेन्ट कूलिंग वाटर पम्प अटेन्डेन्ट अडिस्टेन्ट वाटर रूम अटेन्डेन्ट, वाटर रूम अटेन्डेन्ट, वाटर ग्रेड-1, पम्प अटेन्डेन्ट, अटेन्डेन्ट, पम्प काई आपरेटर, अडिस्टेन्ट कन्ट्रोल रूम अटेन्डेन्ट, अडिस्टेन्ट टावाइन रूम अटेन्डेन्ट, वाटर फायर मेन	अटेन्डेन्ट		देवनागरी लिपि पढ़ना- श्रेणी प₂ के कर्म- लिखना जानता हो और चारियों से पदोन्नति श्रेणी प₁ में कम से कम द्वारा। 5 वर्ष की नियमित सेवा तथा कार्य का ज्ञान।	
कूलिंग यूनित एवं ट्रेलर मोटर (100 आश्व शक्ति से नीचे) यूनित एवं ट्रेलर	बालक (पुलिंग) ट्रेलर		श्रेणी य₂ में कार्यरत कर्मचारी जो कालम 4-5 में अक्षय योग्यता रखते हों से पदोन्नति द्वारा या सीधी भर्ती द्वारा।	
क्रेन आपरेटर (75 टन से नीचे) मैकेनिक क्रेन (75 टन से नीचे)	चाणक (क्रेन)		हिन्दी पढ़ना लिखना जानता हो कामगिरियल/हिवी व्हेकिल चलाते का लाइसेंस जिसपर पुलिस या मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित न हो रखता हो और यूनित यूनित न ट्रेलर/ क्रेन चलाने का कम से कम दो वर्ष का अनुभव रखता हो।	

1	2	3	4	5	6
(ग)	गेन्ट्री क्रेन ऑपरेटर	बालक	देवनागरी लिपि पढ़ना-लिखना	-	उपरोक्त
		(गेन्ट्री क्रेन)	जानता हो तथा इस प्रकार की क्रेन चलाने का 2 वर्ष का अनुभव		
२०.	आयल इंजिन ड्राईवर, तेलकल-चालक	आयल इंजिन/- तेलकल चालक		मृत संवर्ग	मृत संवर्ग
२१.	वाल्वेनाइजर, वल्के वाइजिंग मिकेनिक	वाल्वेनाइजर	देवनागरी लिपि पढ़ना लिखना तथा श्रेणी ५२ में कम से कम ५ वर्ष की नियमित सेवा या श्रेणी ५१ में १० वर्ष नियमित सेवा तथा कार्य का ज्ञान		श्रेणी ५२ से या श्रेणी ५१ से पदोन्नति द्वारा।
२२	फिल्टर, कैन रिपेयर, हाइड्रोलिक प्रेस मशीन अटेंडेन्ट, गियरिंग मशीन अटेंडेन्ट, ड्रिलर, टर्नर, टिन स्मिथ, टिन मैन, रैक क्लीनिंग मशीन ऑपरेटर	मिकेनिक ग्रेड-३		उपरोक्त	उपरोक्त
२३.	ऑटोमोबाइल फिल्टर, ऑटोमोबाइल, ऑटो फिल्टर, ऑटो इलेक्ट्रिशियन	मिकेनिक ग्रेड-३ (ऑटोमोबाइल)	-	उपरोक्त	श्रेणी ५२ या ५१ से पदोन्नति द्वारा
२४.	पेन्टर	पेन्टर		मृत संवर्ग	मृत संवर्ग
२५.	रिगार, सारंग	रिगार सारंग		देवनागरी लिपि पढ़ना लिखना तथा श्रेणी-५२ में कम से कम ५ वर्ष की नियमित सेवा तथा कार्य का ज्ञान।	उपरोक्त

लोहार	-	मूल संवर्ग	
मिकेनिक ग्रेड- 11,	रेडियो मिकेनिक -	देव नागरी लिपि पढ़ना	
ग्रेड-2		लिखना जानता हो	
		तथा श्रेणी पर में	
		कम से कम ५ वर्ष	
		की नियमित सेवा तथा	
		कार्य का ज्ञान ।	
सेन्ट्रल स्टोर कीपर	सहायक भांडारी	साइंस में रसायन,	सीधी भर्ती
कम्पलर, स्टोर कीपर		भौतिक एवं गणित	
कीपर (वर्कशाप)		विषय के साथ	
इन्सुलर, जूनियर		उत्तरदायित्व	
असिस्टेंट			
रेफीजरेटर मिकेनिक	रेफीजरेटर मिकेनिक	देवनागरी लिपि पढ़ना	श्रेणी पर से पदोन्नति
ग्रेड- 11	ग्रेड-2	लिखना जानता हो ।	द्वारा
		श्रेणी पर में न्यूनतम	
		५ वर्ष की नियमित सेवा	
		तथा कार्य का ज्ञान ।	
कटर टूटमेन्ट प्लान्ट अटेन्डेन्ट	अटेन्डेन्ट	विज्ञान में रसायन शास्त्र	सेम्पलर के पद पर ३३-१/३
कटर सफ्टिंग प्लान्ट अटेन्डेन्ट,	कटर टूटमेन्ट	विषय से द्वितीय श्रेणी	श्रेणी पर में न्यून-
व लेबर अटेन्डेन्ट		में माध्यमिक शिक्षा परिषद,	तम ७ वर्ष का
		उ.प्र. की कटरमशीन	अनुभव
		परीक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष	
		रसायन शास्त्र विषय के साथ	
		स्नातक उपाधि	
फायर मैन (फायर फाइटर)	फायर मैन	-	देवनागरी लिपि में
			श्रेणी पर से पदो-
			पढ़ना-लिखना तथा
			साइकिल चलाना जानता
			हो तथा श्रेणी पर में
			न्यूनतम ५ वर्ष की
			नियमित सेवा ।

१	२	३	४	५	६
३२.	टेलीफोन इंटेन्डेंट, टेलीफोन ऑपरेटर पी.ए.बी.एक्स. ऑपरेटर (टेलीफोन स्विचिंग बोर्ड पर कार्यरत)	दूरभाष परिचालक		देवनागरी लिपि लिखना पढ़ना जानता हो तथा श्रेणी पर में कम से कम ५ वर्ष की नियमित सेवा तथा कार्य का ज्ञान	श्रेणी पर से जो भी हो

- टिप्पणी: १. वर्तमान में यदि कालम-२ में अंकित से अलावा इस वेतनमान में कोई पद है तो वह मृत संवर्ग माना जायेगा।
२. कालम-२ में अंकित पदनाम का कोई कर्मचारी परिषद के किन्हीं पूर्व आदेशों से इससे अधिक या निम्न वेतनमान पर रहा है तो वह उसका व्यक्तिगत वेतनमान माना जायेगा।
३. कालम-२ में अंकित पदों का इनके सम्मुख कालम-३ में अंकित एक ही पदनाम माना जायेगा।

सिद्ध

E-61

61

श्रेणी - प४

तनमान रु. 1200-30-1350-40-1550-50-1800

क्र	विवरण	३	४	५	६
३३	उच्च स्टेजल आपरेटर, स्विचबोर्ड	तकनीक ग्रेड-२	शिक्षा परिषद	उच्च क शिक्षा परिषद	३३-१/३ श्रेणी
३४	कन्ट्रोल	(विद्युत)	उ.प्र. की हाई स्कूल विज्ञान	उ.प्र. की हाई स्कूल या	प३ एवं प२ से
३५	मैटर रीडर		एवं गणित के विषय के साथ	समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण	पदोन्नति द्वारा तथा
३६	मैटर टेस्टर एण्ड		या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण	एवं श्रेणी प३ में ५ वर्ष या	तथा ६६-२/३
३७	मैटर टेस्टर, मैटर मिकेनिक		तथा इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में	श्रेणी प२ में न्यूनतम	प्रतिष्ठित सीधी भर्ती
३८	इलेक्ट्रीशियन, जूनियर		अखिल भारतीय/राज्य	१० वर्ष की निम्नलिखित सेवा	द्वारा।
३९	इलेक्ट्रीशियन ग्रेड- १, इलेक्ट्री-		व्यावसायिक प्रमाणपत्र	तथा कार्य का ज्ञान।	
४०	शियन ग्रेड- १/११, आरेटर		एवं दो वर्ष का कार्य का		
४१	ग्रेड- ११ (इलेक्ट्रिकल)		अनुभव।		
४२	सेन्ट्रीफ्यूगल मिस्त्री	तकनीक ग्रेड-२	माध्यमिक शिक्षा परिषद	हिन्दी पढ़ना लिखना	३३-१/३
४३	टर्नर-कम-वेल्डर, टर्नर,	(टर्निंग मशीनिस्ट,	उ.प्र. की हाई स्कूल विज्ञान	जानता हो तथा श्रेणी	श्रेणी प३ एवं प२ से
४४	फिटर कम-टर्नर, मशीनिष्ट,	ग्राइन्डिंग)	एवं गणित विषयों के साथ	प३ में ५ वर्ष अथवा	पदोन्नति द्वारा
४५	मिस्त्री मशीनिष्ट, ग्राइन्डर		या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण	श्रेणी प३ में १० वर्ष	तथा ६६-२/३
४६	क		तथा सम्बन्धित ट्रेड में	की नियमित सेवा तथा	प्रतिष्ठित सीधी भर्ती
			ल भारतीय/राज्य	कार्य का ज्ञान।	
			व्यवसायिक प्रमाण-पत्र एवं		
			सम्बन्धित कार्य का दो वर्ष		
			का अनुभव।		

१	२	३	४	५	६
३५. (अ) फिटर- 11, फिटर, फिटर-१ (ब) ऑपरटर ग्रेड- 11 मिकेनिकल (म) रक्षणाप मिस्त्री वापनर मिस्त्री (द) टरवाईन मिस्त्री टरवाईन ड्राईवर टरवाईन मिकेनिक टरवाईन ऑपरटर स्वीच बोर्ड ऑपरटर कम टरवाईन ड्राईवर	मध्यमिक शिक्षा परिषद (मिकेनिकल)	महाराष्ट्र शिक्षा परिषद उ.प्र. की हाई स्कूल विज्ञान एवं गणित के विषय के साथ या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण तथा फिटर ट्रेड में अखिल भारतीय/राज्य व्यावसायिक प्रमाणपत्र एवं सम्बन्धित कार्य का दो वर्ष का अनुभव।	उपरोक्त	उपरोक्त	
३६. मोटोमैकानिक फिटर, आटो- मोटोमैकानिक मिकेनिक, मोटर मिकेनिक, डीजल मिकेनिक, लोकोमोशन मिकेनिक, विद्युत फिटर, आटो फिटर, आटो मिकेनिक, आटो टेक्नीशियन स्तर- 1	मध्यमिक शिक्षा परिषद-२ (आटोमोबाइल)	माध्यमिक शिक्षा परिषद उ.प्र. की विज्ञान एवं गणित विषय के साथ हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण तथा मिकेनिक (मोटर व्हेकिल) या मिकेनिक (डीजल) ट्रेड में अखिल भारतीय राज्य/राज्य प्रमाणपत्र एवं कार्य का दो वर्ष का अनुभव।	श्रेणी-३ में ५ वर्ष अथवा श्रेणी-२ में १० वर्ष की नियमित सेवा तथा कार्य का अनुभव	३३/१/३ श्रेणी ५३ एवं ५२ से पदोन्नति द्वारा तथा तथा ६६२/३ प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	
३७. कारपेन्टर	महाराष्ट्र शिक्षा परिषद (काष्ठ)	महाराष्ट्र शिक्षा परिषद उ.प्र. की हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण तथा कारपेन्टर ट्रेड में अखिल भारतीय/राज्य व्यावसायिक प्रमाणपत्र तथा कार्य का दो वर्ष का अनुभव।		मृत सेंस	
३८. वेल्डर, वेल्डर ग्रेड- 11 एल.पी वेल्डर	वेल्डर ग्रेड-२	माध्यमिक शिक्षा परिषद उ.प्र. की हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। गैस एवं इलेक्ट्रिक वेल्डिंग ट्रेड में अखिल भारतीय/राज्य व्यावसायिक प्रमाण-पत्र तथा दो वर्ष का अनुभव	हिन्दी पढ़ना लिखना जानता हो तथा श्रेणी ४ में न्यूनतम ५ वर्ष की नियमित सेवा अथवा श्रेणी-५ में न्यूनतम १० वर्ष की नियमित सेवा तथा कार्य का अनुभव।	३३-१/३ प्रमाणपत्र श्रेणी-५३ एवं ५२ पदोन्नति द्वारा तथा ६६-२/३ प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	

३	३	४	५	६
रेडिओरेटर मिकेनिक,	तकनीशियन ग्रेड-२	माध्यमिक शिक्षा परिषद	हिन्दी पढ़ना जानना	६६-२/३ प्रतिशत
एयर कन्डीशनर मिकेनिक,	(रेडिओरेटर/	उ.प्र. की हाई स्कूल विज्ञान	जानता हो तथा सम्बन्ध-	क्षेत्री भर्ती द्वारा तथा
एयर कन्डीशनिंग आपरेटर	एयर कन्डीशनिंग)	एवं गणित विषयों के साथ	घित कार्य का पत्र में	३३-१/३ प्रतिशत
		या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण,	न्यूनतम ५ वर्ष का	क्षेत्री पत्र पदोन्नति
		रेडिओरेटर एवं एयर	अनुभव ।	द्वारा ।
		अनुभव से अखिल भारतीय/राज्य व्यापक		
		प्रमाण-पत्र तथा दो वर्ष का अनुभव ।		
इन्सट्रूमेंट मिकेनिक,	तकनीशियन ग्रेड-२	माध्यमिक शिक्षा परिषद	हिन्दी पढ़ना जानना	६६-२/३ प्रतिशत
इन्सट्रूमेंट मिकेनिक,	(इन्सट्रूमेंट)	उ.प्र. की हाई स्कूल विज्ञान	जानता हो तथा	क्षेत्री भर्ती द्वारा तथा
ग्रेड- १, फाइन		एवं गणित विषयों के साथ	क्षेत्री पत्र में न्यूनतम	३३-१/३ प्रतिशत
मिकेनिक		या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण,	५ वर्ष का अनुभव क्षेत्री	क्षेत्री पत्र एवं पत्र से
		इन्सट्रूमेंट ग्रेड में	पत्र में न्यूनतम १० वर्ष	पदोन्नति द्वारा ।
		अखिल भारतीय/राज्य	की नियमित सेवा और	
		व्यावसायिक प्रमाण-पत्र	कार्य का ज्ञान ।	
		तथा दो वर्ष का अनुभव ।		
कू-टेलीफोन टेस्टर,	तकनीशियन ग्रेड-२	माध्यमिक शिक्षा परिषद	उपरोक्त	उपरोक्त
टेलीफोन टेस्टर,	(टेलीफोन/रेडियो)	उ.प्र. की हाई स्कूल विज्ञान		
टेलीफोन मिकेनिक ग्रेड-१		एवं गणित विषयों के साथ		
टेलीफोन मिकेनिक		या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण		
		इलेक्ट्रॉनिक/रेडियो टेलीवि-		
		जन ग्रेड में अखिल भारतीय/		
		राज्य व्यापक प्रमाण-पत्र		
		तथा दो वर्ष का अनुभव ।		

१	२	३	४	५	६
४२.	वाइन्डर ग्रेड-१। वाइन्डर ग्रेड-१, वाइन्डर	तकनीशियन ग्रेड-२ (वाइन्डर)	माध्यमिक शिक्षा परिषद उ.प्र. की हाई स्कूल विज्ञान एवं गणित विषय साथ या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में अखिल भारतीय राज्य/ व्यावसायिक प्रमाणपत्र एवं एवं दो वर्ष का कार्य का नुभव।	श्रेणी ५३ में न्यूनतम ५ वर्ष या श्रेणी ५२ में १० वर्ष की नियमित सेवा तथा कार्य का ज्ञान।	२३-२/३ प्रतिशत श्रेणी ५३ एवं ५२ से पदोन्नति द्वारा तथा तथा ६६-२/३ प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।
४३.	फाउन्ड्री मैन, मोल्डर	फाउन्ड्री मैन/ मोल्डर	-	मृत संवर्ग	मृत संवर्ग
४४.	प्लम्बर	प्लम्बर	-	मृत संवर्ग	मृत संवर्ग
४५.	ई.ओ.टी. केन आपरेटर	ई.ओ.टी. केन आपरेटर	माध्यमिक शिक्षा परिषद उ.प्र. की हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में अखिल भारतीय राज्य/ व्यावसायिक प्रमाण-पत्र तथा दो वर्ष का ई.ओ.टी. केन परिचालन का अनुभव।	देवदगरी लिपि पढ़ना- लिखना जानना हो तथा श्रेणी ५३ में ५ वर्ष का या श्रेणी ५२ में न्यूनतम १० वर्ष की सेवा तथा कार्य का ज्ञान।	२३-१/३ प्रतिशत श्रेणी ५३ एवं ५२ से पदोन्नति द्वारा तथा तथा ६६-२/३ सीधी भर्ती द्वारा।

२

३

४

५

६

इंडस्ट्रियल मैन, लोडिंग

लोडिंग फायरमैन

माध्यमिक शिक्षा परिषद

श्रेणी प३ में फायरमैन के

३३-१/३ प्रतिशत

कामरमैन (फायर फाइटिंग)

उ.प्र. की हाई स्कूल

पद पर न्यूनतम ५ वर्ष का

श्रेणी प३ से

या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण

अनुभव।

पदोन्नति द्वारा तथा

तथा एडयान्स लोडिंग

तथा ६६-२/३ सीधी

फायरमैन परीक्षा उत्तीर्ण

भर्ती द्वारा।

तथा काम का दो वर्ष का

अनुभव।

इंडस्ट्रियल

लोडिंग फायर

मृत संवर्ग

- वर्तमान में यदि कालम-२ में अंकित से अलावा इस वेतनमान में कोई पद है तो मृत संवर्ग माना जाएगा।
- कालम-२ में अंकित पदनाम का कोई कर्मचारी परिषद के किसी पूर्व आदेशों से इससे अधिक या निम्न वेतनमान पा रहा है तो वह उसका व्यक्तिगत वेतनमान माना जायेगा।
- कालम-३ में अंकित पदों के इसके सम्मुख कालम-३ अंकित वह एक ही वेतनमान माना जाएगा।

श्रेणी - प५

वेतनमान रु. 1350-40-1550-50-1800-60-2160

१	२	३	४	५	६
(क)	यांत्रिक संवर्ग				
४८.	आपरेटर (परिचालक) ग्रेड- १ (इलेक्ट्रिकल/मिके- निकल टिक्नीशियन ग्रेड- १ असिस्टेंट कन्ट्रोलर, कन्ट्रोलर टरबाइन बोर्ड, कन्ट्रोलर सिस्टम बोर्ड	तकनीशियन ग्रेड- १ (इलेक्ट्रिकल/मिके- निकल)	श्रेणी प४ में न्यूनतम तकनीशियन ग्रेड- २ या तकनीशियन ग्रेड- २ (मैकेनिकल) अथवा तक- नीशियन (इलेक्ट्रिकल) के पद पर न्यूनतम ७ वर्ष का अनुभव।	सम्बन्धित ग्रेड में श्रेणी - प४ में कार्य- रत तकनीशियन ग्रेड- २ से प्रोन्नति द्वारा	
४९.	केबिल ज्वाइन्टर (११ के.वी.)	केबिल ज्वाइन्टर (११ के.वी.)	माध्यमिक शिक्षा परिषद उ.प्र. की हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण तथा इलेक्ट्रीशियन ग्रेड में अखिल भारतीय राज्य व्यावसायिक प्रमाण-पत्र व श्रेणी प४ के अन्तर्गत ७ वर्ष की नियमित सेवा और केबिल ज्वाइन्टिंग का ज्ञान या किसी भी श्रेणी में १५ वर्ष की सेवा तथा केबिल ज्वाइन्टिंग का अनुभव।	श्रेणी प४ के अन्तर्गत टेक्नीशियन ग्रेड - २ (इलेक्ट्रिकल) से प्रोन्नति द्वारा या अन्य किसी श्रेणी में १५ वर्ष की नियमित उपरा केबिल ज्वाइन्टिंग का अनुभव रखने वाले कर्मचारियों द्वारा।	

२	३	४	५	६
हार्ड प्रेशर वेल्डर	हार्ड प्रेशर वेल्डर ग्रेड - १	-	वेल्डर ग्रेड-२ के रूप में कम से कम सात वर्ष कार्य करने का अनुभव तथा गवर्नमेंट टेस्ट हाउस अलीपुर द्वारा प्रदान किया गया हार्ड प्रेशर वेल्डिंग प्रमाण-पत्र लिफाका समय-समय पर नवीनीकरण कराया जाता रहेगा। प्रमाणपत्र की वैधता अवधि समाप्त हो जाने पर इसका नवीनीकरण न होने की दशा में सम्मन्वित व्यक्ति को वेल्डर ग्रेड-२ के पद पर पदोन्नत कर दिया जायेगा।	श्रेणी प४ में कार्यरत वेल्डर ग्रेड-२ के उन कर्मचारियों द्वारा जिनके पास गवर्नमेंट टेस्ट हाउस, अलीपुर का हार्ड प्रेशर वेल्डिंग का सर्टिफिकेट उपलब्ध है।
आटो इलेक्ट्रीशियन- १, आटो टेक्नीशियन- १, आटो मोबाइल टेक्नीशियन	लान्गुएजियन ग्रेड- १ (आटोमोबाइल)	-	श्रेणी प४ में कम से कम (आटोमोबाइल) ग्रेड २ के पद पर ७ वर्ष का टेक्नीशियन अनुभव।	श्रेणी प४ में कार्यरत तकनीशियन आटोमो-बाइल ग्रेड-२ से पदोन्नति द्वारा।
ई.ओ. टी. केन ऑपरेटर ग्रेड- १	परिचालक ग्रेड- १ ई.ओ.टी. केन	-	श्रेणी प४ में ७ वर्ष या श्रेणी प३ में न्यूनतम १० वर्ष की निरन्तर सेवा तथा कर्मकांड ज्ञान।	श्रेणी प४ एवं प३ से पदोन्नति द्वारा।

(ब) अन्य

५३.	लोकोमोटिव ड्राइवर, शॉटर ड्राइवर, लोको ऑपरेटर- १ लोको ड्राइवर	परिचालक ग्रेड- १ (लोकोमोटिव)	देवनागरी लिपि लिखना पढ़ना जानता हो तथा उज्जल हैवी अकेल चलाने का १० वर्ष का अनुभव/	निचली श्रेणियों में कर्मकांड निश्चत अर्हता रखने वाले कर्मचा- रियों द्वारा।
-----	--	---------------------------------	--	---

१	२	३	४	५	६
५४.	बुल्डोजर आपरेटर ग्रेड- 1 बुल्डोजर ड्राइवर (१०० अक्षय शक्ति एवं अधिक पेलोडर ड्राइवर डोजर ड्राइवर	परिचालक ग्रेड- 1 (बुल्डोजर, पेलोडर, डोजर)		देवनागरी लिपि पठना। लिखना तथा साइकिल चलाना जानता हो। कामशायल केवल चलाने का ड्राइविंग लाइ- सेन्स प्राप्तपर पुलिस का या मजिस्ट्रेट द्वारा कोई प्रतिकूल प्रविष्टि न हो, रखता हो तथा श्रेणी - ५४ में ७ वर्ष की न्यूनतम नियमित सेवा या श्रेणी ५३ में १० वर्ष की न्यूनतम नियमित सेवा।	श्रेणी ५४ एवं ५३ से कालम ५ की अर्हता रखने वाले - रियों से पदोन्नति द्वारा।
५५.	मोबाइल ड्रेन आउटर/ चालक	परिचालक ग्रेड-१ (मोबाइल ड्रेन)		उपरोक्त	उपरोक्त
५६.	पुलिंग युनिट एवं ट्रेलर आपरेटर) १०० अक्षय शक्ति एवं अधिक	परिचालक ग्रेड- 1 पुलिंग यूनिट एवं ट्रेलर)		उपरोक्त	उपरोक्त
५७.	स्टोर कीपर	भंडारी		श्रेणी ५३ में कार्यरत सहायक भंडारी के पद पर न्यूनतम १० वर्ष का अनुभव।	श्रेणी ५३ में कार्यरत सहायक भंडारियों से प्रोन्नति द्वारा।
५८.	एक्सकेडर चार्जमैन	एक्सकेडर चार्जमैन		मृत पदनाम	
५९.	फायर आफिसर, फायर स्टेशन आफिसर	फायर आफिसर		श्रेणी ५४ में कम से कम तोडिंग फायरमैन के पद पर ७ वर्ष का अनुभव।	श्रेणी ५४ से पदोन्नति द्वारा।।

- टिप्पणी १. वर्तमान में यदि कालम-२ में अक्षि से अलावा इस वर्तमान में कोई पद है तो वह मृत पदनाम माना जायेगा।
२. कालम-२ में अक्षि पदनाम का कोई कर्मचारी परिवर्ष के किन्ही पूर्व आदेशों से इससे अधिक या कम वेतनमान पा रहा है तो वेतनमान माना जायेगा।
३. कालम - ३ में अक्षि के सम्मुख अक्षि कालम - ३ में अक्षि एक ही पदनाम माना जायेगा।

E-67

69

श्रेणी - पक्ष यांत्रिक सवर्ग
वेतनमान रु. 1650-50-2000-60-2240-75-2690

२	३	४	५	६
हार्ड प्रेशर लडर	हार्ड प्रेशर वेल्डर स्पेशल ग्रेड	श्रेणी प५ के अन्तर्गत हार्ड प्रेशर वेल्डर स्तर- १ के पद पर ५ वर्ष की न्यूनतम नियमित सेवा तथा गवर्न- मेन्ट टेस्ट हाउस अलीपुर द्वारा प्रदान किया गया हार्ड प्रेशर वेल्डिंग का प्रमाण- पत्र जिसका चीन समय-समय पर करवाया जाता रहेगा। प्रमाण-पत्र की वैधता समाप्त हो जाने पर और नवीनीकरण न होने की दशा में वेल्डर ग्रेड-२ के पद पर पदावनत कर दिया जागा।	श्रेणी प५ के अन्तर्गत कार्यरत काल - ५ वर्ष वर्णित अर्हता रखने वाले हार्ड प्रेशर वेल्डर ग्रेड- १ से प्रोन्नति द्वारा।	
६१. सीनियर आपरेटर	सीनियर आपरेटर	श्रेणी प५ में ग्रेड- १ इलेक्ट्रिकल/ मैकेनिकल के पद पर न्यूनतम ५ वर्ष की सेवा।	श्रेणी प५ में तकनीशियन ग्रेड- १ से प्रोन्नति द्वारा।	

१	२	३	४	५	६
६२.	केबिल ज्वाइन्टर (३३ के. वी. एवं उच्चतर)	नियमित ज्वाइन्टर (३३ के. वी. एवं उच्चतर)	-	श्रेणी ५५ में केबिल ज्वाइ- न्टर के पद पर न्यूनतम ७ वर्ष की नियमित सेवा तथा जो ३३ के. वी. एवं उच्चतर केबिल ज्वाइनिंग कार्य करने का ज्ञान एवं क्षमता रखता है तथा वास्तव में इस कार्य को किया हो।	श्रेणी ५५ में कार्यरत केबिल ज्वाइन्टर जो निर्धारित योग्यता रखते हैं, से पदोन्नति द्वारा।

टिप्पणी : केवल उप परियोजनाओं के लिए जहां उपरोक्त बोल्ड एवं उच्च विभव की केबिल प्रणाली है।

परिषद्-२, स
(दिसँ विनियम-३०)

ऐसे परिचालकीय कर्मचारियों के कर्तव्य जो उत्पादन के अतिरिक्त विभिन्न स्वन्धों में कार्यरत हों

श्रेणी प-१ वेतनमान रु. ९००-११००

यह सेवा में प्रारम्भिक भर्ती के लिये प्रवेश बिन्दु है। अतः कार्य ही आधार माना गया है जिस पर अन्य बनती है ताकि परिचालकीय संवर्ग का स्वस्थ विकास हो सके। आवश्यक है कि इस श्रेणी के लोग प्रसन्नता पूर्वक सब प्रकार के शारीरिक एवं हाथ से करने वाले कार्य करे। कार्य करते समय वे अनेकों तकनीकी बातों को भी सीखें जिससे कि भविष्य में दिये जाने वाले कार्यों में उन्हें सहायता मिले। इस प्रकार कुछ कर्तव्यों के उदाहरण निम्नलिखित हैं :-

१.१ श्रमिक

इस सेवा के सदस्यों को गड्डो को खोदना, खाईयां खोदना, खाईयां/खदानों की सफाई, फर्श की सफाई व संयंत्रों की सफाई, गन्दगी जैसे कि लकड़ी की छीलन, बेकार सूत/गासकेट/स्केप/केबिल फटिंग इत्यादि को विहित रीति के अनुसार सफाई कराना होगा। यह सामान उठाने, चढ़ाने, उतारने, उन्हें भण्डार करने, सीढ़ियों के उठाने व ले जाने, घास एवं पेड़ों की कटान, टी एण्ड पी एवं सामग्री का लाना व ले जाना इत्यादि का भी कार्य करेगा। वरिष्ठ अर्टिजन/तकनीशियन/परिचालक की सहायता विल एवं नोटिस काटना, परिषद की सामग्री एवं सम्पत्ति के लिये रखवाली का कार्य करना तथा संयंत्रों का वांछित स्तर तक रख-रखाव तथा कम महत्व के कार्य भी करना।

१.२ पाक श्रमिक

निरीक्षण भवनों/फील्ड हास्टलों में खाना बनाना, उसको परोसना तथा उससे सम्बन्धित अन्य कार्य, अतिथियों की देख-भाल, आगन्तुक पत्रिका को पूर्ण करना, आगन्तुकों से प्राप्त धनराशि का लेखा-जोखा रखना तथा प्राप्त शुल्क को सक्षम अधिकारी के पास जमा करना, आदि-आदि। निरीक्षण भवन में उपलब्ध सामानों का वह पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

१.३ प्रहरी

परिषद की सामग्री एवं सम्पत्ति की मुस्तैदी एवं चुस्ती से रखवाली करना। अन्य कार्य जो उसके वरिष्ठों द्वारा उसे सौंपे जायें।

१.४ माली

इसके कार्य निम्नवत होंगे :-

विद्युतगृह, विद्युत उपसंस्थान, कालोनी, निरीक्षण भवन आदि में लान एवं पार्क आदि के अनुरक्षण, उसमें घास/फुलवारी लगाना, उसकी निराई करना, उनमें पानी देना, उनको लान के लिए क्यारियों आदि को बनाना तथा उससे संबंधित अन्य कार्य/झाड़ियों एवं खरपतवार को साफ करना। पेड़ों को लगाना और उनका अनुरक्षण करना। पेड़ लगाने के लिए गड्ढों को खोदना तथा उनको तैयार करना।

इसके अलावा जो अन्य औचित्यपूर्ण कार्य उसको उसके वरिष्ठजनों द्वारा बताये जायें।

१.५ स्वच्छकार (पूर्ण कालिक)

यह निम्न कार्य के लिए उत्तरदायी होगा :-

विद्युतगृह, विद्युत उपसंस्थान, निरीक्षण भवन आदि के फर्शों, बाथरूम टायलेट आदि की सफाई तथा पालिश।

विद्युतगृह, विद्युत उपसंस्थान, कालोनी, आदि में सड़कों, अन्य स्थान, ड्रेनेज, सीवर आदि की सफाई। इसमें घास झाड़ियों का काटना व उखाड़ना भी सम्मिलित है।

कूड़ा-करकट को उठाना तथा उसे उचित निर्देशित स्थान पर फेंकना। सफाई के टी. ए. पी. को ठीक प्रकार तथा उचित स्थान पर रखना।

इसके अलावा जो अन्य औचित्यपूर्ण कार्य उसको उसके वरिष्ठजनों द्वारा बताये जायें।

२. श्रेणी प-२, वेतनमान रु. १०००-१३६०

इस श्रेणी में सदस्य श्रेणी -प१ से आयेंगे तथा इस श्रेणी में आने पर लगभग उन्ही क्षमता को पूरा करेंगे जैसा कि श्रेणी प१ के व्यक्ति करते हैं परन्तु वे अधिक दक्षता उत्तरदायित्व एवं कार्य के प्रति समर्पण की भावना से कार्यरत होंगे तथा अपने अनुभव के अनुरूप अपने अनुगामी भाइयों जो श्रेणी में है को साथ लेते हुये इस प्रकार कार्य करेंगे ताकि वे दक्षता पूर्वक अधिकतम कार्य कर सकें। सामान्यतः इनके कर्तव्य निम्न प्रकार होंगे :-

२.१ कुशल श्रमिक (हैमर) (मृत प्रायः संवर्ग)

वह अपने कर्तव्यों में तकनीशियनों/लोहार की सहायता करेंगे। आवश्यकतानुसार सड़क हैमर्स, हथौड़ों का परिचालन करेगा तथा कोई अन्य कार्य जो उसके वरिष्ठ जनों द्वारा उसे बताया जायेंगा तथा जिसे सामान्यतः इस संवर्ग के लोग करते हैं, करेगा।

(१५)

कुशल श्रमिक (बैटरी)

वह बैटरी/बैटरी रूम की नैट जांच करेगा तथा उससे सम्बन्धित समस्त आवश्यक सावधानियों बरतेंगा। वह बैटरी घोल की अपेक्षित गुणवत्ता के आंकड़ों को लिखेगा तथा निर्देशानुसार बैटरी को टाप अप करेगा। वह बैटरी कक्ष में रखे गये संयंत्रों से असवित जल (डिस्टिल वाटर) बनाने का भी उत्तरदायी होगा। वह बैटरी कक्ष तथा संयंत्रों को स्वच्छ रखने के लिए भी उत्तरदायी होगा। किसी भी संयंत्र में किसी भी प्रकार की कमी के लिये वह अपने परिवेक्षक का ध्यान आकर्षित करेगा। वह अपने वरिष्ठ अधिकारी द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य भी करेगा।

कुशल श्रमिक

वह निम्न काम करेगा :-

लाइनों की पेट्रोलिंग करेगा तथा उसकी एक दैनंदिनी बनायेगा। पेट्रोलिंग के समय कार्यवाही करेगा पेड़ काटना, गड्ढे खोदना, खाइयों की खुदान का काम, सीड़ियों, सामान व टी. एन. पी. को ढोना, स्ट्रीट लाइट से सम्बन्धित कार्यों को देखना, फ्यूज बदलना, उपभोक्ताओं की शिकायतों को ठीक करना, फनेक्शनों का विच्छेदन, एवं पुनर्स्थापन, परिषद की सम्पत्ति एवं उपभोक्ता की अधिष्ठापना में कोई भी अनियमितता, अपसामान्यता पाये जाने पर अवर अयन्ता को सूचित करना, विभिन्न प्लांट, मशीनरी, एवं संयंत्रों से सम्बन्धित समस्त कार्य जो निर्माण, स्थापना, परिचालन एवं निरक्षण से सम्बन्धित हो, जिसमें भूनिगत एवं शीर्षस्थ लाइनें भी सम्मिलित हैं, सम्बन्ध में उसके वरिष्ठ कर्मचारी/अधिकारी जैसा, उसे निर्देश देंगे —

रीडिंग लेगा, तथा जहां कहीं आवश्यक होगा लागशीट भी वह बनायेगा।

२.४ स्टोर

भंडार में कार्य करने वाले व्यक्तियों की सामग्री एवं संयंत्रों के बांधने और खोलने में सहायता करेगा।

वाहनों से सामग्री एवं संयंत्रों को लाने का काम,

भंडार में सामग्री एवं संयंत्रों का उचित रख-रखाव, भंडारण तथा सफाई के प्रति उत्तरदायी होगा।

यह उच्च अधिकारी/कर्मचारी द्वारा सौंपे गये एवं निर्देशित किये गये समस्त कार्यों को करेगा।

२.५ अटेंडेन्ट ग्रेड-२ (पियजल पम्प हाउस)

पम्प को चलायेगा तथा बन्द करेगा। पम्प हाउस को स्वच्छ रखेगा। वान्चों को तथा हाउस को खोले तथा बन्द करेगा। इस बात का ध्यान रखेगा कि अनावश्यक रूप से पानी न जाये यदि पम्प इन्सटालेशन में कोई कमी दृष्टिगोचर होती है तो उससे अपने वरिष्ठ अधिकारी को अवगत करायेगा।

श्रेणी प-३ वेतनमान रु. ११००-१५७५

इस श्रेणी में अधिकतम सदस्य पदोन्नति के द्वारा श्रेणी-५ से आते हैं अतः उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपना कार्य अधिक उत्साह, कुशलता एवं बुद्धिमत्ता से करेंगे। विभिन्न पदों के कर्तव्यों को नोटों तौर पर निम्न रूप में दर्शाया गया है :-

३.१ चालक

वह निम्न के प्रति उत्तरदायी होगा :-

अपने प्रभाव के अन्तर्गत आने वाले वाहन को सतर्कता पूर्वक चलाना तथा उसे स्वच्छ पूर्णतः कार्यरत अवस्था में रखना।

यह सुनिश्चित करना कि वाहन में ईंधन एवं मोबिल आयल की खपत अनुमन्य सीमा के भी हो रही है तथा किसी भी आवश्यक मरम्मत के कार्य को समय के रहते अपने वरिष्ठ अधिकारी जानकारी में लायेगा।

छोटी-मोटी मरम्मत, समायोजन, सफाई, पालिश, नैत्यक अनुरक्षण स्वयं करेगा तथा वाहन सर्विसिंग आवश्यक होने पर कराना।

वह अद्यतन लागबुक बनायेगा तथा अपने प्रभार के अन्तर्गत वाहन द्वारा की गई यात्रा का सन्तुष्टि लेखा रखेगा।

३.२ राज निस्त्री (मृत प्राय संवर्ग)

वह परिषद के आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों में साधारण राजनीति का कार्य करेगा जिसमें प्लास्टर करना, कलरवाश करना, ताल सफेदी इत्यादि करना भी सम्मिलित है।

३.३ चालक पुलिन्ग यूनिट एवं ट्रेलर

यह १०० टन क्षमता से कम पुलिन्ग यूनिट एवं ट्रेलर को सावधानीपूर्वक चलायेगा तथा स्थान से दूसरे स्थान पर ले जायेगा। ट्रेलर पर लदे सामान की सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखेगा तथा उसकी सुरक्षा के लिए पूर्णरूप से उत्तरदायी होगा तथा उसको लोड तथा अनलोड कराने में मदद करेगा।

अपने प्रभार के अन्तर्गत मशीनों, संयंत्रों जिसमें टी.एण्ड पी सम्मिलित है, की नैत्यक

कच्चा तथा छोटी-मोटी मरम्मत स्वयं कर उनको स्वच्छ एवं कार्य अवस्था में लाना। यदि किसी भी मरम्मत की आवश्यकता हो तो वह उसे अपने वरिष्ठों को सूचित करेगा।

ईंधन एवं मोबिलिआयल के बारे में यह सुनिश्चित करेगा कि उनकी खपत स्वीकृत सीमा के भीतर हो रही है तथा इस बारे में पूर्णतः मितव्ययता बरतेगा। उसे विभिन्न कार्य स्थलों/स्थानों पर निर्देशानुसार जाना होगा। वह अद्यतन लागबुक बनायेगा तथा अपने प्रभार में वाहन द्वारा की गई यात्रा का सम्पूर्ण लेखा रखेगा। कोई अन्य कार्य जो उसके उच्चाधिकारी द्वारा उसे उचित रूप से सौंपा जाये।

लक (क्रेन)

वह अपने प्रभार के अन्तर्गत वाहन की सावधानी पूर्वक प्रचालन करेगा, उसे स्वच्छ करेगा तथा पूर्ण रूप से कार्य करने की अवस्था में रखेगा। वह यह सुनिश्चित करेगा कि इन में ईंधन व मोबिलिआयल/ग्रीस की खपत निर्धारित सीमा से अधिक न हो रही हो तथा इसमें होने वाली किसी भी मरम्मत की सूचना समय के भीतर उच्चाधिकारियों को देगा। वह क्रेन की छोटी मरम्मत सफा, सुधार तथा प्रतिदिन का अनुरक्षण का कार्य स्वयं करेगा तथा आवश्यकतानुसार सर्विसिंग करायेगा।

वह सामग्री को सावधानी पूर्वक उठायेगा, वाहनों पर चढ़ायेगा वह उतारेगा तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट करेगा एवं ठीक प्रकार रखेगा वह सामग्री की सुरक्षा के लिए पूर्णरूप से उत्तरदायी होगा, वह अपने प्रभार के अन्तर्गत वाहन का आवश्यक अभिलेख रखेगा।

इष्टी मैन्

सहायक लाइन मैन् (मृत प्राय संवर्ग)

इनके कार्य निम्न प्रकार हैं -

शिरोपरि विद्युत लाइनों व भूमिगत केबिलों का पर्यवेक्षण, एवं रख-रखाव का कार्य, परिषद आवासीय तथा गैर आवासीय भवनों का विद्युत सम्बन्धी कार्य, उपभोक्ता की सर्विस लाइन का खींचना, उपभोक्ता की विद्युत आपूर्ति सम्बन्धी शिकायतों का निवारण फ्यूज बदलना, कनेक्शन का काटना वह पुनः जोड़ना, स्ट्रीट लाइट के बल्बों/ट्यूबों को बदलना तथा स्ट्रीट लाइट प्वाइन्टों को ठीक करना, कार्य के लिए सामग्री वह टी. एण्ड पी. को स्वयं ले जाना और लाना। उच्च एवं निम्न विभव की लाइनों के दोषों का निवारण, लाइन मार्ग के पेड़ों का काटना। विद्युत बिलों को वितरित करना तथा जहाँ कहीं आवश्यक हो विच्छेदन नोटिसों को बांटना। अपने प्रभार के अन्तर्गत संयंत्रों एवं औजारोंको पूर्णतः ठीक दशा में एवं स्वच्छ रखना। उच्च एवं निम्न विभव के स्वीचों को आपरेट करना।

अन्य औचित्यपूर्ण कार्य जो उसे उसके वरिष्ठ लोगों द्वारा दिये जायें। सुरक्षा नियमों के पालन के लिए वह पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

३.७ कम्पलेन्ट रिकार्डर

वह निम्न कार्य करेगा :-

उपभोक्ता शिकायत केन्द्रों पर विद्युत आपूर्ति सम्बन्धी कम्पलेन्ट का लिखना, उसको ठीक काल के लिए कर्मचारियों को देना तथा इस सम्बन्ध में पूर्ण लेखा-जोखा रखना। आवश्यकता पड़ने पर उच्च एवं निम्न विभव के स्वीचों को आपरेट करना तथा फ्यूज बदलना/ब्रेकडाउन के बारे में अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करना।

३.८ लोहार (मृतप्राय संवर्ग)

वह निम्न कार्य करेगा :-

अपने ट्रेड से सम्बन्धित समस्त कार्य जैसे - भट्ठियों, पावर हेमर्स, ब्लोअर्स, कुलिंग वाथ इत्यादि का परिचालन एवं अनुरक्षण।

वह अपनी कार्यशाला, औजारों, टूल्स इत्यादि को साफ सुथरा एवं पूर्ण रूप से कार्य करने की दशा में रखेगा। उसके द्वारा पूरे किये गये कार्य वांछित परिशुद्धता/परिपूर्णता तथा उसके वरिष्ठ लोगों द्वारा दिये गये परिकल्पना/आकार एवं निदेशों के अनुसार होंगे।

हॉट ट्रीटमेन्ट, हाट फोर्जिंग तथा कोल्ड बकिंग आवश्यकतानुसार करेगा।

वह अपने वरिष्ठ व्यक्तियों द्वारा उचित रूप से सौंपे गये अन्य कार्य भी करेगा।

३.९ रेडियो मेकेनिक ग्रेड-२

वह अपने कार्य के अनुरूप रेडियो मेकेनिज्म से सम्बन्धित समस्त कार्य अपने वरिष्ठ लोगों के निर्देशानुसार पूरा करेगा।

कोई अन्य कार्य, जो उचित रूप से उसके वरिष्ठ लोगों द्वारा उसे सौंपा जायेगा, पूरा करेगा।

३.१० सहायक भंडारी

वह निम्न के प्रति उत्तरदायी होगा :-

वह स्टोर में एवं अपने प्रभार के अंतर्गत सामग्री की उचित सुरक्षा प्राप्ति, निर्गत करना तथा भंडारण के प्रति उत्तरदायी होना।

E-77

77

समस्त ऐसे कार्य जो भंडार की वस्तुओं के रख-रखाव, निर्गमन व भंडार के अभिलेखों/प्रपत्रों के प्रबंध आदि से संबंधित है, करेगा;

अपने प्रभार के अंतर्गत भंडार का भौतिक प्रबंधन।

सामग्री प्रबंध अथवा परिषद द्वारा समय-समय पर विहित किये गये नियमों प्रक्रियाओं का अनुसरण करते हुये भंडार वस्तुओं की प्राप्ति एवं निर्गत करना।

अपने प्रभार के अन्तर्गत भंडार की वस्तुओं के लेन-देन से संबंधित सभी वरना/आख्या/खा को बनाकर उसे समय से प्रस्तुत करना।

ल माल शेड/यातायात ऐजेन्सियों/यर्स पर कड़ी दृष्टि बना रखना ता उन संस्थानों से समय से सामग्री छुड़ाई जा सके और बिलम्बन शुल्क व मालगोदाम शुल्क न लगे।

समस्त सामग्री की प्राप्ति स्थान से सुरक्षा पूर्वक लिया जाना तथा उसे भंडार के परिसर में पहुंचना।

रेलवेज/ट्रांसपोर्ट ऐजेन्सियों/केरियर्स से माल की खुली डिलीवरी ठीक प्रकार से आवश्यकतानुसार लेना और यदि किसी माल के क्षतिग्रस्त होने का लेश मात्र भी संदेह है तो इसकी सूचना वह तत्काल अपने वरिष्ठ भंडार के प्रभारी अधिकारी को देगा ताकि कोई दावा यदि हो तो संबंधित अधिकारियों को प्रस्तुत किया जा सके।

क्रैन के लिये, संबंधित अधिकारियों को इन्डेन्ट प्रस्तुत करना, जब कभी षित माल/सामग्री को क्रैन के द्वारा चढ़ाना या उतारना आवश्यक हो।

बिन कार्डों/कारडेक्स विवरको से रख-रखाव, लेन-देन सम्बन्धी रर का विहित विधि अनुसार समय-समय पर पूर्ण करना तथा रख-रखाव एवं उन्हें भंडार के प्रभारी या सण्डीय अधिकारी भी दशा हो, को प्रस्तुत करना।

यह सुनिश्चित करना कि भंडार में आने वाली सामग्री की मा एवं गुणवत्ता वही है जैसाकि सक्षम अधिकारी द्वारा आदेशित किया गया था।

अन्य भंडारों से माल के समयानुसार एकत्रित करने/प्रेषित करने को सुनिश्चित करना।

भंडार की सामग्री का सत्यापन कार्यक्रम (वरिफिकेशन प्रोग्राम) एवं संबंधित अधिकारियों/परिषद द्वारा निर्गत किये गये निर्देशों के अनुसार सत्यापन करना।

भंडार के भौतिक सत्यापन/अथवा अपने प्रभार के अधीन वस्तुओं के निरीक्षण के लिये उत्तरदा

अधिकारियों/कर्मचारियों को पूरा एवं बिना किसी द्वेष भाव के सहयोग एवं सहायता प्रदान करना।

समस्त अग्निशमन संयंत्रों/उपकरणों की कार्यक्षमता का रख-रखाव तथा प्रभार के अन्तर्गत भंडार एवं वाहनों का रख-रखाव।

भंडार में तैनात चौकीदार/सुरक्षा प्रहरियों को अपने कर्तव्यों को समय से पहले ही सीपना तथा उनसे पूर्ण अनुशासन सुनिश्चित कराना।

अपने प्रभार के अन्तर्गत भंडार में अन्दर एवं चारों ओर प्रकाश की समुचित व्यवस्था कराना।

विभिन्न प्राकृतिक/बीजकों के विरुद्ध निर्गत सामग्री का गेट पास बनाना सुनिश्चित करना तथा उनका उचित प्रकार से लेखा बंदी, (जिनमें कार्यालय प्रति सम्मिलित है।) किया जाना।

कोई अन्य कार्य जो उसके उच्चाधिकारियों द्वारा उसे उसकी योग्यता अनुसार सौंपा जाये।

३.११ पेन्टर (मृत प्राय संवर्ग)

उसे विहित रीतियों के अनुसार लकड़ी, लोहे एवं दीवाल इत्यादि को पेन्ट करना होगा। आवश्यक होने पर उसे हिन्दी व अंग्रेजी में पेन्ट से लिखाई भी करनी होगी। वह अपने संयंत्रों को पूर्ण रूप से कार्यक्षम एवं स्वच्छ अवस्था में रखेगा तथा पेन्ट की खपत में पूरी मितव्ययता बरतेगा। वह स्वयं ही टी एण्ड पी, सामान को निर्गत कियेजाने के स्थान से लायेगा तथा अवशेष सामग्री को पूरी तरह ठीक अवस्था में उसी स्थान पर या निर्धारित स्थान पर लौटाये जाने का उत्तरदायी होगा। कार्य स्वयं को स्वच्छ रखेगा।

३.१२ रेफ्रिजरेटर मैकेनिक ग्रेड-२

वह केन्द्रीय अथवा सचल वातानुकूलित संयंत्रों, रेफ्रिजरेटरों, वाटर कूलिंग सप्लों को परिचायित करेगा एवं उनका अनुरक्षण करेगा।

वह प्लांट के समस्त पुर्जों के ठीक ढंग से कार्य करने के प्रति उत्तरदायी होगा।

आवश्यकतानुसार गैस को बनाये रखेगा तथा पैरामीटर्स पर कड़ी दृष्टि रखेगा तथा कोई भी त्रुटि/कठिनाई आने पर उसे ठीक करेगा और उसका लेखा रखेगा।

३.१३ दूरभाष परिचारक

वह निम्न कार्यों के लिए उत्तरदायी होगा -

टेलीफोन स्वीचबोर्ड को स्वच्छ रखना, आवश्यकतानुसार कॉन्वर्शनों का लगाना, टेलीफोन

अटेन्ड करना, बाहरी कानों का पूर्ण विवरण रखना, टेल्फोन बिलों का सत्पापन।

अन्य औचित्यपूर्ण कार्य जो उसको उसके वरिष्ठों द्वारा दिये जायें।

श्रेणी-प४ (वित्तमान रु. १२००-१८००)

इस संवर्ग में सेवा के अधिकतर सदस्य तकनीकी शिक्षा प्राप्त होते हैं और जो निम्न श्रेणी से पदोन्नति द्वारा आते हैं उन्हें भी अपने विषय में काफी व्यावहारिक ज्ञान होता है। अतः इस संवर्ग के सदस्यों से उनके ज्ञान, अनुभव एवं परिपक्वता के अनुरूप ही कार्य कुशलता की आशा की जाती है। अर्थात् वह श्रेणी-४ के सदस्यों से अधिक दक्षता, गुणवत्ता तथा तीव्रता से कार्य करेंगे। इस सेवा के सदस्यों के सामान्यतः निम्न कर्तव्य होंगे :-

(क) यांत्रिक संवर्ग

तकनीशियन ग्रेड-२ (विद्युत)

वह निम्नलिखित कार्य करेगा :-

जैसे विद्युत गृह/उप संस्थान एवं उपभोक्ताओं के परिसर पर विद्युत/यांत्रिकीय/वायु संबंधी संयंत्रों एवं उपकरणों की स्थापना, रख-रखाव एवं परिचालन तथा मरम्मत का कार्य।

मीटरों, एम.डी.आई. की जाँच, रीडिंग, अभिलेख परीक्षण एवं मरम्मत से संबंधी कार्य तथा उसके संबंधित अभिलेखों को रखना।

उपभोक्ता एवं आपूर्तिकर्ता के अधिष्ठान/कार्य-कुशलता इत्यादि में कोई दोष, अनियमितता, असंगतता पाये जाने पर उनमें सुधार हेतु उच्चाधिकारियों को सूचित करना।

ऊर्जा के मीटरों, ट्रांसफार्मर मीटरों, इन्स्ट्रूमेंट, रिले, कंट्रोल संयंत्रों पी.टी., सी.टी. इत्यादि की टैस्टिंग, अंशांकन, मरम्मत एवं स्थापना का कार्य।

उपभोक्ता के परिसर पर मीटरों को लगाने एवं उन्हें जांचने का कार्य करके अपने वरिष्ठ जनों को उसका परिणाम, प्रस्तुत करेगा।

उपसंस्थान एवं विद्युत गृहों पर ट्रान्सफार्मरों, स्वीचगियर्स, रिले एवं अन्य विद्युतीय संयंत्रों के परीक्षण में सहायता करना।

उपभोक्ता के परिसर पर मोटर की दशा एवं ताल की जांच करेगा तथा जांच आख्या को अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करेगा।

ऊर्जा मीटरों, टी. एण्ड पी. एवं अन्य सामग्री का उचित लेखा तैयार करेगा।

उपभोक्ता की मीटर रीडिंग लेना तथा उसे मीटर कार्ड एवं मीटर वाइंडर पर अंकित करना तथा मीटर रीडिंग विवरण प्रस्तुत करना तथा उसके द्वारा रीडिंग के समय मीटर/टरमिनल ब्लाक की सील की पाई गई टैम्परिंग को सूचित करना।

ऊर्जा के लेखा बनाने में अवर अभियन्ता की सहायता करेगा तथा रीडिंगों को मीटर बुक में भरना, आवश्यकता पड़ने पर उपभोक्ताओं को विल/विच्छेदन नोटिस बांटना।

रीडिंग के समय क्षेत्र में सीधी विद्युत चोरी के पाये जाने की सूचना तुरन्त अपने वरिष्ठों को देना, जिस क्षेत्र की वह मीटर रीडिंग ले रहा है उस क्षेत्र में विद्युत चोरी के लिए वह पूर्णरूप से उत्तरदायी होगा।

यदि क्षेत्र में कोई नया कनेक्शन पाया जाता है तो उसकी रीडिंग व विवरण मीटर बुक में अंकित करना और वरिष्ठों को सूचित करना।

स्थापना एवं ऊर्जा खपत के सम्बन्ध में असमन्वितता, अकमता, मीटर की खराबी को अपने वरिष्ठ अधिकारियों/कर्मचारियों को सूचित करेगा।

विद्युत गृह/उपसंस्थान में शिफ्ट ड्यूटी करना, विहित लागू शीट में रीडिंग एवं अन्य रिकार्ड लिखना तथा विद्युत गृह/उप संस्थान के भीतरी एवं बाहरी संयंत्रों की स्वीचिंग कार्यवाही करना तथा उन्हें तत्काल लिखना।

एच.टी. और एल.टी. फ्यूजों को बदलना, टेलीफोन काल्स को सुनना। संदेशों को लिखेगा और उन्हें संचारित करेगा, परिवादों एवं अन्य विषयों के रजिस्टर बनायेगा।

विद्युत गृह/उप संस्थान के संयंत्रों को स्वच्छ रखने के प्रति उत्तरदायी होगा। आपूर्ति में किसी भी प्रकार की बाधा आने पर उसे तत्काल लागू शीट में लिखा जायेगा। तथा आपूर्ति में बाधा के कारणों को देते हुए उसे अपने उच्चाधिकारियों/वरिष्ठ कर्मचारियों को सूचित करेगा।

विहित सुरक्षा नियमों का पालन करते हुये प्राधिकृत व्यक्तियों के द्वारा ही लाइन शट डाउन/संयंत्रों की लाइन क्लीयर, शट डाउन वापस लेना इत्यादि करेगा।

नियन्त्रण एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार विद्युत कटौती लागू करेगा।

यह सुनिश्चित करना कि उप संस्थान की चाबियों/आवश्यक औजार/चाभी/इत्यादि ठीक से रखी गयी है तथा वह किसी अनाधिकृत व्यक्ति के हाथ न पड़े। उप संस्थान के रजिस्ट्रों को पूर्ण करना।

अवर अभियन्ता एवं अन्य कर्मचारियों की उनके दैनिक कार्यों को निपटाने में सहायता करेगा तथा अन्य कार्यों को निदेशानुसार करेगा।

अन्य औचित्यपूर्ण कार्य जो उसकी योग्यतानुसार हों उसको उसके वरिष्ठजनों द्वारा उसे सौंपे जायें।

तकनीशियन ग्रेड-२ (काष्ठ) (मृत प्राय संवर्ग)

वह निम्न कार्य करेगा :-

निर्माण एवं अनुरक्षण के समय वह बढ़ाई एवं लकड़ी के अन्य कार्य करेगा। जहां कहीं आवश्यक होगा छलाई के लिये पैटर्न (नमूने) तैयार करेगा। परिषद के भवनों में लकड़ी के दरवाजों एवं खिड़कियों इत्यादि की मरम्मत जिसमें फर्नीचर की मरम्मत भी सम्मिलित है, करेगा।

उसे निर्गत किये गये परिषद के ऐसे समस्त औजारों एवं संयंत्रों की सुरक्षा एवं उचित रखवाली के प्रति, वह उत्तरदायी होगा।

वह लकड़ी की खपत में पूर्ण मितव्ययता बरतेगा। ऐसे समस्त कार्यों को पूरा करेगा जो उसे उचित रूप में उसके उच्चाधिकारियों/वरिष्ठ कर्मचारियों द्वारा सौंपे जायेंगे। वह सामग्री एवं औजार निर्गत किये जाने के स्थान से स्वयं लायेगा और अवशेष सामग्री एवं औजारों को उसी स्थान पर पूर्णतः ठीक अवस्था में लौटायेगा।

वैल्डर ग्रेड-२

वह निम्न कार्य करेगा :-

प्लाट एवं उपकरणों की इलेक्ट्रिकल एवं गैस वेल्डिंग तथा ब्रेजिंग, कटिंग, सैन्डब्लैस्टिंग, रिबिटिंग करना तथा जॉक्स की फायलिंग, ग्राउन्डिंग कर वेल्डिंग के लिये तैयार करना तथा वेल्ड किये हुये जॉक्स को ठीक करना। अपने ट्रेड से सम्बन्धित समस्त सावधानियों का पालन करना तथा अपने समस्त उपकरणों एवं टी. एण्ड पी. को पूर्णतः कार्य करने की दशा में एवं स्वच्छ रखना।

इलेक्ट्रोड एवं गैसे की खपत में पूर्णतः मितव्ययता रखेगा। वह स्वयं ही, टी. एण्ड पी. एवं सामग्री को निर्गत किये जाने के स्थान से लायेगा तथा अवशेष बर्ची सामग्री/टी. एण्ड पी. को बिल्कुल ठीक अवस्था में कार्यशाला में लौटाया जाना सुनिश्चित करेगा।

कार्य स्थान एवं उपकरणों को स्वच्छ रखने के प्रति उत्तरदायी होगा तथा उस कार्य के लिये समस्त आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय लेने एवं आस-पास कार्य करने वाले लोगों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेगा। यदि आवश्यक हुआ तो वह प्रतिबल कम करने (स्ट्रेस रिलीविंग) का भी कार्य करेगा।

कोई अन्य कार्य जो उसके उच्चाधिकारियों द्वारा जो उसके ट्रेड से सम्बन्धित हो उसे सौंपा जाये।

४.४ तकनीशियन ग्रेड-२ (रिजिस्ट्रार एवं एयर कन्डीशनिंग)

वह केन्द्रीय अथवा सचल वातानुकूलन संयंत्रों, रेजिस्ट्रार, वाटर कूलिंग संयंत्रों आदि के स्थापना, परिचालन, अनुरक्षण एवं मरम्मत का कार्य अधिक दक्षता से करेगा।

वह प्लांट के समस्त पुर्जों के ठीक ढंग के कार्य करने के प्रति उत्तरदायी होगा।

आवश्यकतानुसार गैस को बनाये रखेगा तथा पैरामीटर्स पर कड़ी नज़र रखेगा तथा भी ट्रुटि/कठिनाई आने पर इसे ठीक करेगा और उसका लेखा रखेगा।

४.५ तकनीशियन ग्रेड-२ (इन्स्ट्रुमेन्ट)

वह निम्न कार्य करेगा :-

मापक संयंत्रों, रिले, मीटर्स, थर्मिस्टर इत्यादि का समाशोधन एवं मरम्मत।

क्वाइल, सी.टी., पी.टी., रिले संयंत्रों का आवश्यक होने पर रीवाइन्डिंग करना।

संयंत्रों इत्यादि का परीक्षण एवं जांच में सहायता देना।

विद्युत गृह/उपसंस्थानों के समस्त संयंत्रों जैसे - दबाव, तापमान, फ्लो-इन्डिकेटिंग संयंत्रों एवं रिकार्डिंग, सर्वो ड्राईब्स, फुटवाल्व इत्यादि स्थापना, रख-रखाव, परिचालन एवं जांच करना।

अन्य कोई कार्य जो उसके उच्चाधिकारियों द्वारा उसे उसकी योग्यता के अनुरूप सौंपा जाये।

४.६ तकनीशियन ग्रेड-२ (टेलीफोन्स एवं रेडियो)

वह निम्न के प्रति उत्तरदायी होगा :-

वह टेलीफोन एक्सचेंज-कैरियर्स/माइक्रोवेव, दूरसंचार संयंत्रों के स्थापना एवं अनुरक्षण के प्रति उत्तरदायी होगा।

वह प्रयोगशाला तथा क्षेत्र से सम्बन्धित समस्त संयंत्रों तथा पुर्जों के परीक्षण/मरम्मत तथा आवश्यक समाशोधन भी करेगा।

कोई अन्य औचित्यपूर्ण कार्य जो उसके उच्चाधिकारियों द्वारा उसे सौंपा जाये।

४.७ तकनीशियन ग्रेड-२ (वाइन्डर)

वह निम्न कार्य करेगा :-

वह ट्रांसफार्मरों के क्वाइल्स, सी.टी., पी.टी., रिलेज एवं अन्य संयंत्रों की रीवाइन्डिंग करेगा।
विजली के मोटरों एवं अन्य विद्युत संयंत्रों की रीवाइन्डिंग एवं छोटी-मोटी मरम्मत करेगा।

ट्रांसफार्मरी एवं अन्य विद्युत उपकरण जो उप-संस्थान/विद्युत गृह तथा उपभोक्ता के परिसर में होंगे, उनकी जांच मरम्मत एवं परीक्षण सम्बन्धी कार्य में सहायता करेगा।

कोई अन्य कार्य जो उसके उच्चाधिकारियों द्वारा उसे सौंपा जाये।

(ख) अन्य

तकनीशियन ग्रेड-२ (लाइन)

वह कार्य करेगा -

उपभोक्ता को आपूर्ति देने के लिए लाइन का सर्वेक्षण एवं स्थापना का कार्य करेगा तथा
जनक आपूर्ति देने के लिये उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण।

भूमिगत एवं ग्रीव्सप्र पारेषण एवं वितरण की लाइनों का सर्वेक्षण, निर्माण, पेट्रोलिंग, मरम्मत
एवं अनुरक्षण करना।

उपस्थान के उपकरणों के "नुरक्ष" से सम्बन्धित सामान्य फ्यूजों के नुकसान का कार्य
इत्यादि चाहे वे भूमि पर, खम्भों पर अथवा किसी संरचना (स्ट्रक्चर) पर हों।

अन्य कर्मचारियों/मीटर रीडर की उपभोक्ता का परिसर खोज निकालने में सहायता करना
तथा उपभोक्ता के परिसर/एवं परिषद के अधिष्ठानों पर आपूर्ति का विच्छेदन एवं पुनः सञ्जन,
उच्चाधिकारियों के आदेशानुसार करना।

उपभोक्ता के परिसर/लाइनों के निरीक्षण के समय कोई भी असामान्यता/विद्युत चोरी/गड़बड़ी
पाये जाने पर अपने वरिष्ठ व्यक्तियों को इसके बारे में तत्काल सूचित करेगा तथा उसे दूर करने
हेतु तत्काल कदम उठायेगा। अपने प्रभार के अन्तर्गत लाइन/प्रतिष्ठान से विद्युत चोरी के लिए पूर्ण
रूप से उत्तरदायी होगा।

वह स्वयं ही सामग्री एवं टी. एण्ड. पी. को भण्डार से लेगा तथा इसे काय स्थल तक ले जायेगा
एवं वापस लायेगा। आवासीय/गैर आवासीय भवनों, पैनलों इत्यादि की वायरिंग करना।

नुकृत एवं अऊर्जिकृत वितरण पोषकों के फ्यूज बदलने का कार्य करेगा तथा इसके लिये
सुरक्षा निर्देशों का पालन करेगा तथा टी.पी.एम.ओ. एवं अन्य स्वीचेज जिनमें मार्ग प्रकाश उपकरण
सम्मिलित हैं का आवश्यकता पड़ने पर परिचालन करेगा तथा टी.पी.एम.ओ. की मरम्मत व समा-जन
करेगा।

उपभोक्ताओं को आवश्यकता पड़ने पर बिजली के बिल/विच्छेदन नोटिस इत्यादि बाटेगा ताड़न से छू रहे पेड़ों की ट्रिमिंग कर उचित क्लीयरेंस रखना, पारेषण एवं वितरण की लाइनों मार्ग साफ करना इत्यादि।

गड़बड़ियों (फाल्ट) को खोज निम्नालेगा तथा (ब्रिक डाउन) टूट-फूट को ठीक करेगा। निगरानी रखना कि विच्छेदित उपभोक्ता विद्युत प्रयोग न करें। यदि किसी उपभोक्ता का बिल नहीं आ रहा है तो उसकी जानकारी में आने पर तुरन्त अवर अभियन्ता को सूचित करना।

आवश्यकता पड़ने पर लाइनों एवं उपकरणों के शट डाउन लेने व समाप्त करने का उत्तरदायी होगा तथा समस्त सुरक्षा नियमों का पालन करेगा।

आवश्यकता पड़ने पर वह तकनीशियन ग्रेड-२ (विद्युत) के कार्यों को करेगा।

अपने उच्चाधिकारियों द्वारा योग्यता के अनुरूप सौंपा कोई अन्य कार्य भी करेगा।

४.९ टाउन इन्चार्ज/सहायक सुपरवाइजर (मृत प्राय संवर्ग)

वह निम्न कार्य करेगा :-

इनका मुख्य कार्य विद्युत बिलों की धनराशि एकत्र करना है। एकत्रित धनराशि तथा उसका पूर्ण विवरण एवं लेखा-जोखा वह निर्देशित प्राधिकारी को निर्धारित विधि एवं निर्धारित प्रपत्रों पर प्रतिदिन जमा करेंगे।

आवश्यकता पड़ने पर उनको निम्न कार्य भी करने होंगे -

प्राथमिक/द्वितीयक पारेषण लाइनों, ६६ के.वी. तक के उप-संस्थानों एवं एल.टी. वितरण प्रणाली की देख-रेख, संचालन एवं रख-रखाव।

किसी भी चोरी/ऊर्जा के चोरी के प्रयास अथवा कितनी भी अन्य असमानता/अनियमितता जो उसे दिखायी देगी अपने वरिष्ठ व्यक्तियों को सूचित करेगा। अपने प्रभार के अन्तर्गत राजस्व वसूली इत्यादि के प्रति उत्तरदायी होगा।

विहित अभिलेखों को बनायेगा तथा उन्हें निर्धारित तिथि पर उच्चाधिकारियों को प्रस्तुत करेगा तथा जहां कहीं आवश्यकता पड़ने पर उसे निरीक्षण करने वाले अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

अपने अधीन तैनात अधीनस्थ कर्मचारियों से उनकी योग्यतानुसार कार्य करायेंगे तथा उनकी उपस्थिति व अन्य आवश्यक अभिलेखों को रखेगा। प्लान्ट/संयंत्रों/उपभोक्ता के अभिप्लान में कोई

(ख) अन्य परिचालक ग्रेड-१ (मोबाइल केन)

इस श्रेणी में सदस्य, श्रेणी प३ के चालक (केन) के समान ७५ टन से अधिक क्षमता की केन पर समस्त कर्तव्यों को पूरी सावधानी, दक्षता, सतर्कता एवं उच्च कोटि के उत्तरदायित्व की भावना से करेंगे। इसके साथ ही नैतिक जांच, मशीनों एवं संयंत्रों की छोटी-मोटी मरम्मत करेगा तथा प्रभार के अधीन टी. एण्ड पी. को साफ सुथरा तथा पूर्णतः कार्य करने की दशा में रखेगा। वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि ईंधन एवं मोबिल आयात की खपत स्वीकृत सीमा के भीतर हो रही हो।

वह केन से सामान को सावधानी पूर्वक इस प्रकार उठायेगा, वाहनों पर चढ़ायेगा व उतारेगा, एक स्थल से दूसरे स्थान पर शिफ्ट करेगा तथा ठीक प्रकार रखेगा कि परिगमन में सामान क्षतिग्रस्त न हो।

अपने प्रभार के अन्तर्गत संयंत्रों से सम्बन्धित सभी अभिलेखों को रखेगा।

कोई अन्य कार्य जो उचित रूप से उसके वरिष्ठ व्यक्तियों द्वारा सौंपा जाये।

५.३ परिचालक ग्रेड-१ (पुलिंग यूनिट एवं ट्रेलर)

यह १०० टन एवं अधिक क्षमता वाले पुलिंग यूनिट, एवं ट्रेलर को अत्यधिक सावधानी, दक्षता एवं सतर्कता पूर्वक चलायेगा एवं परिचालित करेगा तथा इसमें अत्यधिक उच्चकोटि का उत्तरदायित्व दशयिगा, तथा बिन्दु ३.३ में वर्णित कर्तव्यों का पालन करेगा।

५.४ भंडारी

इस श्रेणी के सदस्य सहायक स्टोर कीपर से आदेंगे। अतः उन्हें मद ३.१ के अनुसार सहायक स्टोर कीपर के सभी कार्य अधिक दक्षता एवं उच्चकोटि की उत्तरदायित्व की भावना से पूरा करने होंगे। उसे उसके वरिष्ठ व्यक्तियों द्वारा उचित रूप से सौंपा गया कोई अन्य कार्य भी करना होगा।

६ श्रेणी प६ (वितनमान रु. १६५०-२६९०) यांत्रिक संवर्ग

६.१ केबिल ज्वाइन्टर (३३ कि.वो. एवं उच्चतर)

यह बिन्दु ५.१ में वर्णित सभी कार्य सभी विभव (३३ कि. वो. एवं उससे उच्च विभव सम्मिलित करते हुए) की केबिलों के लिए करेंगे।

परिशिष्ट - २
(दिखें विनियम - ३०)

परिचालकीय कर्मचारियों के कर्तव्य, जो उत्पादन में कार्यरत हों

श्रेणी-प१ (वितनमान रु. ९००-११९०)

सेवा में आरम्भिक नियुक्ति के लिए यह प्रवेश बिन्दु है। अतः यह अन्य श्रेणियों के बनाने का आधार होगा। इन श्रेणी की स्वस्थ्य बढ़ोत्तरी हो सके, यह आवश्यक है कि इस श्रेणी के व्यक्ति प्रसन्नता से समस्त प्रकार के शारीरिक तथा हाथ से सम्बन्धी कार्य करें और विभिन्न प्रकार के तकनीकी कौशल सीखें ताकि वे उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हों ऐसे कर्तव्यों के कुछ उदाहरण निम्न दिये गये हैं।

१.१ श्रमिक

इस सेवा स्तर के सदस्यों को गड्डों एवं लाइयों को जोड़ना, इनका उत्खनन करना, तारा को साफ करने, उपकरणों को साफ करना, मलबा जैसे वेकार सूत/गार्स्केट/छीलन हटाना तथा केबिल काटना, इत्यादि कार्य करने होंगे। उन्हें सामान उठाने, सामान ढुंढाने, उसे उतारने, सामान को ले जाना, उसे ठीक प्रकार से भंडारण करना, सीढ़ियों को उठाना, घास की कटान, पेड़ों की कटान आदि का कार्य भी करना होगा। वरिष्ठ तकनीशनों/ आर्टिजनों की सहायता करना, बिलों, नोटिसों को बॉटना, परिषद की सामग्री व धन की रखवाली करना, लिफ्ट को लीचना/चलाना तथा उपकरणों/लिफ्ट इत्यादि का रख-रखाव व विद्युत चालित लिफ्टों का चंचल एवं पत्र/सूचना वाहक का कार्य भी करना होगा।

१.२ पाक श्रमिक

निरीक्षण भवनों/फील्ड होस्टलों में खाना बनाना, उनको परोसना तथा उनसे सम्बन्धित अन्य कार्य, अतिथियों की देखभाल, आगन्तुक पंजिका को पूर्ण करना, आगन्तुकों से प्राप्त धनराशि का लेखा-जोखा रखना तथा प्राप्त शुल्क को सक्षम अधिकारी के पास जमा करना, आदि-आदि। निरीक्षण भवन में उपलब्ध सामान का वह पूर्णरूप सुरक्षा हेतु उत्तरदायी होगा।

१.३ प्रहरी

परिषद की सामग्री एवं सम्पत्ति की मुस्तैदी एवं चुल्ती से रखवाली करना। अन्य कार्य जो उसको उसके वरिष्ठजनों द्वारा सौंपे जायें।

१.४ माली

इसके कार्य निम्नवत् होंगे -

विद्युतगृह, विद्युत उपसंस्थान, कालोनी, निरीक्षण भवन आदि में लान एवं पार्क आदि का अनुरक्षण; उसने घास/फुलवारी लगाना, उसकी निराई करना, उनमें पानी देना, उनको लगाने के लिए क्यारियों आदि को बनाना तथा उससे संबंधित अन्य कार्य/झाड़ियों एवं खर-पतवार को सफा करना। पेड़ों को लगाना और उनका अनुरक्षण करना। पेड़ लगाने के लिए गड्ढों को खोदना तथा उनको तैयार करना।

इसके आलावा जो अन्य औचित्यपूर्ण कार्य उसको उसके वरिष्ठजनों द्वारा बताये जायें।

१.५ स्वच्छकार (पूर्ण कालिक)

यह निम्न कार्य के लिए उत्तरदायी होगा -

विद्युतगृह, विद्युत उपसंस्थान, निरीक्षण भवन आदि के फर्शों बायरूम टायलेट आदि की सफाई तथा पालिश।

विद्युतगृह, विद्युत उपसंस्थान, कालोनी, आदि में सड़कों, अन्य स्थान (ड्रेनेज, सीवर) आदि की सफाई। इसमें घास व झाड़ियों का काटना व उखाड़ना भी सम्मिलित है।

कूड़ा-करकट को उठाना तो उसे उचित निर्देशित स्थान पर फेंकना। सफाई के टी. एण्ड टी. को ठीक प्रकार तथा उचित स्थान पर रखना।

इसके अलावा जो अन्य औचित्यपूर्ण कार्य उसको उसके वरिष्ठजनों द्वारा बताये जायें।

२. श्रेणी प-२ (वित्तमान रु. १०००-१३६०)

इस श्रेणी में सदस्य श्रेणी-६ से आयेंगे। इस श्रेणी में आने पर उनके कर्तव्य बहुत कुछ श्रेणी-६ के व्यक्तियों जैसे ही रहेंगे परन्तु उनसे यह आशा की जाती है कि अपने कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का निर्वाह वे अधिक दक्षता, तत्परता एवं निष्ठा से करेंगे तथा श्रेणी-६ के अपने अनुभव का पूरा लाभ उठाते हुए तथा अपने श्रेणी-६ के साथियों को साथ लेते हुए इस प्रकार कार्य करेंगे, जिससे उनका पूर्ण दक्षता से अधिकतम उपयोग हो सके। इस श्रेणी में सामान्यतः कर्तव्य निम्न प्रकार होंगे-

२.१ कुशल श्रमिक (हैमर) मृत प्राय संवर्ग

वह समस्त प्रकार के हैमर (हथौड़ों) को चलायेगा तथा तकनीय/ब्लैक स्मिथ को उन

कार्यों में सहायता करेंगे। इसके साथ ही वह अपने उच्च अधिकारियों द्वारा सौंपा गया कोई अन्य काम करेगा, जो सामान्यतः श्रेणी-५ के अन्य सदस्यों को सौंपा जाता है।

कुशल श्रमिक (रेलवे पाइन्ट)

कुशल श्रमिक (शंटिंग)

वह विद्युत गृह, रेलवे यार्ड में शंटर आपरेटर की मालवाहक डिब्बों की शंटिंग करने में सहायता करेगा तथा साथ ही ट्रैक बदलने के संयंत्रों के परिचालन में भी सहायता करेगा। वह रेल ट्रैक के गैल्युक अनुरक्षण का कार्य करेगा तथा आवश्यकता पड़ने पर अपने वरिष्ठ लोगों की सहायता करेगा। वह शंटिंग परिचालकों को विहित रीतियों के अनुसार सही संकेत देने का भी उत्तरदायी होगा तथा रेलवे लाइनों पर दिये गये गेट व बैरियर्स को भी परिचालित करेगा जो यदि कोई वहाँ होंगे।

कुशल श्रमिक (बैटरी)

वह बैटरी/बैटरी रूम की जाँच करेगा तथा इससे संबंधित समस्त आवश्यक सावधानियाँ बरेगा। वह बैटरी चोल की अपेक्षित गुणवत्ता के आंकड़ों को लियेगा तथा निर्देशानुसार बैटरी को टाप अप करेगा। वह बैटरी कक्ष में रखे गये संयंत्रों से आसवित जल (डिस्टिल वाटर) बनाने का भी उत्तरदायी होगा। वह बैटरी कक्ष तथा संयंत्रों को स्वच्छ रखने के लिए भी उत्तरदायी होगा। किसी भी संयंत्र में किसी भी प्रकार की कमी के लिए वह अपने परिवेक्षक का ध्यान आकर्षित करेगा। वह अपने वरिष्ठ अधिकारी द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य भी करेगा।

५ कुशल श्रमिक (बायलर वाटर)

वह बायलर में गानी (फीडिंग) शरे जाने का काम देगा तथा उसके स्तर (लेवल) पर नजर रखेगा। किसी भी प्रकार की असामान्यता/अनियमितता को तत्काल अपने वरिष्ठ की जानकारी में लायेगा। वह अपने वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य भी करेगा।

कुशल श्रमिक

वे विभिन्न संयंत्रों, मशीनों, विद्युत लाइनों/केबलों एवं सामग्री से संबंधित निर्माण, स्थापना, परिचालन एवं अनुरक्षण कार्य करने के साथ गड्ढे खोदना, खाईयाँ खोदना, सामान उतारना, चढ़ा-साफ करना, उठाना, भण्डारण करना सीढ़ियों, उठाना, घास काटना, पेड़ काटना, मलबा हटाना, इत्यादि कार्य करेगा। इसके अतिरिक्त वह वरिष्ठ तकनीशियन/परिवहन/आर्टीजनों की मदद करेगा तथा अन्य ऐसे समस्त कार्य भी करेगा, जो सामान्यतः श्रेणी-५ के अन्य सदस्यों को सौंपे जाते हैं।

२.७

कृषाल शक्ति (कोल/राख), भूत प्राण संवर्ण

वह कोयला व राख की व्यस्तता से संबंधित समस्त आवश्यक प्रवृत्तियों को स प न

लिखते हैं — संबंधित संवर्णों की वैयक्तिक संकाई व रख-रखाव भी सम्मिलित है। वह कोयले

उत्पादों, इसके उत्पन्न होने से एकत्र किये जाने तथा कन्वेयर बेल्ट तक ले जाने तथा हाथों

की छेद किये (डाले जाने के लिए उत्तर) होगा। वह बायलर पिस्टन से राख पहुँचाने तथा

राख के डेर (Ash-Dump) तक ले जाने का भी उत्तरदायी होगा तथा अन्य जो कार्य

उसके वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सौंपा जाये।

अटैन्डेन्ट ग्रेड-२ (भूत प्राण संवर्ण)

वह निम्न संयंत्र अथवा प्रविष्टान पर नियुक्त — १, उसका निरीक्षण एवं रख-रखाव का

करेगा। वह उस बाल पर टूटित रखेगा कि संयंत्र निष्पत्ति वरिष्ठाटर के अनुसार कार्य कर

निष्पत्ति आंकड़ों को रिकार्ड करेगा। पाई जाने वाली कतिपय के लिए उत्पन्न कर्म उद्योगों

उन्हें अपने वरिष्ठ अधिकारियों से सौंपित करेगा। अन्य जो कार्य उसको उसके वरिष्ठ अधिकार

सौंपा जाये।

स्टोर मिस्त्री

वह स्टोर की सामग्री वह संयंत्रों को खो — बांधने में सहाय्य करेगा। बांधने से इसको

व ले चाहेगा। वह थंडर की सामग्री वह संयंत्र — को उत्पन्न वंग से रख-रखाव, थंडरिंग, सफाई

देखभाल के प्रति उत्तरदायी होगा तथा अपने वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशों अनुसार

करेगा।

अप — लुट्टर (भूत प्राण संवर्ण)

वह समस्त प्रकार की भारी व हल्के — ढा की अप होल्सटी कवर व सीटों, सीपा सेट

जो परिपक्व के परिवार में हों, को तैयार करेगा व उनका उत्पन्न रख-रखाव करे।

सैम्पलर

वह निम्न — पों के अनुसार कोयले, पानी, तेल इत्यादि के विभिन्न न — को एकत्रित

का उत्तरदायी होगा। वह नियुक्त गृह, प्रयोगशाला के अन्य कर्मचारियों की कार्य में सहायता

वह प्रयोगशाला की कार्य की, व निर्देशानुसार संयंत्रों व प्रयोगशाला के उपकरणों की सफाई

का भी उत्तरदायी होगा।

वह उपस्थान, बिबुल गृहों, की विभिन्न मशीनों/संयंत्रों के विभिन्न भागों/कलपुत्रों में आयुक्ति व प्रीक्षण करनेका उत्तरदायी होगा। वह बिबुल गृह/उप-स्थान पर तैल एवं ग्रीस का कार्य संपादित। वह उस स्थान को जहाँ तैल व ग्रीस रखे जाते हैं, साफ करेगा। ऐसे समस्त स्थानों पर उसे आग के खतरे से सावधान रहना होगा वह यह भी देखेगा कि उपकरणों में तैल व ग्रीस सही दर पर रहें तथा इनके व्यय पर नियंत्रण बरती जाये।

१. भी करेगा जो सामान्यतः श्रेणी-५ के अन्य सदस्यों को सौंपा — है।

श्रेणी-५३ (विनमान रु. ११००-१५७५)

इस श्रेणी में अधिकतर सेवा के सदस्य श्रेणी-५ से पदोन्नति द्वारा आते हैं, अतः उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि अपना कार्य अधिक उत्तम, निपुणता व बुद्धिमत्ता के साथ करेंगे। विभिन्न रंगों के कर्तव्य प्रणाली निम्न प्रकार सिद्ध है -

घातक

वह अपने प्रकार के अन्तर्गत घातन की सावधानी पूर्वक सलायेगा, उसे साफ क गा तथा पूर्ण रूप से कार्य करने की अवस्था में रखेगा। वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि घातन में तैल व मोबिल रूप से कार्य करने की अवस्था में रहेगी है। तथा उसमें होने वाली किसी भी मरम्मत आपन की खपत निष्पत्तिरित सीमा से अधिक न हो रही है। तथा उसमें होने वाली किसी भी मरम्मत की सूचना समय के भीतर उच्चमधिकारियों को देगा वह घातन की छोटी मरम्मतों सुधारें, सफाई, पालिश तथा प्रतिदिन का अत्रिस्थान स्वयं करेगा व आवश्यकतानुसार सविवर्तन करेगा। वह अपने प्रकार के अन्तर्गत घातन की अवस्था लगातार बुक तथा की गई यात्रा का लेखा बतयेगा।

राज निरीक्षी

वह राजनीति का कार्य — जैसे आपन/कनस एवं — स्वयं व बेन्चर का निरीक्षण निरूपित है। वह परिवार के आवासीय व गैर आवासीय भवन — में साधारण राजनीति का भी कार्य करेगा, जिसमें एगस्ट्रिय, रंगों से पुनर्दे व सफेदी इत्यादि सम्मिलित है।

श्री

वह बिबुल गृहों, उपस्थानों व उन — जैसे अ — में जहाँ कहीं भी ना होना, संयंत्रों — को सलायेगा। वह उनका अंकड़े गैर करेगा तथा उन्हें सही प्रकार से लागू करने में निवेगा। वह प्लांट के गैर-मीटर एवं संयंत्रों पर बिबिल प्रकार से दृष्टि रखेगा। वह पापी जाने वाली

राजी/असाम-यंत्रों के बिबे उत्तित करण उठायेगा तथा उन्हें अपने बरिष्ठ लोगों को सुचित

करेगा। वह अपने प्रभार में संयंत्रों/सामानों की दैनिक देखभाल के लिए उत्तरदायी होगा, जितने सफाई एवं समुचित सुरक्षा तथा रख-रखाव भी सम्मिलित है। उससे वह अपेक्षा की जाती है कि उसकी योग्यता तथा अनुभव के अनुसार वरिष्ठ कर्मचारी द्वारा समय-समय पर अन्य जो निर्देश दिए जाते हैं उनके अनुसार कार्य करेगा। वह अपना संयंत्र साफ सुथरा तथा पूर्णतया सही-सलामत रखेगा।

३.४ चालक (पुलिंग यूनिट एवं ट्रेलर)

यह १०० टन क्षमता से कम पुलिंग यूनिट एवं ट्रेलर को सावधानी पूर्वक चलायेगा तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जायेगा। ट्रेलर पर लदे सामान की सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रहेगा तथा उनकी सुरक्षा के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा तथा उसको लोड तथा अनलोड कराने में मदद करेगा।

अपने प्रभार के अन्तर्गत मशीनों संयंत्रों जिसमें टी. एण्ड पी. सम्मिलित हैं की नैतिक देखभाल करेगा तथा छोटी-मोटी मरम्मत स्वयं कर उनको स्वच्छ एवं कार्य अवस्था में रखेगा। यदि किसी बड़ी, मरम्मत की आवश्यकता हो तो वह उसे अपने वरिष्ठों को सूचित करेगा।

ईंधन एवं मोबिलिटी के बारे में यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी खपत स्वीकृत सीमा के भीतर हो रही है तथा इस बारे में पूर्णतः मितव्ययता करेगा। उसे विभिन्न कार्य स्थलों/स्थानों पर निर्देशानुसार जाना होगा। उसे केकल की अद्यतन लागबुक तथा यात्राओं का लेखा रखना होगा। अन्य कार्य जो उसके उच्चाधिकारी द्वारा उसे उचित रूप से सौंपे जायें।

३.५ चालक (केन)

३.६ चालक (गिन्ट्री केन)

वह अपने प्रभार के अन्तर्गत वाहन का सावधानी पूर्वक प्रचालन करेगा। उसे स्वच्छ रखेगा तथा पूर्ण रूप से कार्य करने की अवस्था में रखेगा। वह यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन में ईंधन व मोबिलिटी/ग्रीस की खपत निर्धारित सीमा से अधिक न हो रही हो तथा उसमें होने वाली मरम्मत भी मरम्मत की सूचना समय के भीतर उच्चाधिकारियों को देना। वह केन की छोटी मरम्मत, सुधार तथा प्रतिदिन का अनुरक्षण का कार्य स्वयं करेगा तथा आवश्यकतानुसार सर्विसिंग करेगा।

वह सामग्री को सावधानी पूर्वक उठायेगा, वाहनों पर चढ़ायेगा व उतारेगा तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट करेगा एवं ठीक प्रकार रखेगा। वह सामग्री की सुरक्षा के लिये पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा। वह अपने प्रभार के अन्तर्गत वाहन का आवश्यक अभिलेख रखेगा।

मैकेनिक ग्रेड-३

मैकेनिक ग्रेड-३ (ऑटोमोबाइल)

वह अपने ट्रेड से सम्बन्धित समस्त कार्य करेगा। अपने औजारों/संयंत्रों को पूर्ण रूपेण कार्य करने की हालत में रखेगा।

वह कार्य के लिये आवश्यक सामग्री व औजारों को टूल रूप/स्टोर से स्वयं ही लायेगा।

वह विहित निर्देशों के अनुसार कार्यों के निस्तारण के लिये भी उत्तरदायी होगा।

समस्त कार्यों को पूर्ण यथाथता एवं सावधानी से करेगा तथा कार्य संयंत्रों इत्यादि व व्यक्तियों के लिये विहित आवश्यक सुरक्षा नियमों का पालन करेगा तथा कार्य स्थल, औजारों तथा कार्य में प्रयोग आने वाले अन्य उपकरणों/मशीनों को साफ सुथरा रखेगा।

९ बल्केनाइजर

वह समस्त प्रकार के बल्केनाइजिंग कार्य जो कन्वेयर बेल्ट, टायर एवं ट्यूब में होंगे, उन्हें करेगा। वह बल्केनाइजिंग में काम आने वाले समस्त औजारों को साफ व पूर्ण रूप से कार्य करने वाली स्थिति में रखेगा। उसे अपनी अर्हताओं के अनुरूप अन्य कार्य भी करने होंगे जिन्हें उनके वरिष्ठ जन उन्हें सौंपेंगे।

१० पेन्टर (मृत प्राय संवर्ग)

उसे विहित रीतियों के अनुसार लकड़ी, लोहे एवं दीवाल इत्यादि को पेन्ट करना होगा। आवश्यक होने पर उसे हिन्दी व अंग्रेजी में पेन्ट से लिखाई भी करनी होगी। वह अपने संयंत्रों को पूर्ण रूप से कार्यक्षम एवं स्वच्छ अवस्था में रखेगा तथा पेन्ट की स्वपत में पूरी मितव्ययता बरतेगा। वह स्वयं ही टी, एण्ड पी., सामान को निर्गत किये जाने के स्थान से लायेगा तथा अवशेष सामग्री को पूरी तरह ठीक अवस्था में उसी स्थान पर या निर्धारित स्थान पर लौटाये जाने का उत्तरदायी होगा। कार्य स्थल को स्वच्छ रखेगा।

११ लोहार (मृत प्राय संवर्ग)

वह अपने ट्रेड से सम्बन्धित समस्त कार्यों को करेगा तथा भट्ठियों, पावर हैमर्स, ब्लोअर्स, क्लिंश बाथ आदि का परिचालन एवं अनुरक्षण करेगा, वह अपनी कार्यशाला, औजारों, उपकरण इत्यादि को साफ सुथरा एवं पूर्णतया कार्य करने की अवस्था में रखेगा। उसके द्वारा सम्पादित किये गये कार्य

वांछित परिशुद्धता/परिपूर्णता एवं उसके वरिष्ठ जनों द्वारा दिये गये परिरूप/निर्देशों के अनुसार होंगे। वह आवश्यकतानुसार हीट ट्रीटमेंट, हाट फोजिंग व कोल्ड वर्किंग करेगा। उसे अपने वरिष्ठ जनों द्वारा उसके अनुभव एवं अर्हताओं के अनुसार सौंपे अन्य कार्य भी करने होंगे। वह टी. एण्ड पी. तथा सामान को उसके निर्गत स्थान से स्वयं ही लायेगा तथा शेष बचे सामान एवं टी. एण्ड पी. को ठीक दश में निर्धारित स्थान अथवा उसी स्थान पर लौटा देगा। वह अपनी टी. एण्ड पी. एवं कार्य स्थल/संयंत्रों को साफ सुथरा तथा उचित दशा में रखने के लिये उत्तरदायी होगा।

३.१२ सारंग/रिगर

वह केन द्वारा हल्के व भारी संयंत्रों को उठवाने व इधर-उधर शिफ्ट कराने का कार्य सूझता एवं उचित सावधानी पूर्वक संभालेगा। उसे केन को छोड़कर अन्य समस्त प्रकार के सामग्री उठाने एवं ले जाने वाले संयंत्रों का ज्ञान होना चाहिये। वह अपने कार्य में आवश्यक समस्त औजारों एवं संयंत्रों के जैसे - जैक्स, चेन पुली ब्लाक, पुलिंग-लिफ्टिंग मशीन, स्लिंग, तार, रस्सी, विन्चेस इत्यादि के रख-रखाव एवं इनके संशोधनों के लिये उत्तरदायी होगा। वह संयंत्रों, व्यक्तियों तथा कार्य स्थल की सुरक्षा के प्रति उत्तरदायी होगा तथा उसमें समस्त आवश्यक सावधानियां बरतेगा। उसे ऐसा कोई अन्य कार्य भी सौंपा जा सकता है जिसे उसके वरिष्ठ जन सौंपना चाहें।

३.१३ रेडियो मैकेनिक ग्रेड-२

वह अपने कार्य के अनुरूप रेडियो मैकेनिक से सम्बन्धित समस्त कार्य अपने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार पूरा करेगा। कोई अन्य कार्य, जो उचित रूप से उसके वरिष्ठों द्वारा उसे सौंपा जायेगा पूरा करेगा।

३.१४ सहायक भंडारी

वह निम्न के प्रति उत्तरदायी होगा :-

वह स्टोर में एवं अपने प्रभार के अन्तर्गत सामग्री की उचित सुरक्षा, प्राप्ति, निर्गत करना व भंडारण के प्रति उत्तरदायी होगा।

समस्त ऐसे कार्य जो कर्मचारियों पर नियंत्रण भंडार की वस्तुओं के रख-रखाव, निर्गत व भंडार के अभिलेखों/प्रपत्रों के प्रबन्ध आदि से संबंधित हैं।

अपने प्रभार के अन्तर्गत भंडार का भौतिक प्रबन्धन।

सामग्री प्रबन्ध अथवा परिषद द्वारा समय-समय पर विहित किये गये नियम/प्रक्रियाओं के अनुसरण करते हुए भंडार वस्तुओं की प्राप्ति एवं निर्गत करना।

अपने प्रभार के अन्तर्गत भंडार की वस्तुओं के लेन-देन से संबंधित सीधी विवरण/आख्या/लेखाओं बना कर उसे समय-समय से प्रस्तुत करना।

रेलवे माल शेड/मातायात ऐजिन्सियों कोरियर्स पर कटवृ बन रखना ता उन स्थ से एवं समय से सामग्री छुड़ायी जा सके और बिलम्बन शुल्क व मालगोदाम शुल्क न लगे।

समस्त सामग्री को प्राप्ति स्थान से सुरक्षा पूर्वक लिया जाना तथा उसे भंडार के परिसर में पहुंचाना।

तलज/ट्रांसपोर्ट ऐजिन्सियों/कैरियर्स से माल की खुली डिलीवरी प्र से आवश्यकतानुसार लेना और यदि किसी माल के क्षतिग्रस्त होने का लेश मात्र भी संदेह हो तो इसकी सूचना वह तत्काल अपने जरिष्ठ भंडार के प्रभारी अधिकारी को देगा। यदि कोई दावा हो तो, उसे सम्बन्ध अधिकारियों को प्रस्तुत किया जा सके।

उन के लिये, सम्बन्धित अधिकारियों को इन्डेन्ट प्रस्तुत कर, जब कभी प्रेषित माल/साम को केन के द्वारा चढ़ाना या उतारना आवश्यक हो।

बिन कार्डों/कारडेक्स विवरणों तथा भंडार सामग्रियों के रख-रखाव एवं लेन-देन सम्बन्धी रजिस्ट्रों का निहित विधि से उचित रूप से भरा जाना तथा उन्हें भंडार के प्रभारी या खण्डीय अधिकारी भी स्थिति हो, को प्रस्तुत करना।

यह सुनिश्चित करना कि भंडार में आने वाली सामग्री की मात्रा एवं गुणवत्ता उही है जैसा कि सक्षम अधिकारी द्वारा आदेशित किया गया था।

अन्य भंडारों से माल के सनयनुसार एकत्रित करने/प्रेषित को सुनिश्चित करना।

भंडार की सामग्री का सत्यापन कार्यक्रम (बेरिफिकेशन प्रोग्राम) एवं सम्बन्धित अधिकारियों/परिषद द्वारा निर्गत किये गये निर्देशों के अनुसार सत्यापन करना।

भंडार के भौतिक सत्यापन/अथवा अपने प्रभार के अधीन वस्तुओं के निरीक्षण के लिये उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों को पूरा एवं बिना किसी द्वेष भाव के सहयोग एवं सहायता प्रदान करना।

समस्त अग्निशमन संयंत्रों उपकरणों की कार्य शीलता का रख-रखाव तथा प्रभार के अन्तर्गत भंडार एवं वाहनों का रख-रखाव।

भंडार में तैनात चौकीदार/सुरक्षा प्रहरियों को उन कर्तव्यों को समय से पहले ही सौंपना तथा उनसे पूर्ण अनुशासन सुनिश्चित कराना।

अपने प्रभार के अन्तर्गत भंडार में अन्दर एवं चारों ओर प्रकाश की समुचित व्यवस्था कराना।

विभिन्न प्राक्तनों/बीजकों के विकट निर्गत सामग्री का गेट पास बनाना सुनिश्चित करना तथा उनका उचित प्रकार से लेखा बंदी। (जिनमें कार्यालय प्रति सम्मिलित है) किया जाना।

कई अन्य कार्य जो उसके उच्चाधिकारियों द्वारा उसे उसकी योग्यता के अनुरूप सौंपा जाये।

३.१५ रेफ्रीजरेटर मैकेनिक ग्रेड-२

वह केन्द्रीय अथवा सगल वातानुकूलन संयंत्रों, रेफ्रीजरेटो, वाटर कूलिंग संयंत्रों की परिचालित करेगा एवं उनका अनुरक्षण करेगा।

वह प्लांट के समस्त पुर्जों को ठीक ढंग से कार्य करने के प्रति उत्तरदायी होगा।

आवश्यकतानुसार गैस को बनाये रखेगा तथा पैरामीटर्स पर कड़ी दृष्टि रखेगा तथा कोई भी त्रुटि/कांठेनाई आने पर उसे ठीक करेगा और उसका लेखा रखेगा।

३.१६ अटेन्डेंट (वाटर ट्रीटमेंट)

वह वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के परिचालन के कार्यों की देखभाल करेगा तथा उचित गुणवत्ता नियंत्रण करने में रसायनज्ञों की सहायता करेगा। वह जहां कहीं आवश्यक होगा रसायनों की मात्रा में फेर बदल करके सुधारात्मक कार्यवाही करेगा। वह रसायनों व उनके अवशेषों को उठाने, रखने में तथा उनके निस्तारण करने में समस्त सावधानियां बरतेगा ताकि कोई खतरा न उत्पन्न हो सके। वह पैरामीटर्स पर कड़ी दृष्टि रखेगा, उनके आंकड़ों को लिखेगा तथा लागबुक पर चढ़ायेगा। रसायनों की खपत में अत्यन्त मितव्ययता बरतेगा। किसी भी अनियमितता व असमानता पाये जाने पर वह उसे अपने उच्चाधिकारियों के संज्ञान में तुरंत लायेगा। वह अपने प्लांट/संयंत्रों को साफ सुथरा तथा कार्य करने की हालत में रखेगा। वह अन्य समस्त ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जिसे उससे वरिष्ठ उसकी अर्हता को ध्यान में रखते हुए सौंपेगा। वह अपने कार्य से संबंधित समस्त विहित अभिलेखों को रखेगा।

३.१७ फायर मैन

वह आग बुझाने से संबंधित सभी कार्य अपने कर्तव्यों के निर्देशानुसार करेगा। आग बुझाने के उपकरणों तथा औजारों को स्वच्छ एवं ठीक अवस्था में रखेगा।

३.१८ दूरभाष परिचारक

वह निम्न कार्यों के लिए उत्तरदायी होगा :-

टेलीफोन तबीयत को स्वच्छ रखना, आवश्यकतानुसार कनेक्शनों का लगाना, टेलीफोन

अटेन्ड करना, बाहरी कालों का पूर्ण विवरण रखना, टेलीफोन बिल का सत्यापन।

अन्य औचित्यपूर्ण कार्य जो उसको उसके वरिष्ठों द्वारा दिये जायें।

श्रेणी-३ (वितनमान रु. १२००-१८००)

इस संवर्ग में सेवा के अधिकतर सदस्य तकनीकी शिक्षा प्राप्त होते हैं और जो निम्न श्रेणियों से पदोन्नति द्वारा आते हैं उन्हें भी अपने विषय में काफी व्यावहारिक ज्ञान होता है। अतः इस संवर्ग के सदस्यों से उनके ज्ञान, अनुभव एवं परिपक्वता के अनुरूप ही कार्य कुशलता की आशा की जाती है अर्थात् वह श्रेणी-४ के सदस्यों से अधिक दक्षता, प्रवीणता तथा तीव्रता से कार्य करेंगे। इस सेवा के सदस्यों के सामान्यतः निम्नलिखित कर्तव्य होंगे -

(क) यांत्रिक संवर्ग

तकनीशियन ग्रेड-२ विद्युत

वह निम्नलिखित कार्य करेगा -

जैसे विद्युतगृह एवं उपस्थानों पर विद्युत/यांत्रिकीय/वायु सम्बन्धी संयंत्रों एवं उपकरणों की स्थापना, रख-रखाव एवं परिचालन तथा मरम्मत का कार्य।

इन्वोल्वेन्ट, रिले, कंट्रोल संयंत्रों पी.टी., सी.टी तथा अन्य उपकरणों इत्यादि की टेस्टिंग, अंशांकन, मरम्मत एवं स्थापन का कार्य।

विद्युत प्रणाली में दोषों को ठीक करना/आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों में विद्युत वायरिंग एवं उपकरणों की स्थापना, अनुरक्षण एवं मरम्मत का कार्य तथा कालोनी एवं विद्युत गृह में विद्युत सम्बन्धी शिकायतों को दूर करना।

विद्युतगृह/उपसंस्थान में शिफ्ट ड्यूटी करना, विहित लागू शीट में रीडिंग एवं अन्य रिकार्ड तथा विद्युतगृह के संयंत्रों की स्वीचिंग कार्यवाही करना तथा उन्हें तत्काल लिखना। उसके प्रभार में यदि किसी संयंत्र/उपकरणों में सभायोजन (एडजस्टमेंट) या क्रिया की आवश्यकता है तो उसे करना।

अपने प्रभार के संयंत्रों को स्वच्छ रखने के प्रति उत्तरदायी होगा तथा कार्यस्थल को स्वच्छ रखेगा।

निर्दिष्ट सुरक्षा नियमों का पालन करेगा। अपने प्रभार के अन्तर्गत संयंत्रों में पायी जाने वाली असमानताओं/कमियों के लिए उचित कदम उठायेगा और साथ ही अपने वरिष्ठजनों को सूचित करेगा।

नियन्त्रण एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार कार्य करेगा।

अवर अभियन्ता एवं अन्य कर्मचारियों की उनके दैनिक कार्यों को निपटाने में सहायता करेगा तथा अन्य औचित्यपूर्ण कार्य जो उसे वरिष्ठजनों द्वारा सौंपे जायें, करेगा।

४.२ तकनीशियन ग्रेड-२ (टर्निंग मशीनिस्ट, ग्राइन्डिंग, वेल्डिंग)

वह मशीनों की मरम्मत एवं एसेम्बली के लिए अपने ट्रेड से संबंधित टर्निंग, मशीनिंग, ग्राइन्डिंग व वेल्डिंग इत्यादि सीधी कार्य करेगा जो या तो उसी रूप में किये जाते हैं अथवा दूसरे कार्यों से मिले जुले रूप में किये जाने हैं। वह आवश्यकता पड़ने पर छोटे फिटिंग जॉब भी करेगा। वह परिषद द्वारा उपलब्ध कराये गये औजारों के उचित रख-रखाव एवं सुरक्षा के लिये उत्तरदायी होगा। वह मशीनों की मरम्मत एवं अन्य कार्यों को कराने में वरिष्ठ तकनीशियन की आवश्यकतानुसार सहायता करेगा। वह फैब्रीकेशन, कटिंग, ग्राइन्डिंग, फिटिंग, टर्निंग, पार्ट्स ग्रेडिंग, पैकिंग एवं गार्सकेट बदलना, एलाइन्मेन्ट की जांच करके उसे ठीक करना इत्यादि करेगा। वह गैस एवं इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, ब्रेजिंग, कटिंग, रिलीविंग, फ्लांट एवं सयंत्रों को फिटिंग, फाईलिंग, ग्राइन्डिंग, वेल्डिंग, जॉब को तैयारी एवं फिनिशिंग में स्केपिंग करेगा। वह टी. एण्ड एवं सामग्री को निर्गमित किये जाने के स्थान से स्वयं ही लायेगा तथा कार्य समाप्ति पर अवशेष सामग्री एवं टी. एण्ड पी. को स्वयं ही उसी स्थान पर वापस लौटाना सुनिश्चित करेगा। वह अपने कार्य कर्मचारियों/ अधिकारियों द्वारा निर्देशित अन्य कार्यों को भी करेगा।

४.३ तकनीशियन ग्रेड-२ (मैकेनिकल)

वह निम्न कार्य करेगा। :-

विद्युत/यांत्रिकी/वायु संबंधी सयंत्रों एवं उपकरणों की स्थापना, अनुरक्षण परिचालन एवं मरम्मत का कार्य।

विद्युत गृहों में पाली ड्यूटी करेगा तथा विहित रजिस्टर तथा लागूशीट भरेगा। पैरामीटर्स पूर्ण ध्यान रखेगा। परिचालन के दौरान यदि किसी समायोजन तथा क्रिया की आवश्यकता है तो करेगा। पाई जाने वाली असमानताओं/ कमियों के लिए उचित कदम उठायेगा तथा साथ ही वरिष्ठों को उन्हें सूचित करेगा।

स्थापनाके समय कटिंग, फैब्रीकेशन, फाईलिंग, ग्राइन्डिंग, स्केपिंग, फिटिंग इत्यादि कार्य अनुरक्षण के साथ मशीन को खोलेगा, सफाई करेगा, सराब पार्ट्स को बदलेगा तथा मशीन को जोड़ेगा।

अपने प्रभार में सयंत्रों एवं उपकरणों को तथा अपने काम स्थल को स्वच्छ रखेगा।

OK

स्थापना, अनुरक्षण एवं मरम्मत के लिए आवश्यक औजार स्वयं निर्मित स्थान से लायेगा और लौटायेगा।

औजारों की सुरक्षा के लिए वह पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा। वह सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन करेगा।

वह सभी औचित्य पूर्ण कार्य जो उसकी योग्यता के अनुरूप हों और समय-समय पर उच्चाधिकारियों द्वारा निर्देशित किये जायें, करेगा।

तकनीशियन ग्रेड-२ (आटोमोबाइल)

वह हर प्रकार की मोटर गाड़ियों, पुलिंग यूनिट, मोबाइल केनों, डम्पर, बुल्डोजर इत्यादि की मरम्मत करेगा।

वह अपने औजारों को हमेशा कार्य करने योग्य एवं स्वच्छ रखेगा। अपने कार्य स्थल की स्वच्छता का ध्यान रखेगा। औजारों की सुरक्षा के लिए वह पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा। इस श्रेणी के सदस्य के कार्य लगभग मिकेनिक स्तर-३ (आटोमोबाइल) के समान ही होंगे परन्तु वह अपने कार्य मिकेनिक स्तर-३ (आटोमोबाइल) से अधिक दक्षता, कुशलता एवं परिशुद्धता तथा शीघ्रता से करेगा।

तकनीशियन (काष्ठ) (मृत प्राय संवर्ग)

वह निम्न कार्य करेगा :-

निर्माण एवं अनुरक्षण के समय वह बढ़ईगारी एवं लकड़ी के अन्य कार्य करेगा। जहां कहीं आवश्यक होगा ढलाई के लिये पैटर्न (नमूने) तैयार करेगा।

परिषद के भवनों के लकड़ी के दरवाजों एवं खिड़कियों इत्यादि की मरम्मत, जिनमें फर्नीचर की मरम्मत भी सम्मिलित है, करेगा।

उसे निर्मित किये गये परिषद के ऐसे समस्त औजारों एवं संयंत्रों की सुरक्षा एवं उचित रखवाली के प्रति वह उत्तरदायी होगा।

वह लकड़ी की खपत में पूर्ण मितव्ययता बरतेगा ऐसे समस्त कार्यों को पूरा करेगा जो उसे उचित रूप से उसके उच्चाधिकारियों/वरिष्ठों द्वारा सौंपे जायेंगे।

वह सामग्री एवं औजार निर्मित किये जाने के स्थान से स्वयं लायेगा और अवशेष सामग्री एवं औजारों को उसी स्थान पर पूर्णतः ठीक अवस्था में लौटायेगा।

वेल्डर ग्रेड-२

वह निम्न कार्य करेगा :-

प्लांट एवं उपकरणों की इलेक्ट्रिकल एवं गैस बेल्टिंग तथा ब्रेजिंग, काटिंग, फेब्रिकेशन, रिपैरिंग करना तथा जाब्स की फायलिंग, ग्राइन्डिंग कर बेल्टिंग के लिए तैयार करना तथा वेल्ड किये जाये कार्यो को ठीक करना। अपने ट्रेड से सम्बन्धित समस्त सावधानियों का पालन करना तथा अपने समस्त उपकरणों एवं टी. एण्ड पी. को पूर्णतः कार्य करने की दशा में एवं स्वच्छ रखना। इलेक्ट्रोड गैस की खपत में पूर्णतः मितव्ययता रखेगा। वह स्वयं ही टी. एण्ड पी. एवं सामग्री को निर्गत स्थानों के स्थान से लायेगा तथा अवशेष बची सामग्री/ टी. एण्ड पी. को बिल्कुल ठीक अवस्था में कार्य करने में लौटाया जाना सुनिश्चित करेगा।

कार्य स्थान एवं उपकरणों को स्वच्छ रखने के प्रति उत्तरदायी होगा तथा उस कार्य के लिए समस्त आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय लेने एवं आस-पास कार्य करने वाले लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखेगा, यदि आवश्यक हुआ तो वह प्रतिबल कम करने (स्ट्रेस रिलीविंग) का भी कार्य करेगा।

कोई अन्य कार्य जो उसके उच्चाधिकारियों द्वारा उसे उचित रूप से सौंपा जाये।

४.७ तकनीशियन ग्रेड-२ (रेफ्रिजरेटर एण्ड एयर कंडीशनिंग)

वह केन्द्रीय अथवा संचल वातानुकूलन संयंत्रों, रेफ्रिजरेटर्स, वाटर कूलिंग संयंत्रों आदि की स्थापना, परिचालन, अनुरक्षण एवं मरम्मत का कार्य अधिक क्षमता से करेगा।

वह प्लांट के समस्त पुर्जों के ठीक ढंग से कार्य करने के प्रति उत्तरदायी होगा।

आवश्यकतानुसार गैस को बचाये रखेगा तथा पैरामीटर्स पर कड़ी दृष्टि रखेगा तथा कोई त्रुटि/कठिनाई आने पर इसे ठीक करेगा और उसका लेखा-जोखा रखेगा।

४.८ तकनीशियन ग्रेड-२ (इन्स्ट्रुमेन्ट)

वह निम्न कार्य करेगा :-

मापक संयंत्रों, रिले मीटर्स, थर्मिस्टेट इत्यादि का समाशोधन एवं मरम्मत।

क्वाइल, सी.टी पी.टी., रिले एवं संयंत्रों का आवश्यक होने पर रीवाइन्डिंग करना।

संयंत्रों इत्यादि का परीक्षण एवं जांच में सहायता देना।

विद्युत गृह/उपसंस्थानों के समस्त संयंत्रों जैसे - दबाव, तापमान, फ्लो इन्डीकेटिंग एवं रिकार्डर्स, सर्वो डाईस, फुट वाल्व इत्यादि की स्थापना, रख-रखाव, परिचालन एवं जांच तथा अन्य औचित्यपूर्ण कार्य जो उसकी योग्यता के अनुसार उसको उसके वरिष्ठजनों द्वारा जायें।

E - 10/

101

४.९ तक शिपयन ग्रेड-२ (टेलीफोन एवं रेडियो)

वह निम्न के प्रति उत्तरदायी होगा :-

वह टेलीफोन एक्सचेंज-कैरियर्स/ आइड, दूरसंचार की स्थापना एवं अनुरक्षण के प्रति उत्तरदायी होगा।

वह प्रयोगशाला तथा क्षेत्र से सम्बन्धित समस्त संयंत्रों तथा पुर्जों के परीक्षण/मरम्मत तथा आवश्यक समाशोधन भी करेगा।

कोई अन्य कार्य जो उसके उच्चाधिकारी द्वारा उसे उचित रूप से सौंपा जाये।

४.१० तकनीशियन ग्रेड-२ (वाइंडर)

वह निम्न कार्य करेगा -

वह ट्रांसफार्मरों के क्वाइल्स, सी.टी., पी.टी. रिलेज एवं अन्य संयंत्रों की रीवाइडिंग करेगा।

बिजली के मोटरों एवं अन्य विद्युत संयंत्रों की रीवाइडिंग एवं छोटी-मोटी मरम्मत करेगा।

ट्रांसफार्मरों एवं अन्य विद्युत उपकरण जो उपसंस्थान/विद्युतगृह तथा उपरोक्त के परिसर में होंगे, उनकी जांच मरम्मत एवं परीक्षण सम्बन्धी कार्य में सहायता करेगा।

कोई अन्य कार्य जो उसके उच्चाधिकारियों द्वारा उसे उचित रूप से सौंपा जाये।

४.११ फाउन्ड्रीमैन/मोल्डर (मृत प्राय संवर्ग)

वह सभी प्रकार की धातुओं के ढलाई द्वारा पार्ट्स बनायेगा। इसके लिए वह स्वयं साग तथा उसके लिए चूर की हुई मिट्टी बनायेगा। धातुओं को पिघलाकर ढलाई करेगा। ढलाई में पार्ट्स की बेकार धातु को अलग करेगा।

मोल्डिंग बाक्स तथा पैटर्न्स को व्यवस्थित रूप में तथा कांस्थ को स्वच्छ रखेगा।

वह गिट्टी, ब्रोजर्स आदि का परिचालन एवं अनुरक्षण करेगा। टी. एण्ड पी. को ठीक प्रकार रखेगा।

धातुओं तथा अन्य प्रयोग आने वाले सामग्री का साब रखेगा। सुरक्षा के कामों का पालन करेगा।

४.१२ फ्लम्बर (मृत प्राय संवर्ग)

वह पानी, दवा गैस एवं तेल लूपा की समस्त पाइप लाइन एवं पाइप फिटिंग बिछाने का

कार्य करेगा। वह सेनेट्री, वाटर सप्लाय फिटिंग, सीवर लाइन यदि कोई है को भी सम्मिलित करते हुए, इत्यादि का भी फिटिंग का कार्य करेगा। वह समस्त टी. एण्ड पी. एवं सामग्री को निर्गत किये जाने के स्थान से स्वयं लायेगा और अवशेष सामग्री एवं टी. एण्ड पी. को उसी स्थान पर स्वयं ही लौटाना सुनिश्चित करेगा।

४.१३ ई.ओ.टी. केन आपरेटर

वह केन को सावधानी पूर्वक चलायेगा तथा सामान/उपकरणों को इस प्रकार उठायेगा कि सामान को क्षति न पहुंचे। केन का दिन-प्रतिदिन का अनुरक्षण करेगा। यदि उसमें कोई खराबी आ गई है तो उसकी सूचना वह अपने वरिष्ठों को देगा।

(ख) अन्य

४.१४ तकनीशियन ग्रेड-२ (लौह), (मृत प्राय संवर्ग)

वह निम्न कार्य करेगा :-

अपने ट्रेड से सम्बन्धित समस्त कार्य तथा भट्टियों, पावर हैमर्स, ब्लोअर्स कूलिंग ब्लाथ आदि का परिचालन एवं अनुरक्षण।

वह अपनी कार्यशाला, औजारों, टैकल्स इत्यादि को साफ सुधरा एवं पूर्ण रूप से कार्य करने की दशा में रखेगा। उसके द्वारा पूरे किये गये कार्य वांछित परिशुद्धता/निखार के अनुसार होंगे तथा उसके वरिष्ठ जनों द्वारा दिये गये परिकल्पना/आकार एवं निर्देशों के अनुसार होंगे।

हीट/ट्रीटमेंट, हाट फोर्जिंग तथा कोल्ड वर्किंग आवश्यकतानुसार करेगा।

वह अपने वरिष्ठ व्यक्तियों द्वारा उचित रूप से सौंपे गये अन्य कार्य भी करेगा।

४.१५ लीडिंग फार मैन

वह अपने अनुभव के अनुसार आग बुझाने का कार्य अधिक तत्परता एवं दक्षता से करेगा। अन्य औचित्यपूर्ण कार्य जो उसके वरिष्ठों द्वारा बताये जायें, करेगा।

५. श्रेणी-प५ वेतनमान रु. १३५०-२१६०

इस श्रेणी के सेवा के सदस्य श्रेणी-३ से पदोन्नति द्वारा आते हैं। अतः उन श्रेणी-३ के अनुसूची ही कार्य अत्याधिक सावधानी, निगरानी पूर्वक, दक्षतापूर्वक, तत्परता के साथ एवं उच्चकोटि के उत्तरदायित्व के साथ पूरा करना होगा। जिससे वे अधिक उत्पादन दे सकें। ऐसे कर्तव्यों के कुछ उदाहरण नीचे दिये गये हैं:-

✓

(क) यॉन्त्रिक संवर्ग

५.१ तकनीशियन ग्रेड-१ (इलेक्ट्रीकल/मैकेनिकल)

वह परिशिष्ट २ (ख) के बिन्दु ४.१ एवं ४.३ में वर्णित तकनीशियन ग्रेड-२ के सभी कार्य अधिक उत्तरदायित्व की भावना दशति हुए अधिक तत्परता एवं दक्षता से करेगा ताकि अधिक प्रतिफल प्राप्त हो। वह पैरामीटर्स पर सूक्ष्म दृष्टि रखेगा तथा सुधारात्मक उपाय करेगा।

५.२ केबिल ज्वाइन्टर (११ के.वी.)

जैसा कि परिशिष्ट २ (क) के बिन्दु ५.१ में वर्णित है।

५.३ हाई प्रेशर वेल्डर ग्रेड-१

इस श्रेणी के सदस्य वेल्डर ग्रेड-२ के समस्त कर्तव्यों को करेंगे (जैसा कि परिशिष्ट २(ख) के बिन्दु ४.६ में दर्शाया गया है), तथा ऐसे समस्त कार्य उस प्लांट में भी करेंगे जिनमें हाई प्रेशर सम्मिलित है। वह ज्वाइंट तैयार करेगा तथा लीकेज के खोजने में सहायता करेंगे। वेल्डेड को रेडियोग्राफी के द्वारा यदि अवश्यक हुआ तो जांचा जायेगा।

तैयार किये गये ज्वाइन्ट के लिए वह पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

५.४ तकनीशियन ग्रेड-१ (ऑटोमोबाइल)

वह परिशिष्ट २ (ख) के बिन्दु ४.४ में वर्णित सभी कार्य अत्यधिक सूक्ष्मता, तत्परता, प्रगुणता तथा उत्तरदायित्व की भावना से करेगा।

५.५ परिचालक ग्रेड-१ (ई.ओ.टी. केन)

वह अधिक क्षमता की केन पर सभी कार्य जो परिशिष्ट २ (ख) के बिन्दु ४.१३ में वर्णित है, अनुभव के अनुसार अधिक दक्षता से करेगा।

(ख) अन्य

५.६ परिचालक ग्रेड-१ (लोकोमोटिव)

वह निम्न के प्रति उत्तरदायी होगा -

शनिटिंग इंजनों को चलाने, उनके परिचालन एवं रख-रखाव के लिये उत्तरदायी होगा।

ब्रेक/रोलिंग स्टॉक की सुरक्षा एवं सावधानी पूर्वक शनिटिंग करना तथा उनका विद्युत गृह का

साइडिंग/गन ट्रिपलर में स्थापना करना। समस्त सुरक्षा नियमों का पालन करना।

शान्टिंग इंजनों की नैत्यक जांच एवं छोटी-मोटी मरम्मत का कार्य करना तथा उन्हें साफ-सुथरा एवं पूर्णरूप से कार्य करने की अवस्था में रखना।

५.७

परिचालक ग्रेड-१ (बुल्डोजर/पेलोडर) :

परिचालक ग्रेड-१ (मोबाइल केन) १०० टन एवं अधिक

परिचालक ग्रेड-१ (पुलिंग यूनिट) १०० टन एवं अधिक

वह बुल्डोजर/पेलोडर/हैवी ड्यूटी मोबाइल या पुलिंग युनिट ट्रैलर सहित को अत्याधिक सावधानी, दक्षता, निगरानी से वह उच्चकोटि के दायित्व को बनाये रखते हुये चलायेगा। वह अपने प्रभार के अन्तर्गत मशीनों संयंत्रों एवं टी. एण्ड पी. की नैत्यक जांच एवं मरम्मत भी करेगा तथा उन्हें साफ-सुथरा एवं पूर्ण रूप से कार्य करने की स्थिति में रखेगा। परिचालक श्रेणी-१ (बुल्डोजर/पेलोडर) कोयले को भली प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पर एकत्रित करेगा तथा उसे आवश्यकता एवं निर्देशों के अनुसार ढेर लगायेगा। वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि ईंधन व चिकनाई स्वीकृत सीमा के भीतर खर्च किये जा रहे हों। परिचालक (मो. के.) एवं परिचालक (पुयू.) समस्त संयंत्रों को भली-भाँति एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिये उत्तरदायी होगा। वह उन संयंत्रों के चढ़ाये एवं उतारे जाने में भी सहायता करेगा। उसे निर्देशानुसार भिन्न-भिन्न कार्य स्थलों एवं स्थानों पर भी जाना होगा। उसे अपने प्रभार के अन्तर्गत संयंत्रों का आवश्यक लेखा-जोखा भी रखना होगा।

५.८ भंडारी

इस श्रेणी के सदस्य सहायक स्टोर कीपर से आयेंगे अतः उन्हें मद ३.१ के अनुसार सहायक स्टोर कीपर के सभी कार्य अधिक दक्षता एवं उच्च-कोटि की उत्तरदायित्व की भावना से पूरा करने होंगे। उसे उसके दूरिष्ठ व्यक्तियों द्वारा उचित रूप से सौंपा गया कोई अन्य कार्य भी करना होगा।

५.९ एक्सकेडर चार्ज मैन (मृत प्राय संवर्ग)

उसे विद्युत गृहों पर अथवा अन्य संस्थानों-स्थानों पर जैसा कि उसने दूरिष्ठ व्यक्ति परिकल्पना/आकार के अनुसार उसे निर्देश देगे उसकी पूर्ण सन्तुष्टि के अनुसार उसे प्लांट, संयंत्रों एवं मशीनों का प्रतिष्ठापन करना होगा।

५.१० फायर आफिसर

वह आग बुझाने के लिए कार्य में उत्तरदायी होगा।

E-105

105

वह अपने अधीनस्थों को समय-समय पर अभ्यास करायेगा। वह सुनिश्चित करेगा कि जितने फायर फाइटिंग संघर्ष विद्युत्तमूह में लगे हैं हमेशा ही कार्य अवस्था में रहें। यदि कोई कमी है तो उसको ठीक करेगा/करायेगा और उसको अपने वरिष्ठजनों को सूचित करेगा।

वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि आग बुझाने के कार्य में आने वाली समस्त टी. एण्ड पी हमेशा ठीक व कार्य स्थिति में रहे।

६. श्रेणी प ६ यांत्रिक संवर्ग (वित्तमान रु. १६५०-२६९०)

यह एक विशिष्ट श्रेणी है और दस श्रेणी के सदस्य अपने कार्यों में अनुभव के बाद श्रेणी प५ से प्रमोन्नति द्वारा ही आते हैं। सेवा की इस श्रेणी के सदस्यों से कार्य की उच्च कोटि की आशा की जाती है। इस श्रेणी के सदस्यों के कर्तव्यों के कुछ उदाहरण निम्नवत् हैं -

हाई प्रेशर वेल्डर (स्पेशल ग्रेड)

यह बिन्दु - ५.३ में वर्णित सभी कार्य हाई प्रेशर वेल्डर ग्रेड-१ से अधिक दक्षता, तत्परता एवं उत्तरदायित्व के साथ करेगा।

सीनियर आपरेटर

यह बिन्दु ५.१ में वर्णित सभी कार्य अत्यधिक दक्षता, सूक्ष्मता एवं उत्तरदायित्व के साथ तथा शिफ्ट मशीनों का संचालन स्वतन्त्र रूप से करेगा।

केबिल ज्वाइन्टर (३३ के.वी. एवं उच्चतर विभव)

जैसा कि परिशिष्ट २ (क) के बिन्दु ६.१ पर अंकित है।

आयु का निर्धारण

१. इन विनियमों के लिए आयु की गणना जन्म-तिथि के आधार पर की जायेगी। जन्म-तिथि का साक्ष्य कर्मचारी द्वारा चयन या ऐसे समय के अन्दर जो नियुक्ति अधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाये प्रस्तुत करना होगा।

२. जो कर्मचारी/अभ्यर्थी हाई स्कूल या उसे समतुल्य कोई परीक्षा उत्तीर्ण है उनकी जन्म-तिथि का साक्ष्य हाई स्कूल प्रमाण-पत्र या उसके समतुल्य परीक्षा प्रमाण-पत्र होगा।

जिन अभ्यर्थी/कर्मचारियों ने हाई स्कूल या उसके समतुल्य कोई परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है परन्तु किसी शिक्षण संस्था में शिक्षा पाई है उनकी भी जन्मतिथि का साक्ष्य शिक्षण संस्था छोड़ने का प्रमाण-पत्र होगा।

अन्य परिस्थितियों में नगर महापालिका/नगर पालिका/नोटरीपब्लिक एरिया/टाउन एरिया/पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण-पत्र साक्ष्य होगा।

यदि ऐसा कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है तो आयु का निर्धारण निम्नवत किया जायेगा :-

(अ) यदि अभ्यर्थी का जन्म वर्ष ज्ञात है परन्तु तिथि एवं माह ज्ञात नहीं है तो पहली बुद्धिमान जन्मतिथि मानी जायेगी।

(ब) जहां जन्म का वर्ष एवं माह दोनों ज्ञात है परन्तु निश्चित तिथि ज्ञात नहीं है इस स्थिति में ज्ञात माह की १६ तिथि जन्म-तिथि मानी जायेगी।

(स) यदि उपरोक्त किसी प्राविधान के अनुसार जन्म-तिथि निश्चित न की जा सके तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी या परिषद द्वारा इस सम्बन्ध में प्राधिकृत चिकित्सक के प्रमाण-पत्र के आधार पर आयु निर्धारित की जायेगी।

३. सर्विस बुक में एक बार अंकित जन्मतिथि अंतिम होगी और किसी भी दशा में इसमें परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

परिशिष्ट - ४

(देखें विनियम - १०)

उ.प्र. राज्य विद्युत परिषद
साक्षात्कार के समय भरा जाने वाला सत्यापन पत्र
सत्यापन प्रपत्र

बेताबनी

१. इस प्रपत्र में झूठी सूचना देना अथवा किसी सूचना को छिपाना अभ्यर्थी को सेवायोजन हेतु अयोग्य सिद्ध कर देगा।
२. इस प्रपत्र को भरकर देने के उपरान्त यदि अभ्यर्थी कभी हवालात में रखा गया हो, सजा हुयी हो या विवर्जित किया गया हो तो उसका विवरण उसे तुरन्त देना चाहिए और इसका उल्लेख न करने की दशा में, इसे वास्तविक सूचना का छिपाना माना जायेगा।

नाम, उपनाम, यदि कोई हो -----

पिता का पूरा नाम, उपनाम तथा नौकरी में पद, यदि कोई हो -----

राष्ट्रीयता -----

पिता -----

माता -----

पति -----

पत्नी -----

जन्म स्थान

स्वयं -----

पत्नी/पति -----

गृह जनपद -----

घर का पूरा पता -----

गांव, थाना और जिला, सड़क/गली मकान नम्बर -----

यदि मूल रूप से पाकिस्तान का निवासी है तो उस देश का पता तथा भारत में आगमन की तिथि

वर्णित की जानी चाहिए :-

A

५. वर्तमान पता -----
६. पिछले पांच वर्षों से पते -----
७. आयु और जन्म तिथि (यदि अभ्यर्थी मैट्रिक पास है तो प्रमाण पत्र के अनुसार उस समय की आयु अंकित की जानी चाहिए -----
८. शैक्षिक योग्यताएं : जिसके साथ शिक्षा प्राप्त करने के स्थान, १५ साल की आयु से निस्कूलो/कालेजों में शिक्षा पाई हो उनका पूर्ण विवरण उत्तीर्ण होने के वर्ष सहित

स्कूल/कालेज का पूरा नाम व पता	प्रवेश की तिथि	छोड़ने की तिथि	उत्तीर्ण परीक्षा
-------------------------------	----------------	----------------	------------------

९. जिन कार्यालयों या फर्मों में अभ्यर्थी ने पहले काम किया हो या कर रहा हो उसके पूर्ण विवरण एवं

पद का नाम तथा कार्य का विवरण	अवधि से तक	कार्यालय/फर्म अथवा संस्था का पता	पिछली नौकरी छोड़ने का कारण
------------------------------	------------	----------------------------------	----------------------------

१०. दो जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम जो अभ्यर्थी से परिचित हों (अभ्यर्थी के रिश्तेदार नहीं होना चाहिए)

१	२
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----

१. (अ)

क्या आप कभी गिरफ्तार, मुकदमा चला है, परिवर्धित बनाये गये हैं, जुर्माना किया गया है किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध में दण्डित किया गया है या किसी लोक सेवा आयोग के द्वारा किसी परीक्षा या चयन में भाग लेने के लिए रोके गये/अयोग्य घोषित किए गये हैं, अथवा किसी शैक्षिक संस्था द्वारा किसी परीक्षा में भाग लेने से रोके गये हैं? -----

(ब)

क्या इस प्रपत्र को भरने के समय आपके विरुद्ध किसी न्यायालय विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य शैक्षिक संस्था के द्वारा आप पर कोई मामला लम्बित है? -----

यदि उपरोक्त "अ" अथवा "ब" का उत्तर हाँ में है तो उसे मामले में गिरफ्तारी रोके जाने, जुर्माना किये जाने तथा दण्डित किये जाने और न्यायालय/विश्वविद्यालय/शैक्षिक संस्था में लम्बित मामले का पूर्ण विवरण इस प्रपत्र को भरते समय दिया जाना चाहिए। -----

(सत्यापित प्रपत्र के ऊपर लिखी चेतावनी को देखें)

अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षर किये जाने हेतु प्रमाण-पत्र

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त सूचानायें मेरे ज्ञान और विश्वास से पूर्ण व सही हैं। मेरे ज्ञान में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जो मुझे परिषद के अधीन सेवा योजन के लिए अयोग्य ठहरायें।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर -----

दिनांक -----

स्थान -----

५५

परिशिष्ट-५

(विनियम-१६ (क) देखें)

विभागीय अभ्यर्थियों के लिये प्रपत्र का प्रारूप

१. नाम : -----
२. पिता का नाम : -----
३. पदनाम : -----
४. पता : -----

५. वर्तमान श्रेणी में नियुक्ति की तिथि : -----
६. परिषद में नियुक्ति की तिथि : -----
७. जन्म तिथि : -----
८. क्या सदस्य हैं : -----

हाल ही में खिंचा
हुआ पासपोर्ट आकार
का प्रमाणिक फोटो
चिपकायें।

- (I) अनुसूचित जाति ----- हों/नहीं
- (II) अनुसूचित जन जाति ----- हों/नहीं
- (III) पिछड़ी जाति ----- हों/नहीं

९. योग्यता :

- (I) शैक्षिक -----
- (II) तकनीकी -----

१०. क्या कोई प्रशिक्षण/रिफ्रेशर कोर्स प्राप्त किया है - हों/नहीं -----
(यदि हां तो प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करें)
११. खेल तथा अन्य पारस्परिक कार्यक्रम -----
१२. अनुभव -----
(वर्तमान वर्ष से पिछले पांच वर्ष में अभ्यर्थी द्वारा कार्य का विवरण)
१३. विशेष उपलब्धि यदि कोई हो -----
१४. किस पद के लिए अभ्यर्थी है -----

दिनांक : -----

स्थान : -----

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

उप-खण्ड अधिकारी/सहायक अभियन्ता द्वारा सत्यापन

१. उपरोक्त बिन्दु १० तथा ११ पर दिये गए विवरण के सम्बन्ध में आख्या -----
२. अभ्यर्थी के कार्य, व्यवहार तथा अनुशासन के सम्बन्ध में सामान्य आख्या -----
३. क्या जिस पद पर प्रोन्नति के लिये आवेदन किया है उसके लिये योग्य/अयोग्य है -----

परिशिष्ट-६
(दिखो विनियम-२४)

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद
वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन
(परिचालकीय कर्मचारी)

अवधि _____ से _____ तक
नाम _____
पिता का नाम _____
परिचालना/खण्ड/कार्यालय _____
वर्तमान पदनाम और कब से इस पद पर हैं _____
वर्तमान वेतनमान _____
शैक्षणिक तथा व्यावसायिक योग्यताएं _____
परिषद में नियुक्ति का दिनांक _____

प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा भरा जाय

समीक्षाधीन

अवधि के दौरान कर्मचारी

किस किसम के कार्य पर लगा हुआ है,

का उल्लेख करें।

हस्ताक्षर

नाम : _____

पदनाम : _____

९. प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा मूल्यांकन

१. कार्य योग्यता
२. कार्य जिम्मेदारी
३. कार्य पूरा करना
४. कार्य की गुणात्मकता
५. आपसी सम्बन्ध
६. समय का पालन
७. अनुशासन (बताइए क्या कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है।)
८. विश्वसनीयता/निष्ठा
९. सत्यनिष्ठा (बताइए कि क्या कुछ प्रतिकूल बात ध्यान में आई है।)
१०. उन क्षेत्रों का उल्लेख करें जिन में निधीरित बेहतर कार्य कर सकता है।
११. यदि कोई प्रतिकूल टिप्पणी हो तो उल्लेख करें जो सम्बद्ध व्यक्ति को सूचित की जानी है।

तिथि : _____

हस्ताक्षर

नाम : _____

पदनाम : _____

समीक्षक अधिकारी का मत

१. क्या आप आख्या-९ में अंकित प्रतिवेदन अधिकारी के विचारों से सहमत हैं।
यदि नहीं तो प्रतिवेदक अधिकारी से असहमत होने के कारण एवं अपनी असहमति की सीमा को संक्षेप में सूचित करें।
२. कार्य एवं गुणों का पूर्ण आकलन
 - (क) उत्तम
 - (ख) संतोषजनक
 - (ग) खराब
३. अन्य कोई टिप्पणी

दिनांक : _____

हस्ताक्षर

नाम : _____

पदनाम : _____

अतिरिक्त अधिकारी द्वारा निरूपण

उत्तम/संतोषजनक/खराब

दिनांक : _____

हस्ताक्षर

नाम : _____

पदनाम : _____

परिशिष्ट - यदि
(विनियम - २० (ख) (IV) देखें) अर्जित

घोषणा का प्रपत्र

(क)

(केवल उनके लिये जिनके स्वामित्व में कोई अचल सम्पत्ति नहीं है)

मैं एतद् द्वारा घोषित करता हूँ कि मेरे पास कोई अचल सम्पत्ति नहीं है। यदि इसके पश्चात् मैं कोई अचल सम्पत्ति धारण करता हूँ तो उसकी घोषण पंचवर्षीय अवधि में करूँगा।

हस्ताक्षर : _____

पदनाम : _____

दिनांक : _____

(उनके लिये जो अचल सम्पत्ति के स्वामी हैं)

मैं एतद् द्वारा घोषित करता हूँ कि मैं निम्न अचल सम्पत्ति का स्वामी हूँ।

भूमि सम्पदा

स्थान जहाँ गृहीत भूमि हो	एकड़ में	अर्जित या पैतृक यदि	वार्षिक	अनुमानित	टिप्पणी
जिला तहसील ग्राम		अर्जित की गई हो तो उसका दिनांक	राजस्व	मूल्य	
१	२	३	४	५	६

भवन सम्पदा

स्थान जहाँ भवन हो	भवनों की संख्या	अर्जित या पैतृक यदि अर्जित है	क्या आवास के लिए इस्तेमाल होता है या किराये पर उठाते हैं	वार्षिक किराया	अनुमानित मूल्य	टिप्पणी
जिला तहसील ग्राम						
१	२	३	४	५	६	७

चल सम्पत्ति लगी पूंजी

क्रम सं.	विवरण	चल सम्पत्ति कम करने/ पूँजी लगाने का दिनांक	मूल्य	टिप्पणी
१	२	३	४	५

हस्ताक्षर

दाम

परिशिष्ट ८

(दिखें विनियम २० (ख) (VI))

मैं

निवासी (पूरा पता)

एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि -

- (क) मैं न तो किसी राजनीतिक दल/संस्था का सदस्य हूँ
 (ख) और न ही किसी ऐसे संगठन, राजनीतिक दल अथवा संस्था के प्रति सहानुभूति रखता हूँ जिसे केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रतिबन्धित किया गया हो।
 (ग) और न ही उनसे भविष्य में भी सम्बन्ध/जोड़गा/अथवा सहानुभूति रखूंगा।

हस्ताक्षर

पदनाम

दिनांक

निष्ठा की शपथ

मैं एतद् द्वारा निष्ठा योधित करता हूँ कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के अधीन अपनी सेवा अवधि में मैं परिषद की सेवा में अपने को सदैव निष्ठा या श्रद्धापूर्वक लगाये रखूंगा तथा तथा उसके कार्यकलापों की पूर्ण रूपेण गोपनीयता बनाने रखूंगा और अपने कर्तव्य पालन के दौरान या अन्य रूप में जानकारी में आयी किसी भी सूचना का रहस्योद्घाटन नहीं करूंगा।

हस्ताक्षर

पदनाम

दिनांक

ॐ

परिशिष्ट -

(देखें विनियम-२९ (ख)

दक्षता रोक के मामलों में निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जाय -

१. दक्षता रोक के मामले में केवल देय तिथि (Due-date) तक अभिलेखों के आधार पर ही निर्णय लिया जाय।
२. यदि देय तिथि को अथवा उससे पहले कर्मचारी को कोई आरोप पत्र दिया गया है या उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही आरम्भ हो गई है अथवा उसे निलम्बित कर दिया गया है तो उसका परिणाम देखने के बाद ही निर्णय लिया जाय। यदि कर्मचारी के विरुद्ध कोई अन्य जांच (विभागीय सी.आई.डी. अथवा सतर्कता अधिष्ठान द्वारा) हो रही है तो यह उसके दक्षतारोध में बाधक नहीं होगी परन्तु ऐसे मामलों में जहां प्रारम्भिक जांच आख्या प्राप्त हो गई हो और उसका सक्षम अधिकारी द्वारा विचारोपरान्त यह निर्णय ले लिया गया हो कि उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर सम्बन्धित कर्मचारी के विरुद्ध दोषी होने का प्रथम दृष्टया (Prima facie) मामला बनता है और उसके विरुद्ध उन स्पष्ट या विशिष्ट आरोपों के आधार पर आरोप पत्र जारी किया जा सकता है या यथास्थिति उन तथ्यों पर मुकदमा चलाने की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है, वहां जांच के परिणाम देखने के बाद ही दक्षतारोक पार करने की अनुज्ञा दी जायेगी। देय तिथि के बाद यदि कर्मचारी के विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही होती है तो उसका असर उस तिथि के पहले पड़ने वाली दक्षतारोक पर नहीं पड़ेगा।
३. दक्षतारोक पार कराने के लिये सम्बन्धित कर्मचारी का देय तिथि से पहले का अभिलेख देखना चाहिए विशेषकर पिछले पांच वर्षों की प्रविष्टियों को। यह देखने में आया है कि कहीं कहीं यह आकांक्षित अपनाया जाता है कि पिछले पांच वर्षों से कम से कम तीन प्रविष्टियां संतोषजनक हों और यह आधार रहता है कि पिछले तीन वर्षों की प्रविष्टियां लगातार संतोषजनक हों। देखना यह चाहिए कि देय तिथि के पूर्व के रिकार्ड को दृष्टिगत करते हुए कर्मचारी दक्षतारोध पार करने के लिये निर्धारित कसौटी के अनुसार उपयुक्त है अथवा नहीं। उसके समस्त कार्य कलापो के आधार पर निर्णय लिया जाना चाहिये।
४. प्रथम दक्षता रोक के लिये विगत पांच प्रविष्टियों में से तीन संतोषजनक तथा द्वितीय एवं तृतीय दक्षतारोक के लिये विगत पांच वार्षिक प्रविष्टियों में से चार प्रविष्टियों का संतोषजनक होना माना गया है, प्रतिबन्ध यह है कि :-

(क) विगत पांच वर्षों में अन्तिम प्रविष्टि का संतोषजनक होना अनिवार्य है।

✽

दक्षि

संतो

रोक

र

नि

E-119

119

- (ख) यदि अन्तिम प्रविष्टि संतोषजनक नहीं है तो कर्मचारी की अगली प्रविष्टि अर्जित करने तथा दक्षतारोक पार करने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी और यदि अगली प्रविष्टि संतोषजनक पाई जाती है तो देय तिथि से दक्षतारोक पार करने की अनुज्ञा दे दी जायेगी।
- (ग) — अन्तिम दो प्रविष्टियों संतोषजनक नहीं है तो कर्मचारी को अगली प्रविष्टि अर्जित करने तक दक्षतारोक पार करने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी और यदि अगली प्रविष्टि संतोषजनक पाई जाती है तो दक्षता रोक पार करने की अनुज्ञा देय तिथि से एक वर्ष बाद की वर्णित तिथि में बिना संचयी प्रभाव के दी जायेगी।

यदि दक्षता की देय तिथि तक कोई कर्मचारी उर्पयुक्त कसौटी के प्रतिकूल प्रथम दक्षता के लिये दो से अधिक प्रतिकूल प्रविष्टि अर्जित करता है तो दक्षता रोक पार करने की अनुज्ञा उस वर्तमान देय तिथि से प्रदान की जायेगी जब तक वह कमशः तीन व चार संतोषजनक प्रविष्टियां नहीं अर्जित कर लेता। ऐसे विषयों में तिथि परिवर्तन का संचयी प्रभाव, यदि वह दण्ड देने के उद्देश्य से न हो, दक्षतारोक पर नहीं होगा।

ऐसे मामलों में, जहां कर्मचारी की देय तिथि से पूर्ण पांच वर्षों में किसी वर्ष की अथवा अधिक वर्षों की सत्यनिष्ठा प्रमाणित नहीं है वहां दक्षतारोक पार करने की अनुज्ञा तब तक नहीं दी जायेगी जब तक वह सत्य निष्ठा प्रमाणपत्र सहित अर्जित नहीं करता है। इसके अतिरिक्त दक्षता रोक पार करने की अनुज्ञा देय तिथि के एक वर्ष बाद की तिथि से तथा संचयी प्रभाव से दी जायेगी।

इस बात की भी विशेष आवश्यकता है कि दक्षतारोक के मामलों में कार्यवाही तत्परता से की जानी चाहिये ताकि सम्बन्धित कर्मचारी को देय तिथि के बाद आदेश यथाशीघ्र प्राप्त हो जाये इसके लिये कर्मचारी को किसी प्रकार का प्रयास करने की आवश्यकता न पड़ेगी चाहिये। दक्षता के मामलों में विचार करने की कार्यवाही देय तिथि के काफी पहले शुरू कर देनी चाहिये ताकि उस तिथि के तुरन्त बाद विचार करके आदेश यथाशीघ्र तथा विलम्बतम देय तिथि के एक माह के अन्दर आदेश अवश्य ही जारी कर दिये जायें। यदि उक्त अवधि में आदेश निर्गत न हों तो उसकी सूचना विलम्ब के कारणों सहित स्वीकृत करने वाले अधिकारी अपने उच्चधिकारी को अनिवार्यतः देंगे। उच्चधिकारी तत्काल आदेश जारी कराने का प्रयास करेंगे। यदि किन्हीं मामलों में देय तिथि से तीन महीने के अन्दर आदेश जारी न हो तो ऐसे मामलों की सूचना विलम्ब के कारणों सहित मुख्य अभियन्ता (जलविद्युत)/महाप्रबन्धक/मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता/अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (परिषण) जैसी भी स्थिति हो, को देना होगा जिस पर इन अधिकारियों द्वारा समुचित कार्यवाही की जा सके।

यदि किसी कर्मचारी को दक्षताराक पार करने की अनुमति नहीं दी गई है तो उसके मामले में नियमानुसार वार्षिक आग्रार पर समीक्षा की जानी चाहिये और आवश्यकतानुसार आदेश तत्काल

E-120

120

नित किये जाने चाहिये। यहां यह स्पष्ट कर दिया जाय कि दक्षतारोक के "म" में आदेश सत्य से जा-
रना स्वीकृत करने वाले अधिकारी का उत्तरदायित्व है।

उन मामलों को छोड़कर, जिनमें सम्बन्धित कर्मचारी को कोई आरोप पत्र दिया गया है, अनुशास-
कार्यवाही आरम्भ हो गई है, अथवा उसे निलम्बित कर दिया गया है (जिनमें परिणाम देखने के =
ही निर्णय लिया जाना चाहिये), अन्य सामान्य प्रकार के दक्षतारोक के मामलों में यदि देय तिथि
एक वर्ष के अन्दर दक्षतारोक रोकने के आदेश जारी नहीं किये जाते हैं तो सम्बन्धित कर्मचारी वे
तिथि से दक्षतारोक पार किया हुआ समझा जायेगा। यदि विशेष परिस्थिति में (जिनका उल्लेख ऊप-
र किया गया है) किसी कर्मचारी को दक्षता रोक पार करने की अनुमति नहीं दी गई तो उसके नाम
में उपरोक्त प्रस्तर (८) के अनुसार वार्षिक आधार पर समीक्षा की जायेगी और आवश्यकता सा
आदेश तत्काल निर्गत किये जायेंगे।

E-121

शुद्धि पत्र

पृष्ठ संख्या	पंक्ति संख्या	छपे अशुद्ध शब्द	रठनीय शुद्ध शब्द
11	ख (III) की प्रथम पंक्ति	यात्रा	सात्रता
13	बिन्दु २० के हेडिंग में	पत्रें पत्रें	"पत्रो" "पत्रा
15		(VI)	(V)
15	(VI) की चौथी पंक्ति	अवधि	अवधि
17	बिन्दु २३(३) की तीसरी पंक्ति	मुआबजे	मुआवजे
20	२५.३(I) की तीसरी पंक्ति	गतिविधि	गतिविधि
21	२५.५(II) की चौथी पंक्ति	क	वैज्ञानिक
25	२५.१३(I) की दूसरी पंक्ति	नही	न ही
26	२५.१७(I) की चौथी पंक्ति एवं पांचवी पंक्ति	माद्य यम	माध्यम
27	२५.१७(III) की दूसरी पंक्ति	घात	निर्घात
28	दूसरी पंक्ति	हे	है
31	xxvii की प्रथम पंक्ति	पैम्फलेट	पैम्फ्लेट
38	४.३ की तीसरी पंक्ति	सीधा	सीधे
41	क्रम सं०-२ के सम्मुख स्तम्भ-४ की चौथी पंक्ति	ना	लिखना
43	अध्यायी-१ की प्रथम पंक्ति	मद	पद
	अध्यायी-२ की प्रथम पंक्ति	आदेश	आदेशो
44	क्रम सं० १२ के सम्मुख स्तम्भ ४ की प्रथम पंक्ति	पड़ना	पढ़ना
45	क्रम सं० १९ के सम्मुख स्तम्भ ५ की चौथी पंक्ति	समझे	कम से
46	क्रम सं० २६ के स्तम्भ ४ की अंतिम पंक्ति	अनुभव	अनुभव
49	क्रम सं० ३४ के स्तम्भ ५ की चौथी पंक्ति	पड़	पड़
53	क्रम सं० ३ के स्तम्भ ४ की पाँचवी पंक्ति	पड़ना	पढ़ना
	क्रम सं० ५ के स्तम्भ ४ की दूसरी पंक्ति	लिखा	लिखना
	क्रम सं० ६ के स्तम्भ ४ की चौथी पंक्ति	लिखाना	लिखना
	क्रम सं० १ की प्रथम पंक्ति	स्वर्ग	संवर्ग
54	क्रम सं० १० के सम्मुख स्तम्भ २ की प्रथम पंक्ति	ऐस	ऐसा
56	क्रम सं० १६ के स्तम्भ ४ की प्रथम पंक्ति	वनागरी	वनागरी
57	क्रम सं० १९(क) के सम्मुख स्तम्भ ६ की प्रथम पंक्ति	यर	पर
	१९(ख) के सम्मुख स्तम्भ ६		
59	क्रम सं० ३० के सम्मुख स्तम्भ ५ की दूसरी पंक्ति	न्यून	न्यून
62	क्रमांक ३७ के सम्मुख स्तम्भ ४ की पाँचवी पंक्ति	कार्य	कार्य का
63	क्रमांक ३९ के सम्मुख स्तम्भ ४ की पाँचवी पंक्ति	एव	एवं
64	क्रमांक ४२ के सम्मुख स्तम्भ ४ की तीसरी पंक्ति	विषय	के

पृष्ठ संख्या	पंक्ति संख्या	छपे अशुद्ध शब्द	पठनीय शुद्ध शब्द
68	टिप्पणी १ की प्रथम पंक्ति	पदनाम	सर्वग
71	१.३ की प्रथम पंक्ति	रखवाती	रखवाती
72	क्रमांक २ की तीसरी पंक्ति	समर्पण	सम्पर्ण
	क्रमांक २ की पांचवीं पंक्ति	सामान्यत	सामान्यतः
73	क्रमांक २.२ की प्रथम पंक्ति	सावधानियों	सावधानियाँ
76	३.९ की तीसरी पंक्ति	लागों	लोगों
77	११वीं पंक्ति	पहुंचना	पहुँचाना
85	५.१ की तीसरी पंक्ति	उसकी	उसकी
86	५.३ की द्वितीय पंक्ति	परिचालित	परिचालित
87	१ की चौथी पंक्ति	सीखे	सीखें
87	१.२ की चौथी पंक्ति	हुतु	हेतु
88	१.४ की ७वीं पंक्ति	इन्व	अन्य
	२ की चौथी पंक्ति	साथियो	साथियों
90	२.८ की चौथी पंक्ति	अधिकारियो	अधिकारियों को
	२.९ की तीसरी पंक्ति	निर्देशो	निर्देशों के
92	३.४ की तीसरी पंक्ति	मद	मदद
93	३.८ की तीसरी पंक्ति	दूल रूप	दूल रूप
	३.१० की छठी पंक्ति	रखेगा	रखेगा
94	दूसरी पंक्ति	हाट फोजिंग	हाट फोजिंग
95	प्रथम पंक्ति	सीधी	सीधा
	१९वीं पंक्ति	लेखाओ	लेखाओं को
		(विरिफिकेशन	(विरिफिकेशन
96	३.१६ की छठी पंक्ति	अनियमतता	अनियमितता
98	४.२ की ८वीं पंक्ति	सयंत्रों को	संयंत्रों की
99	४.४ की तीसरी पंक्ति	स्वच्छ	स्वच्छ
	४.५ की ८वीं पंक्ति	पूरो	पूरा
100	४.७ की तीसरी पंक्ति	समरुत	समस्त
102	४.१५ के सम्मुख पंक्ति	लीडिंग फारमैन	लीडिंग फारमैन
103	५.६ की तीसरी पंक्ति	वैगन	वैगन
106	क्रमांक २ की प्रथम पंक्ति	हाईस्कूल या उसे	हाईस्कूल या उसके
117	(ख) की दूसरी पंक्ति	प्रतिबन्धित	प्रतिबन्धित
	(ग) की प्रथम पंक्ति	रखूँगा	रखूँगा
118	३ की पांचवीं पंक्ति	दक्षतारोक	दक्षतारोक
119	७ की पांचवीं पंक्ति	विचार	विचार